लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

Preservation Sect
6-7-9
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 36, बुधवार, 3 अप्रैल, 1968/14 चैत्र, 1890 (शक)

No. 36, Wednesday, April 3, 1968/Chaitra 14, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1018. बर्मा के जनरल ने विन की यात्रा	Visit by General Ne Win of Burma	.. 823—825
1019. डा० धर्म तेजा का स्वदेश प्रत्यर्पण	Extradition of Dr. Dharma Teja	.. 825—829
1020. विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राजनैतिक दलों के नेताओं से भेंट	Meeting of Foreign Dignitaries with Leaders of Political Parties	.. 829—831
1021. इजराइल द्वारा भारतीय समवायों का बहिष्कार	Boycott of Indian Companies by Israel	.. 831—835
1022. राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth P. M's Conference	.. 835—836
1023. फिल्म सेंसरशिप	Film Censorship	.. 836—838
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
16. पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में फसलों को नुकसान	Damage to Crops etc. in Contai Sub-Division of West Bengal	.. 838—842
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1024. ब्रिटेन में जातीय भेदभाव	Racial Discrimination in U. K.	.. 842

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1025. अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन में सोवियत प्रतिनिधि का भाषण	Soviet Delegate's Speech in Islamic International Conference ..	842—843
1026. विद्रोही नागाओं द्वारा नागरिकों का अपहरण	Kidnapping of Citizens by Naga Hostiles ..	843
1027. रोडेशिया की सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्राण-दण्ड	Freedom Fighters Executed by Rhodesian Government ..	843—844
1028. भारतीय नौसेना का अभ्यास	Feats of Indian Navy ..	844
1029. बाल चलचित्र (चिलड्रन्स फिल्म सोसायटी)	Children's Film Society ..	844—845
1030. मंगला बांध में पाकिस्तान द्वारा बनाए गए बंकर	Bunkers Built by Pakistan in Mangla Dam ..	845
1031. भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा निर्धारण	Demarcation of Indo-East Pak Border ..	845
1032. हिमाचल प्रदेश के लिए योजना उपबन्ध में कमी	Decrease in Plan Provision for Himachal Pradesh ..	846
1033. कनाडा के पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य	Statement by Rehabilitation Minister of Canada	84.
1034. प्रेस परिषद्	Press Council ..	846—847
1035. भारत बर्मा सीमा आयोग	India Burma Boundary Commission ..	847
1036. विद्रोही नागाओं की गतिविधियां	Activities of Rebel Nagas ..	847—848
1037. पैट्रोलियम डेवलपमेंट (ओमान) लिमिटेड के भारतीय कर्मचारी	Indian Employees of Petroleum Development (Oman) Ltd. ..	848
1038. पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Peking	848
1039. आकाशवाणी के स्पाट लाइट और टूडे इन पार्लियामेंट कार्यक्रम	A. I. R. Programmes Spotlight and Today in Parliament ..	848—849
1040. सिनेमाघरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध	Ban on Construction of Cinema Buildings ..	849

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

1041. प्रधान मंत्री को प्राप्त उपहारों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भवन में बिक्री	Presents given to Prime Minister on Sale in A. I. C. C. Building ..	849—850
1042. आकाशवाणी में उच्चारण सैल	Pronunciation Cell in A. I. R. ..	850—851
1043. भारतीय चलचित्रों की तस्करी	Smuggling of Indian Films ..	851
1044. पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन	Migration of Hindus from E. Pakistan ..	851—852
1045. रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by Radio Pakistan ..	852
1046. केन्द्रीय सूचना सेवा के बारे में पद निर्माण समिति	Grade Structure Committee of the Central Information Service ..	852—853
1047. आकाशवाणी का वीरता के गान कार्यक्रम	Songs of Bravery Programme on A. I. R. ..	853

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6205. ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग द्वारा प्रकाशित इण्डिया नामक पुस्तिका	Booklet entitled India Published by Indian High Commission, U. K. ..	854
6207. अफ्रीकी देशों में नियुक्त भारतीय राजनयिक	Indian Diplomats posted in African Countries ..	854
6208. असैनिक उपयोग के लिए बन्दूकें	Guns for Civilian Use ..	854
6209. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आकाशवाणी का कार्यक्रम	A. I. R. Programme for Rural Areas ..	854—855
6210. दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों का नियतन	Allocation of Advertisements by D. A. V. P. ..	855—856
6211. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नौसैनिक अड्डा	Naval Base in Andamans and Nicobar Islands	856
6212. विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcast ..	856
6213. अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान में भारतीय	Indians in USA, U.K., Canada and Japan ..	857

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6215. विद्रोही नागा सेना	Naga Rebel Army	..	857
6216. नागाओं के साथ मुठभेड़	Clashes with Nagas	..	858
6217. एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंजीनियरों की कमी	Dearth of Engineers in Asian and African Countries	..	858
6218. कीनिया में ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त व्यक्ति के लिए वीसा देना	Visa Endorsements for British Passport Holders in Kenya	..	858—859
6221. ताइवान के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Taiwan	..	859
6222. संगणकों (कमप्यूटरों) का निर्माण	Manufacture of Computers	..	859—860
6223. साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता	Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta	..	860
6224. पूर्वी जर्मनी और पुर्तगाल को मान्यता देना	Recognition of East Germany, Portugal	..	860
6225. तिब्बत में विद्रोह	Uprising in Tibet	..	861
6226. भारतीय नौसेना के जहाज	Indian Naval Ships	..	861
6227. राष्ट्रीय छात्र-सेना दल निदेशालय, मध्य प्रदेश	Madhya Pradesh N. C. C. Directorate	..	861—862
6228. प्रधान मंत्री के पुत्र के विवाह का समाचार	News about the marriage of Prime Minister's Son	..	862
6229. प्रतिरक्षा संस्थानों के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारी	Industrial and non-industrial employees in Defence Installations	..	862
6230. गन और शैल फैक्टरी, कोसीपुर	Cossipore Gun and Shell Factory	..	863
6231. कच्चाटीवू द्वीप	Kachchativu Island	..	863
6232. अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह पर पाकिस्तान का दावा	Pak. claim on Andaman-Nicobar Groups of Islands	..	863—864
6233. कच्चाटीवू द्वीप	Kachchativu Island	..	864
6234. फिल्मों का प्रभाव	Effects of Films	..	865

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6235.	पाकिस्तानी तकनीशनों को बुलाना	Invitation to Pakistani Technicians ..	865
6236.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें	Demands of Staff Artistes of A. I. R. ..	865—866
6237.	चटगांव में राकेट केन्द्र	Rocket Station at Chittagong ..	866
6238.	कच्छ पंचाट का विरोध	Protest against Kutch Award	866
6239.	दलाई लामा की तिब्बत के बारे में विदेशों के साथ बात-चीत	Dalai Lama's talks on Tibet with Foreign Countries ..	867
6240.	विदेशी दूतावासों द्वारा शेख अब्दुल्ला के सम्मान में स्वागत समारोह	Reception in honour of Sheikh Abdullah by Foreign Embassies ..	867
6241.	हाजी पीर क्षेत्र में पाकिस्तान की गतिविधियां	Pakistan activities in Haji Pir Area ..	867—868
6242.	विमान सम्बन्धी अनुसंधान विभाग	Department for Research in Aircraft	868
6243.	चीनी तथा तिब्बती भाषा जानने वाले प्रतिरक्षा कर्म-चारी	Chinese and Tibetan knowing Defence Personnel	868
6244.	सेना इंजीनियरी छात्रों की भर्ती	Recruitment of Engineering students in Army ..	868—869
6245.	पटियाला के निकट विमान दुर्घटना	Aircraft Accident near Patiala ..	869
6246.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमि-टेड द्वारा टेलीविजन ट्रांस-मिशन उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Television Transmission Equipment by B. E. L. ..	869—870
6247.	सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति	Soochna and Prasaran Hindi Samiti ..	870—871
6248.	युद्धपोतों के निर्माण में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in the Manufacture of Warships	871
6249.	बंगाल की खाड़ी में कोको नामक द्वीप	Island Named Koko in Bay of Bengal	871
6250.	चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए मध्य प्रदेश की योजनाएं	Scheme for Fourth Plan by Madhya Pradesh ..	872

विषय			पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6251. अमरीका से जैट विमान	Jet Planes from USA	..	872
6252. केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स का तीसरा कारखाना	Third Unit of Bharat Electronics Kerala	..	872
6253. चौथी योजना में औद्योगिक विकास के लिए केरल को धन राशि का नियतन	Allocation for Kerala for Industrial Development during Fourth Plan	..	872—873
6254. विदेशों में भारतीय विद्वानों की मांग	Demand in foreign countries of learned Men from India	..	873
6255. आकाशवाणी संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारी	Songs and Drama Division of AIR	..	873
6256. आकाशवाणी द्वारा वैदेशिक सेवाओं के लिए प्रसारण	Broadcasts of External Service by AIR	..	874
6257. साहित्यिक प्रसारण	Literary Broadcasts	..	874
6258. जवानों के बच्चों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Children of Jawans		874
6259. सैनिकों को रेल यात्रा वारंट	Rail Travel Warrants to Army Personnel	..	874—875
6260. सैनिकों के लिए पेंशन	Pension for Soldiers		875
6261. रिजर्व सैनिक	Reservist Soldiers	..	875—876
6262. महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Maharashtra	..	876—877
6263. कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन	Publication of Certain Periodicals		877
6264. 100 पैटन टैंक को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास	Pak. Efforts to secure 100 Patton Tanks	..	877—878
6265. हैवी हाइड्रोजन का पृथक्करण	Separation of Heavy Hydrogen	..	878
6266. हिन्दी अंग्रेजी और तमिल भाषा में प्रसारण कार्यक्रम	Broadcast Programme in Hindi, English and Tamil	..	878—879
6267. वैजयन्तीमाला के विवाह के समाचार का प्रसारण	News Broadcast about the Marriage of Vyjantimala		879
6268. एशियन ड्रामा नामक शोधग्रंथ	Research Work entitled Asian Drama		879
6269. भारतीय फिल्मों का सेंसर	Censorship of Indian films	..	879—880

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

6270. ट्रांजिस्टरों और डायडों की कीमतें	Prices of Transistors and Diodes	880
6271. नाइन आवर्स टू राम फिल्म	Film Nine Hours to Rama ..	880
6272. चलचित्र वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by Film Finance Corporation ..	881
6273. हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को उड्डयन उत्पादन बनाने के लिये लाइसेंस	Licence to H. A. L. for Manufacture of Aviation Products ..	881—882
6274. प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of Defence Personnel ..	882
6275. सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग	Military Lands and Cantt. Deptt. ..	882—883
6276. राज्य योजनाओं का बनाया जाना	Formulation of State Plans	883
6277. भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films	883
6278. केन्द्रीय सूचना सेवा में विभिन्न ग्रेडों की स्थायी संख्या	Permanent strength of different grades in Central Information Service ..	884
6279. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कर्मचारी संघ	Staff Associations in the Ministry of Information and Broadcasting	884
6280. राकेट, प्रक्षेपणास्त्र तथा राडार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण	Training in Rocketary, Missiles and Radar Technology ..	884—885
6281. केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पद	Posts in Different Grades of Central Information Service ..	885—886
6282. भारत में आने वाले तिब्बती लोग	Tibetans coming to India ..	886
6283. भारत में प्रदर्शित विदेशी फिल्में	Foreign Films Screened in India	887
6284. भारत में कम्प्यूटर 1401 का निर्माण	Manufacture of Computer 1401 in India ..	887
6285. भारत की विवादग्रस्त सीमायें	India's Borders under Dispute ..	888—889
6286. आकाशवाणी का टुडे इन पार्लियामेंट कार्यक्रम	A. I. R. Programme Today in Parliament ..	889

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6287. भारतीय वायु सेना के लिये राजस्थान विमान बेड़ा	Rajasthan Squadron for I. A. F. ..	889—890
6288. उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of improved varieties of Seed, Fertilisers Insecticides and Pesticides ..	890—891
6289. मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के सिविलियन अधीनस्थ कर्मचारी	Civilian Subordinate Personnel of M.E.S. ..	8 1—892
6290. पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas	892
6291. ग्राम्य तथा नगरीय क्षेत्रों का विकास	Development of Rural and Urban Areas ..	892
6292. हज यात्री	Haj Pilgrims	893
6293. पूर्वी पाकिस्तान में चीन की सांस्कृतिक मण्डली द्वारा प्रदर्शित नाटक	Drama staged by Chinese Cultural Troupe in East Pakistan ..	893—894
6294. देश में अपूर्ण परियोजनायें	Incomplete Projects in the Country	894
6295. अमरीका में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in U. S. A. ..	894
6296. मारिशस में दंगे	Disturbances in Mauritius ..	894—895
6297. सर जफरुल्ला खां की भारत विरोधी गतिविधियां	Anti Indian Activities of Sir Zafrullah Khan	895
6298. श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in Ceylon	895--896
6299. इसरायल और संयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं के बीच गोलाबारी	Exchange of Fire between Israel and Egyptian Forces	896
6301. रूसी युद्धपोतों का भारतीय पत्तनों में आना	Soviet Warships visit to Indian Ports ..	896—897
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान निलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
जोरहाट के नगर आयुक्त, श्री शाह सैयद हुसैन का पूर्वी पाकिस्तान को भाग जाना	Escape of Mr. Shah Syed Hussain, Municipal Commissioner of Jorhat to East Pakistan ..	897—89

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against Chairman of S. T. C. ..	899—901
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	901
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	901
छब्बीसवां प्रतिवेदन	Twenty-sixth Report	901
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	902
इक्तालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report ..	902
संविधान (संशोधन) विधेयक—	Constitution (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति में रिक्त स्थान भरने के लिये राज्य सभा से सिफारिश करने का प्रस्ताव	Motion to recommend to Rajya Sabha to fill vacancies in Joint Committee ..	902
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	902—927
शिक्षा मंत्रालय	Ministry of Education ..	902—921
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre ..	903
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ..	903—906
श्री बैरो	Shri Barrow ..	906—908
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal ..	908
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi ..	908—909
श्री शेर सिंह	Shri Sher Singh ..	909—910
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	910—911
श्री नरदेव स्नातक	Sari Nar Deo Snatak ..	911
श्री जनार्दनन	Shri C. Janardhanan ..	911—912
श्री बिमल कांति घोष	Shri Bimal Kanti Ghosh ..	912—913
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani ..	914
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	914—915
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	916—917
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri ..	917
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai ..	917—918
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen ..	918—920

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	..	921
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	..	921—923
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Shradhakar Supakar	..	924
समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Expansion of trade with Socialist countries	..	928—930
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	..	928
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohammed Shafi Qureshi	..	929—930
हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement re. incidents relating to Harijans	..	915
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	915
सभा का कार्य	Business of the House	..	918

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 3 अप्रैल, 1968/14 चैत्र, 1890 (शक)
Wednesday, April 3, 1968/Chaitra 14, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा के जनरल ने बिन की यात्रा

+
*1018. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के राज्याध्यक्ष जनरल ने विन मार्च, 1968 में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). बर्मा संघ की क्रांतिकारी परिषद् के अध्यक्ष जनरल ने विन ने 15 मार्च से 22 मार्च, 1968 तक श्रीमती ने विन के साथ भारत की अनौपचारिक यात्रा के इस अवसर पर आपसी हित के मामलों पर विचार-विनिमय हुआ। ऐसी बातचीत के ब्योरों को प्रकाशित करने का रिवाज नहीं है।

Shri Beni Shanker Sharma : A large number of people of Indian origin had to leave Burma recently. They are staying in India as refugees. May I know whether our Prime Minister had discussed this with the Burma's Head of State regarding compensation to be given to these refugees for the properties left by them in Burma ?

Shri B. R. Bhagat: This issue was taken up during the discussions and he assured us to take up this matter as soon as possible and to give sympathetic consideration to it.

Shri Beni Shanker Sharma: May I know whether the issue of Nagas going to China via Burma and Indian Nagas receiving help from Burmese Nagas was discussed with them; If so, the reaction of Burmese Government in respect thereto; and whether the question of claim over Narkodam island also figured during that discussion?

Shri B. R. Bhagat: The discussion with a foreign dignitary covers a long range of issues when he visits India. But all the information about them cannot be divulged in view of public interest.

श्री हिम्मतसिंहका : क्या बर्मा ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पास वाले द्वीपों पर अपना दावा जताया है।

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं।

Shri Madhu Limaye: May I know whether Government have enquired from Burma's Head of the State whether Burmese Navy have fixed the name stones in Narkodam island or somebody else has done it to create tension between Indo-Burmese relations?

Shri B. R. Bhagat: This island is in our possession and no claim is put forward by Burma for it.

Shri Madhu Limaye: I did not ask for possession.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। मंत्री महोदय केवल यह बतायें कि क्या बर्मा के प्रधान से इस विषय पर चर्चा की थी।

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों ने वहां से आने से पहले अपना सोना और जेवरात बर्मा स्थित भारतीय दूतावास में जमा करा दिये थे जो बाद में दूतावास ने बर्मा सरकार को लौटा दिए हैं। क्या इस सम्बन्ध में जनरल ने विन से कोई बात की गई है?

श्री पीलु मोडी : क्या इस धन के बंटवारे के सम्बन्ध में भी बातचीत की गई थी?

श्री स्वैल : ऐसा समाचार भी छपा था कि इस बातचीत के दौरान भारत और बर्मा सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा दीर्घा संयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। क्या यह सच है?

श्री ब० रा० भगत : इस खबर में कोई सचाई नहीं है।

Shri Shiv Chandra Jha: May I know whether the border dispute was also discussed during these talks?

Shri B. R. Bhagat: There is no border dispute between India and Burma. It is only a question of appointing a boundary commission in accordance with a border agreement concluded between India and Burma.

श्री वेदव्रत बरुआ : भारत-बर्मा सीमा पर संयुक्त रूप से गश्त करने के सम्बन्ध में क्या कोई निश्चित रूप से निर्णय किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : संयुक्त रूप से गश्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हेम बरुआ : हमारे देश से नागा बर्मा के कचीन क्षेत्र से होकर चीन जाते हैं । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रधान मन्त्री ने इस समस्या को ध्यान में रखकर जनरल ने विन से सीमा को सील करने के बारे में कोई चर्चा की थी ; यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संयुक्त रूप से ऐसी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है । सीमा को सील करने का हम अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : पूर्ण प्रयास के बाद भी भूमिगत नागा नेता चीन आते जाते हैं ।

Shri Sitaram Kesri: Gen. Ne Win visited India in view of the fact that 20 or 25 thousand Chinese troops have concentrated on Burma's northern borders, where they are giving training to Indian hostile Nagas. May I know whether this topic was also included in discussions?

Shri B. R. Bhagat: It is wrong to say that he visited India due to this. He came here on a good-will visit.

Shri Sarjoo Pandey: The Minister has just said that Burma's Government had given assurance to the effect that people of Indian origin will not be compelled to return to India in future. But still such people are coming to India. What steps the Government are taking in this regard?

Shri B. R. Bhagat: I did not say it. I told about the properties left by such people in Indian Embassy in Burma. Secondly, the people, who are not the citizens of Burma, will have to return to India and we give all possible facilities to them for their rehabilitation.

श्री पीलु मोडी : प्रश्नों के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जनरल ने विन के साथ किसी भी विषय पर बातचीत नहीं की है ।

Extradition of Dr. Dharma Teja

*1019. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the result of the action taken in regard to the extradition of Dr. Dharma Teja from Costa Rica or any other country;

(b) whether it is a fact that due to the anomalies committed or negligence shown by Government, Costa Rica Government have refused to hand over Dr. Dharma Teja to the Government of India;

(c) whether any other country has decided to grant asylum to Dr. Teja; and

(d) if so, the action being taken by the Government of India in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government of India preferred a formal request on 18th March, 1968, to the Costa Rican Government for the extradition of Dr. and Shrimati Dharma Teja. The matter is under consideration of that Government.

(b) No, Sir.

(c) Government of India have no information about any country having decided to grant asylum to Dr. Teja.

(d) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : This matter has been pending for the last two years. Dr. Dharma Teja has gone out of our Government's hands due to the anomalies committed by our Government. But we should punish them who are responsible for the anomalies or irregularities. Last time the Minister for Transport gave a statement which contained contradictory statements.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए ।

Shri Madhu Limaye : May I know the reason why the Finance Secretary and the Director of Enforcement Directorate were not invited to a meeting held in this connection at Sri Gulzarilal Nanda's residence. While the Enforcement Directorate have itself asked about the action which could be taken against Dharma Teja ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री मधु लिमये : यह कहना गलत है कि प्रश्न असंगत है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात भी सच हो सकती है। परन्तु मूल प्रश्न तो कोस्टारिका में डा० धर्म तेजा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में था तथा उससे आगे पूछा गया है कि क्या किसी अन्य देश ने उसे संरक्षण दिया है ।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप सभा में किसी अन्य तरीके से पूछ सकते हैं । प्रश्न काल में आप डा० धर्म तेजा से सम्बन्धित सब प्रश्न न पूछ सकेंगे, क्योंकि उसका एक बड़ा इतिहास है ।

Shri A. B. Vajpayee : The main question is : whether the Costa Rican Government have not handed over Dr. Dharma Teja to Government of India due to some wrong action of Government of India.

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether a thorough enquiry will be instituted into the case of Dr. Teja or whether a Parliamentary Committee will be appointed for the purpose.

Shrimati Indira Gandhi : Government have taken all necessary steps in the matter. Now there is no need of further enquiry into it.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे डा० धर्म तेजा कोस्टारिका से किसी अन्य देश में न भाग जाये, जैसे वह अमरीका से प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान कोस्टारिका भाग गया था ? क्या सरकार की लापरवाही के कारण कोस्टारिका सरकार ने इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमने इस सम्बन्ध में कोस्टारिका की सरकार से सम्पर्क किया था और उसने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे डा० तेजा कोस्टारिका से किसी अन्य देश में न भाग जाये।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is a fact that the Costa Rican Government have refused to extradict Dr. Teja and his wife ; if so, whether the Government of India will exercise any pressure on the Government of Costa Rica to send them back to India ?

Shri Surendra Pal Singh : It is not correct that the Costa Rican Government have refused to extradict them. They have given us permission to institute extradiction proceedings against Dr. Dharma Teja. According to the law of that country we have sought the advice of the Supreme Court of that country. Further action in the matter will be taken on the basis of advice or decree of the supreme Court of Costa Rica ; after it has been received therefrom.

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार स्पष्ट शब्दों में ऐसी घोषणा करेगी कि जो देश इस प्रकार से भागने वाले भारतीय को शरण देगा उसे भारत अपना मित्र नहीं समझेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमने सब मित्र देशों तथा कोस्टारिका के पड़ोसी देशों की सरकारों को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया है कि डा० तेजा और उसके परिवार वालों के पारपत्र आदि रद्द कर दिये गये हैं तथा उनके पास वैध यात्रा पत्र नहीं हैं। उनसे यह अनुरोध भी कर दिया गया है कि वे डा० धर्म तेजा को अपने देशों में न घुसने दें। उन सभी देशों ने इसके लिए आश्वासन भी दिया है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या यह सच है कि कोस्टारिका में प्रत्यर्पण की कार्यवाही डा० तेजा के पक्ष में जा रही है और कोस्टारिका की सरकार ने उसे लौटाने सम्बन्धी भारत की प्रार्थना को ठुकरा दिया है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार उसे भारत वापस लाने के लिये कुछ अन्य कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य की बात गलत है। डा० धर्म तेजा के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, और अब यह मामला कोस्टारिका के उच्चत्तम न्यायालय में है जिसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : क्या भारत सरकार ने कोस्टारिका की सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह डा० धर्म तेजा को अन्तिम निर्णय होने तक गिरफ्तार कर ले ? क्या कोस्टारिका की सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने ऐसा अनुरोध किया था और वहां के अधिकारियों ने इस बात का आदेश भी जारी कर दिया था। परन्तु वहां के उच्चत्तम न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया और फिर उन्होंने राजनीतिक शरण के लिये आवेदन कर दिया था।

Shri O. P. Tyagi : The American Government also gave the similar assurance. How he escaped from America? Now what is the guarantee that he will not escape from Costa Rica inspite of their assurance to this effect.

Shri Surendra Pal Singh : The American Government can tell it in a better way. Secondly it is for the Costa Rican Government to see in what way they can fulfil their assurance.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भारत सरकार के लिये यह उचित होगा कि उसे मकाओ नामक स्थान पर बसा दिया जाये, क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय ठगों के लिये उपयुक्त स्थान है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : किन-किन देशों में डा० धर्म तेजा शरण लेने में कामयाब हो सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी देना चाहती हूं। डा० धर्म तेजा 4 जून, 1966 को भारत से रवाना हो गया था। 4 अगस्त, 1966 को सुक्थंकर समिति का प्रतिवेदन आया और जिसके आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। जैसे ही हमें पता चला कि डा० धर्म तेजा कोस्टारिका में हैं, तैसे ही वहां श्री बनर्जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये भेजा गया। उनके प्रयत्न के बाद सरकार ने अक्टूबर 1967 में उनके यात्रा-पत्र रद्द कर दिये और अमरीका से प्रत्यर्पण तक उसके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिये। बाद में उन्होंने उच्चत्तम न्यायालय में अपील की जिसका हमारे प्रतिनिधि ने कड़ा विरोध किया। कोस्टारिका नगर प्राधिकार को मनाने के लिये हमारा प्रतिनिधिमण्डल दूसरी बार वहां गया कि वे तेजा दम्पत्ति को भागे हुए अपराधी समझें और उन्हें कोई राजनीतिक शरण न दें। जनवरी, 1968 में कोस्टारिका सरकार ने राजनीतिक शरण के लिये तेजा दम्पत्ति की प्रार्थना अस्वीकार कर दी और उन्हें 30 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। इससे वे लोग अपनी मर्जी के देश में जा सकते थे, इसलिये उस देश के कानून के अन्तर्गत वहां की सरकार से उन्हें भारत भेजने के लिये औपचारिक प्रार्थना की गई है और मामले पर अभी विचार हो रहा है। जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया पड़ोसी देशों को सतर्क करने के लिये अतिरिक्त उपाय किये गये हैं। हमारा विश्वास है कि कोस्टारिका सरकार ने भी कुछ उपाय किये हैं।

श्री कमलनयन बजाज : अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कोस्टारिका सरकार को शरण देने का अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोस्टारिका सरकार अपने कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक राजनीतिक शरण देने का सम्बन्ध है, कोस्टारिका

सरकार ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है । स्वदेश लौटाने के सम्बन्ध में कोस्टारिका में वहां के कानून के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

श्री हेम बरुआ : कोस्टारिका सरकार ने डा० धर्म तेजा को जब देश छोड़ने का आदेश दिया तो उसी समय भारत सरकार ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दिया ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोस्टारिका में जाकर हम उनको गिरफ्तार करें ।

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राजनैतिक दलों के नेताओं से भेंट

*1020. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का दौरा करने वाले किसी विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति को केवल समान विचारों में निष्ठा रखने वाले राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ एकान्त में बातचीत, जैसी कि रूस के प्रधान मंत्री ने अपने पिछले दौरे में भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं के साथ की थी, हमारे देश के राष्ट्रीय हित में ठीक है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है कि भारत का दौरा करने वाले किसी विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ केवल कुछ भारतीय राजनैतिक दलों के नेताओं की एकान्त में ऐसी भेंट न हो ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत अथवा विदेशों में भारतीय राजनैतिक दलों के नेताओं की विदेशी गण्यमान्य मित्रों के साथ बातचीत को सरकार राष्ट्रीय हित के विरुद्ध नहीं समझती।

(ख) इसलिए सरकार ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं समझती ।

श्री समर गुह : क्या सरकार सभी देशों को शिष्ट तरीके से यह कहेगी कि किसी भी विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जब वह सरकार का अतिथि बन कर देश का दौरा कर रहा हो, इस देश के किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ राजनीतिक भेंट करके, भारत सरकार की स्थिति खराब नहीं करनी चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते । हम इसे आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विवेक पर छोड़ते हैं और आशा करते हैं कि वे भारत सरकार को उलझन में डालने की कोई बात सोचते भी न होंगे ।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साम्यवादी दल के 'न्यू एज' 'कालान्तर' तथा अन्य समाचार पत्रिका 'सोवियत भूमि' की 14 भारतीय भाषाओं में 1,20,000 प्रतियां तथा प्रतिवर्ष 25,00,000 राजनीतिक पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि भारत के राजनीतिक दलों को विदेशों द्वारा धन दिये जाने के सम्बन्ध में

इस सभा में अनेक बार चिन्ता व्यक्त की गई है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि साम्यवादी दल सहित किसी भी भारतीय राजनीतिक दल के किसी भी प्रेस द्वारा······कोई कानूनी कार्यवाही करेगी············

श्री वासुदेवन नायर : क्या इस देश के राजनीतिक दलों का इस सभा में इस प्रकार अपमान किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है कि माननीय सदस्य लिखित प्रश्न पढ़ें। इस प्रकार तो इस सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर पर ही अनुपूरक प्रश्न आधारित होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि उन्होंने प्रश्न की सूचना दी है, इसलिये स्वभावतः वह अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये तैयार होकर आते हैं। यदि उनका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है, तो आप उनको डांट सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्बन्ध में है, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री समर गुह : मैंने जो कुछ भी कहा है वह तथ्यों पर आधारित है और मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं। आप मुझे मेरे दूसरा प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा वह सत्य हो सकता है, मुझे इससे इन्कार नहीं है। किन्तु यह प्रेस सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। अतः मैं इसे पूछने की अनुमति नहीं देता।

श्री समर गुह : 'सोवियत रिव्यू' में प्रकाशित इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चर्चा के दौरान इस विषय पर भी बातचीत की गई थी कि लाखों की संख्या में सभी रूसी 'लीफलैट,' पुस्तिकाएं और साहित्य भारत में साम्यवादी दल के 'न्यू एज' 'कालान्तर' और अन्य मुद्रणालयों में छापे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय के पास इनकी जानकारी है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta: May I know whether the Government had prior knowledge of the meeting between the Soviet Prime Minister and Shri Dange, if so, who gave that information? Secondly, is it a fact that the Food Minister Shri Jagjiwan Ram had a prior engagement with the Soviet Prime Minister, but the same was cancelled to facilitate an exclusive interview with Shri Dange? Thirdly, have the Government evolved a protocol regarding the visits of foreign dignitaries?

Shri B. R. Bhagat: We were not consulted beforehand regarding the meeting between Shri Kosygin and the Communist Party leaders although we had the information.

Shri Kanwar Lal Gupta : Who gave this information ?

Shri B. R. Bhagat : But no engagement had been cancelled to facilitate that meeting. Ours is a free country and there are no restrictions on our guests to meet any people. This is a reciprocal arrangement with foreign countries and it does not apply to unfriendly countries.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रश्न पर तो कोई मतभेद नहीं है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति इस देश में हमारे मित्रों और लोगों से जैसे चाहें मिल सकते हैं और इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। चूंकि वह एक सरकारी अतिथि थे, इसलिए क्या इन मित्रों से भेंट के इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा निश्चित किये गये कार्यक्रम में शामिल किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं 'नहीं'।

श्री शान्ति लाल शाह : जब किसी देश का प्रमुख इस देश का दौरा करता है, तो वह अपने देश के राष्ट्रिकों से जैसे चाहे मिल सकता है, किन्तु क्या यह उचित है कि वह इस देश के राष्ट्रिकों से सरकार की जानकारी के बिना मिले ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को इस देश में कुछ दलों, विशेष रूप से प्रजा समाजवादी दल के नेताओं और कुछ विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच हुई बैठकों की जानकारी है.........

श्री क० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह प्रश्न संगत नहीं है। आप इसकी अनुमति कैसे दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न तो सुनने दीजिये।

श्री वासुदेवन नायर : प्रजा समाजवादी दल के नेता स्वयं यह दावा करते हैं कि ब्रिटेन में विलसन की तथाकथित समाजवादी सरकार से उनको आध्यात्मिक प्रेरणा मिल रही है। यह आप.........

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सब निराधार है।

श्री हेम बरुआ : नहीं, नहीं। हमने ऐसा कब कहा था ? यह हमारे दल का अपमान है। हमारे दल ने कभी ऐसा नहीं कहा है। यह सब बकवास है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

इसराइल द्वारा भारतीय समवायों का बहिष्कार

*1021. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा मध्य-पूर्व विवाद में अरबों का समर्थन किये जाने के कारण क्या उन समवायों का इजराइल द्वारा बहिष्कार किया गया है, जिनके साथ भारत का संबंध है ; और

(ख) क्या इजराइल के साथ भारत के व्यापार पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो कितना ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय अखबारों की खबरों के अलावा भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि पश्चिम एशियाई संकट में भारत के रवैये के कारण इसराइल ने भारतीय कंपनियों का बायकाट कर दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा यूगोस्लाविया के एक समाचार-पत्र को दिया इन्टरव्यू पढ़ा है जिसमें उन्होंने गुट-निरपेक्षता की नीति को फिर से दोहराया है ? इसराइल सम्बन्धी इस विशिष्ट मामले के सन्दर्भ में क्या मैं उन्हें सूचित कर दूं कि यूगोस्लाविया ने न केवल इसराइल के साथ अपनी व्यापार-सन्धि की अवधि को आगे बढाया है बल्कि वह तेल अबीब में अपना सरकारी व्यापार-ब्यूरो भी चला रहा है ? इस तथ्य की दृष्टि से कि मंत्री महोदय को ऐसे महत्वपूर्ण मामले में भी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसका प्रभाव यहां आयोजित किए जा रहे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के उद्देश्य पर भी पड़ता है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह उन राजनयिक सम्बन्धों के बारे में हुई पहली परम्पराओं से सहायता क्यों नहीं लेते ? वह इसराइल में एक राजदूत भेजकर जानकारी प्राप्त करें । मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं । यह एक गम्भीर मामला है ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुख्य प्रश्न इसराइल के साथ व्यापार के बारे में है । इसराइल के साथ व्यापार करने के बारे में हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : यूगोस्लाविया ने अपने राजनयिक सम्बन्ध तो तोड़ लिए हैं परन्तु उनका वहां एक सरकारी व्यापार ब्यूरो है । इसकी जानकारी प्रधान मंत्री तथा मंत्री महोदय को भी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न इसराइल के साथ व्यापार के सम्बन्ध में है । उदाहरणार्थ भारत पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापार करता है । माननीय सदस्य इसराइल के साथ व्यापार के बारे में प्रश्न पूछें ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या वे इसराइल में तेल अबीब के स्थान पर व्यापार करने को तैयार हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमने इसराइल के साथ व्यापार के बारे में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं, तथा इसराइली और भारतीय दलों के मध्य व्यापार हो रहा है ।

श्री म० ला० सोंधी : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं । भारतीय प्रायः यूगोस्लाविया से प्रेरणा लेते हैं या उनसे मैत्री रखते हैं । यूगोस्लाविया के इसराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं है और इससे अरब लोग संतुष्ट हैं, परन्तु उसका वहां एक व्यापार-ब्यूरो है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पहले तो मैं यह बताना चाहती हूं कि हम यूगोस्लाविया राष्ट्र तथा सरकार का बहुत आदर करते हैं। फिर भी जो कुछ वे करते हैं उसका हमसे सम्बन्ध नहीं है। बिना इसकी चिन्ता किए कि यूगोस्लाविया अथवा अन्य कोई देश क्या करता है, यह निर्णय करना हमारा काम है कि हमें क्या करना है। इस समय ऐसा कुछ करने का कोई विचार नहीं है। परन्तु जैसा कि उप मंत्री महोदय ने बताया है, हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है तथा सब समवाय इसराइल के साथ व्यापार करने को स्वतंत्र हैं।

श्री क० लकप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह जानकारी इकट्ठा कर ली है कि इसराइल ने, इसराइल के साथ व्यापार करने वाले कितने समवायों का बहिष्कार किया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अपने मुख्य उत्तर में मैंने अभी बताया है कि हमारी जानकारी के अनुसार इसराइल ने किसी भी भारतीय समवाय का बहिष्कार नहीं किया है।

Shri A. B. Vajpayee: The Hon'ble Minister has just now stated that the private companies of India can have trade with Israel if they so desire. Is the Hon. Minister aware that the office of the Arab League in India has threatened the blacklisting of those Indian companies who indulge in trade with Israel? The threat is that those companies will not he allowed to have trade with the Arab countries. Are you aware of that?

Shri Surendrapal Singh: No Sir; but even if it were so, Indian companies have trade with them.

Shri A. B. Vajpayee: The answer is not complete.

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह नहीं जानते।

Shri A. B. Vajpayee: He may reply that he will find it out.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हर देश को अपनी नीति के बारे में निर्णय करने का अधिकार है।

श्री रंगा : अभिप्राय यह नहीं है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री को अपना उत्तर स्पष्ट करना होगा। अरबों का यहां एक कार्यालय है तथा वह धमकी देता है कि इसराइल के साथ व्यापार करने वाले समवायों को काली-सूची में रखा जाएगा। क्या यह सत्य है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह यह नहीं जानते।

श्री रंगा : इसीलिए तो प्रधान मंत्री का उत्तर ठीक किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इसकी पड़ताल करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम किसी समवाय को काली-सूची में नहीं रख रहे हैं। बताया जाता है कि कोई और ऐसा कर रहा है क्योंकि वह उन समवायों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता।

श्री रंगा : वे हमारे ही घर में हमें ऐसी धमकी नहीं दे सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत सरकार इस बात की कैसे अनुमति देगी कि अरब लीग हमारी ही भूमि पर भारतीय समवायों को ब्लैक-लिस्ट करे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : स्पष्ट है कि कोई भी देश अपने साथ व्यापार करने वालों के साथ कुछ भी तय कर सकता है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब स्थिति बड़ी स्पष्टता से समझ में आ गई है ; कम से कम मैं इसे समझ गया हूं । जहां तक यह प्रश्न है कि क्या अरब लीग ने यह घोषणा की है कि वह इसराइल से व्यापार करने वाले भारतीय समवायों को ब्लैक-लिस्ट करेगी, तथा क्या इसमें भारत सरकार की सहमति है, तो इसका उत्तर दिया गया है कि केवल भारत सरकार ही ब्लैक-लिस्ट कर सकती है । मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा वह इस सम्बन्ध में पड़ताल करेंगे ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि उसके पास इस बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी है कि जिन अमरीकी समवायों ने जोर्डन को इसराइल से लड़ने के लिए टैंक, विमान और तोपें दीं उनसे व्यापार करने पर इसराइल ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चं० चु० देसाई : यदि यह सिद्ध हो जाये कि अरब लीग ने भारतीय समवायों को सूचना दी है कि यदि वे इसराइल से व्यापार करेंगे तो उनको ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा ; तो क्या सरकार इस लीग को हटाने के लिए कार्यवाही करेगी जिसको कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध राजनयिक पदवी दे रखी है ? क्या सरकार इस लीग को यहां से हट जाने के लिए कहेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं । पहले तो यह एक काल्पनिक प्रश्न है । दूसरे, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि यदि कोई देश यह निर्णय करता है कि वह अमुक समवायों से व्यापार नहीं करना चाहता ......।

श्री चं० चु० देसाई : यहां रहते हुए भी क्या यह लीग ऐसा कर सकती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई भी देश यह निर्णय कर सकता है कि वह अमुक समवायों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता । वे हमें यह नहीं कह रहे कि हमें उन समवायों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ; उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । परन्तु यह निर्णय वे अवश्य कर सकते हैं कि वे स्वयं किससे व्यापार करें । यदि अरब लीग इसराइल से व्यापार करने वाले समवायों के साथ व्यापार नहीं करना चाहती तो यह निर्णय करना उसका काम है, हमारा नहीं ।

श्री चं० चु० देसाई : इस देश के आतिथ्य का दुरुपयोग करने वाली अरब लीग को दण्ड क्यों न दिया जाए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं। आतिथ्य का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को विदित है कि इसराइल के एक मंत्री जब भारत आये तो उन्होंने जनसंघ के कुछ नेताओं के साथ शाम का भोजन किया तथा यह भारतीय पत्रों में छपा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सायंकालीन भोजनों के दौरान, इन नेताओं तथा उन मंत्री महोदय के मध्य भारत के साथ व्यापार तथा अन्य विषयों के बारे में चर्चा हुई ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*1022. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री का विचार उस सम्मेलन में कौन-कौन से विशिष्ट मामले उठाने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार को लंदन में राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिये, प्रधान मंत्री के आमंत्रित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Shiv Chandra Jha: Mr. Speaker, the Hon. Minister has just now stated that he is not aware as to when the Commonwealth Prime Minister's Conference would be held and whether any invitation would be received, or not. But generally we expect that such an invitation will not be turned down and India will be represented there. I want to know that if she goes there whether the Hon. Prime Minister would present her case in regard to Britain's taking drastic action against Rhodesia.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि यह सम्मेलन होगा भी कि नहीं, यदि होगा तो उसकी कार्य सूची क्या होगी और उसके किन विषयों पर चर्चा होगी। यदि निमंत्रण आया तो निश्चय ही हम अपनी बात वहां कहेंगे।

Shri Shiv Chandra Jha: Racial discrimination is going on in England and particularly the Indians are being bycotted. Recently there was a news-item in the **Statesman** that an Indian went there with a passport but in spite of his reaching the aerodrome he was not allowed to see his father. I want to know whether, or not, she would present her case in regard to such a discrimination against the Indians there?

श्री कण्डप्पन : जो कुछ रोडेशिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों आदि में हो रहा है उसके कारण राष्ट्रमंडल से हमारे सम्बन्ध अधिकाधिक खराब होते जा रहे हैं, तथा इस देश में यह भावना बढ़ती ही जा रही है कि हमें राष्ट्रमंडल से अपने सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : क्यों ?

श्री कण्डप्पन : सरकार ने बताया है कि हमें आवेश में आकर कार्य नहीं करना चाहिये ; यह एक बड़ा मामला है तथा इससे अनेक देश सम्बन्धित हैं और न कि केवल ब्रिटेन । इस दृष्टि से क्या सरकार राष्ट्रमंडल को उपयोगी बनाने के लिये अन्य देशों से बातचीत आरम्भ करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु इस पर विचार अवश्य किया जा सकता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सत्य है कि राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में कोई विशेष कार्य-सूची नहीं होती तथा भाग लेने वाले सब प्रधान मंत्री बिना किसी पक्के निष्कर्ष अथवा निर्णय पर पहुंचे, अपनी-अपनी ही कहते जाते हैं ? यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या लाभ है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक प्रकार का मिल-बैठना तथा विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करना है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या ऐसी कोई परम्परा है कि राष्ट्र-मंडल का कोई भी सदस्य-देश प्रधान-मंत्रियों की बैठक बुला सकता है ? यदि हां, क्या हमारी प्रधान मंत्री ऐसी बैठक बुलाने के बारे में कार्यवाही आरम्भ करेंगी ताकि रोडेशिया, कीनिया स्थित भारतीयों की समस्याओं आदि पर बातचीत की जा सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से, वे ऐसी किसी बैठक का सुझाव दे सकते हैं और फिर सबकी सलाह ले ली जायेगी । हमारे सामने ऐसी बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस असमानता को देखते हुए कि कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों ने बड़े न्यायोचित आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये है ; क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री यह फिर भी कैसे आशा कर सकती हैं कि अपने आप ब्रिटेन से किसी विषय पर बातचीत करके कोई लाभप्रद परिणाम निकाल सकेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से, मैंने तो ऐसी बातचीत से लाभप्रद परिणामों की कल्पना नहीं की, मैंने तो यही कहा है कि हमने इस मामले पर विचार व्यापक दृष्टिकोण रख कर करना है तथा यह देखना है कि राष्ट्रमंडल छोड़ देने से क्या हमें कुछ लाभ होना है ।

फिल्म सेंसरशिप

*1023. **श्री रवि राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसरशिप के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्य क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के लिये जो वर्तमान नियामक पद्धति, कानून और कार्यविधि है उनका पुनर्विलोकन करने के लिये एक जांच समिति बनाई है ताकि जहां आवश्यक हो, वहां समिति अपनी सिफारिशें दें। समिति का कार्य विषय इस प्रकार होगा :

1. समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनता में दिखाई जाने वाली फिल्मों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. वर्तमान नियामक कार्यविधि के अन्तर्गत, भारत में फिल्मों की, कलात्मक विषय और स्वस्थ सार्वजनिक अपील से सम्बन्धित, दशा का अध्ययन करना।
3. देश में भारतीय और विदेशी फिल्मों को दिखाने के लिये प्रमाण-पत्र देने के लिये जो वर्तमान कानून और कार्यविधि है उनका अध्ययन करना।
4. ऊपर के अध्ययनों के आधार पर निम्न उद्देश्य से वर्तमान सेन्सरशिप कानून और कार्यविधि में सुधार के लिये उपायों की सिफारिश करना ताकि :

   (क) सामाजिक व्यवहार और व्यवस्थाओं में समकालीन रुखों के अनुरूप और लोगों की भावात्मक और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरी करने में भारतीय फिल्में एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य कर सकें।

   (ख) फिल्म उद्योग और नियामक संगठन के बीच इस प्रकार के निकट सम्पर्क को प्रोत्साहन मिल सके जिससे उच्च कलात्मक, मनोरंजन के उच्च स्तर और स्वीकृत और नैतिक स्तर की फिल्मों के निर्माण/प्रदर्शन में सहायता मिले।

   (ग) ऐसी फिल्मों को निर्माण/दिखाने पर रोक लग सके जो जन-रुचि के विरुद्ध हों।

समिति की रचना निम्न प्रकार है :

अध्यक्ष

श्री जी० डी० खोसला, आई० सी० एस० (रिटायर्ड), भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पंजाब

सदस्य

1. श्री लोक नाथ मिश्र, संसद् सदस्य (राज्य-सभा)
2. श्री एम० पी० भार्गव, संसद् सदस्य (राज्य-सभा)
3. श्री एस० के० वैशम्पायन, संसद् सदस्य (राज्य-सभा)
4. श्री पी० वेंकटासुब्बया, संसद् सदस्य (लोक-सभा)

5. श्री नाथ पाई, संसद् सदस्य (लोक-सभा)

6. श्री आर० डी० भंडारे, संसद् सदस्य (लोक-सभा)

7. श्रीमती शारदा मुकर्जी, संसद् सदस्य (लोक-सभा)

8. श्री करणी सिंह, संसद् सदस्य (लोक-सभा)

9. श्री के० ए० अब्बास

10. श्री आर० के० नरायन

11. पद्मश्री श्रीमती नरगिस

12. श्री तपन सिन्हा

13. श्री ए० वी० मयापन

14. श्री रमेश थापर

15. श्री उमाशंकर जेठालाल जोशी

16. केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष

17. उप सचिव (फिल्म)—सदस्य सचिव ।

समिति तुरन्त कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है । जब उत्तर बहुत लम्बे हों, तो कभी-कभी यह अच्छा होता है कि उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाये ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में फसलों को नुकसान

+

अ० सू० प्र० संख्या 16. **श्री समर गुह :**
श्री श० ना० माइती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में एक फसल का लगभग दो-तिहाई भाग गत अक्तूबर की बाढ़ में पूर्णतया नष्ट हो गया था, जिससे वहां के लगभग दस लाख निवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ा था ;

(ख) क्या बाढ़ के कारण लगभग 65,000 मकान तथा 500 स्कूल इमारतें या तो गिर गई थीं अथवा इतनी क्षतिग्रस्त हो गयीं थीं कि उनकी मरम्मत नहीं हो सकती थी ;

(ग) क्या गत अभूतपूर्व बाढ़ के पश्चात् कंटाई क्षेत्र में खाद्य का भारी संकट और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां रहने वाले अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी है ;

(घ) क्या गत दिसम्बर के पश्चात् वहां पर सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी सहायता-कार्य बन्द कर दिये गये हैं ;

(ङ) क्या भारी संख्या में पशुओं के मर जाने, चारा न मिलने तथा कृषि अर्थ-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण इस अन्यथा बाहुल्य वाले क्षेत्र में आगामी खेती के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या ऐहतियाती उपाय करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सितम्बर, 1967 में बाढ़ से कंटाई सब-डिवीजन में 2,18,430 एकड़ क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई थीं। प्रभावित जनसंख्या 5,42,000 थी।

(ख) पता चला है कि कंटाई सब-डिवीजन में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 32,040 है।

(ग) यद्यपि बाढ़ के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संकट की स्थिति पैदा हो गयी थी लेकिन सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा तुरन्त एवं प्रभावशाली ढंग से सहायता सम्बन्धी कार्य करके स्थिति पर काबू पा लिया गया था। न ही कोई भारी खाद्य संकट अथवा भुखमरी की स्थिति पैदा हुई थी और न ही प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से कोई मौत हुई है।

(घ) जी नहीं। जहां आवश्यक समझा गया है वहां पर सहायता सम्बन्धी कार्य चलाए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). जी नहीं। राज्य सरकार ने खेतिहरों को खेती-सम्बन्धी कार्य पुनः शुरू करने के लिये बीज, पम्प सैट और उर्वरक और मवेशी खरीदने के लिये ऋण आदि देकर पर्याप्त उपाय किये हैं।

श्री समर गुह : साधारणतया सरकार यह स्वीकार ही नहीं करती कि भुखमरी से कोई मृत्यु हुई है। मेरे पास ऐसे मरने वाले 24 व्यक्तियों की प्रमाणित सूची है और मैं उसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में मंत्री महोदय को दे दें। अब आप प्रश्न करें।

श्री समर गुह : मैंने मंत्री महोदय से इस सूची को प्रमाणित कराने के लिये प्रार्थना की थी। क्या यह सरकार के लिये सम्भव है कि वह कंटाई के समस्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, मिदनापुर जिले के अन्य भागों से आने-जाने वाली खाद्य-सामग्री पर से सब प्रतिबन्ध हटा ले। सस्ते जलपान-गृह एवं दलिया-रसोईघर खोलने के लिए केन्द्र की ओर से खाद्य सामग्री का विशिष्ट यथांश देगी, और जो आदमी राजी हों उन्हें प्रतिदिन के काम के लिए एक रुपया नगद और दो किलो खाद्य-सामग्री देकर उनके लिए राहत-कार्य जुटायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मिदनापुर जिले के कंटाई डिवीजन में लोगों के कष्टों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की चिन्ता में हम भागीदार हैं। माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूची को हमने राज्य सरकार के पास भेज दिया है और राज्य सरकार ने हमें अभी तक यह नहीं बताया है कि भुखमरी से वहां मौतें हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा आगे की जांच की हम प्रतीक्षा में हैं। राज्य सरकार ने राहत देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक केन्द्रीय दल भी भेजा गया था तथा उस दल ने राज्य सरकार को 1.65 करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश की थी, और वास्तव में, एक करोड़ रुपये तो पहले ही राज्य सरकार ने राहत देने के उपाय करने के लिये दे दिये गये हैं। जहां तक खाद्यान्न का जिलों के अन्दर आना-जाना है, यह राज्य सरकार के कार्य के अन्तर्गत है तथा राज्य सरकार इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखती है। यदि राज्य सरकार समझती है कि ये प्रतिबन्ध हटा दिये जाने चाहिये, तो हम बाधा नहीं बनेंगे।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य है कि उस क्षेत्र का दौरा करने वाले योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये पर्याप्त केन्द्रीय उपदान में से खर्च करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध, पश्चिम बंगाल सरकार को सस्ते जलपान-गृहों, दलिया-रसोईघरों तथा विद्यार्थियों द्वारा ही बाढ़ द्वारा टूटे स्कूलों के निर्माण पर, धन खर्च करने से रोकते हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार उन सब प्रतिबन्धों को हटा लेगी तथा पश्चिम-बंगाल सरकार को इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्स्थापन के कार्यों के लिये, केन्द्रीय उपदान राशि में से यथेष्ट ढंग से धन खर्च करने की अनुमति देगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें नहीं बताया है कि राहत कार्यों आदि के लिए धन खर्च करने में उसे कोई कठिनाई हो रही है। उस क्षेत्र का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने संकेत दिया है कि 25 लाख रुपये औपचारिक राहत के लिये, 25 लाख रुपये सस्ते जलपान-गृहों तथा राहत-कार्यों के लिये, 2 लाख रुपये रियायती दामों पर चारा देने के लिये, 30 लाख रु० का अनुदान टूटे मकानों की मरम्मत के लिये, एक लाख रुपये औषधियों के लिये, 3 लाख रुपये प्रतिदिन के खर्च के लिये, 10 लाख रुपये गृह-निर्माण हेतु ऋण देने के लिये, 11 लाख रु० पशु-क्रय हेतु ऋण देने के लिए तथा 55 लाख रुपये कृषि-कार्यों हेतु ऋण देने के लिये, उसे दिये जायें। यदि कोई विशेष कठिनाई आती है तो हम उनकी जांच करने को तैयार हैं।

श्री श० ना० माइती : क्या सरकार को मालूम है कि कंटाई सब-डिवीजन से लगते सेबोंग तथा पिंगला क्षेत्रों में भी पिछली बाढ़ के कारण इतना ही नुकसान हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार उन क्षेत्रों को इस वर्ष कृषि योग्य बनाने की दृष्टि से यथोचित राहत और पुनर्वास के उपायों के लिये कदम उठायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राहत आदि कार्यों के बारे में उपाय करने के लिये राज्य सरकार को पूरे अधिकार प्राप्त हैं। वित्त आयोग ने सहायता के लिये निश्चित मुआवजा तय कर रखा है। प्रायः केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण

के रूप में दिया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना होता है। मेरे विचार से, राहत देने के लिये राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है।

डा० मैत्रेयी बसु : सरकार की दृष्टि में भुखमरी से मृत्यु की क्या परिभाषा है तथा भुखमरी के क्या चिह्न थे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका निर्णय तो विभिन्न व्यक्ति विभिन्न ढंग से करते हैं। इस बारे में हमें तो राज्य सरकार की जांच पर निर्भर रहना पड़ता है कि भुखमरी से मौतें हुई हैं अथवा नहीं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में तट आदि निर्माण जैसे परीक्षण राहत-कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हां जी, किये जा रहे हैं।

Shri Rabi Ray : President's Rule is promulgated in West Bengal. I want to know from the Hon. Minister whether Contai areas were included in Shri Jagjiwan Ram's tour programme and he had had an intention to go there, during his visit to Calcutta? Did he go there when about one million people were suffering due to floods ? If not why did not he go there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह कलकत्ता अवश्य गये तथा वहां जाने की उनकी इच्छा भी थी। वहां जाना उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था।

Shri Rabi Ray : He should have gone there.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कंटाई लोगों के लिये हमारे दिल में पूरी तरह सहानुभूति है।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि बाढ़ के कारण उड़ीसा के कंटाई जिले तथा मिदनापुर और बालासोर जिलों के अनेक भागों में बान्ध और किनारे टूट-फूट गये हैं, तथा इस सत्य के कारण कि देश के उस भाग में कृषि उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ा है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन बान्धों तथा तटों को पुनः यथावत करने तथा मरम्मत करने के लिये क्या उपाय कर रही है ताकि उन क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उन्नति हो ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं एक केन्द्रीय दल ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था तथा उसने भूमि और फसलों की हानि सहित अनेक पहलुओं पर जांच की थी और उन्होंने हानि को पूरा करने की खातिर स्थिति सुधारने की दिशा में कदम उठाने के लिए विशिष्ट सुझाव दिये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र द्वारा कलकत्ता से सांविधिक राशन व्यवस्था तथा उन क्षेत्रों से संशोधित राशन-व्यवस्था को समाप्त कर देने का कोई प्रस्ताव है, यद्यपि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि वहां ये व्यवस्था जारी रहेगी तथा उसे हटाया नहीं जायेगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संतप्त लोगों को राहत और खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिये संशोधित राशन-व्यवस्था चालू की गई है तथा भारी संख्या में राशन की दुकानें खोली गई हैं।

Shri A. S. Sehgal: How far have you introduced the Man Singh Committee's report in Midnapore?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है।

श्री दे० अमात : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि पिछली फसल के समय जबकि पश्चिमी बंगाल में खाद्य-सामग्री की कमी होने के कारण चीख पुकार मची हुई थी, तो उस समय कुछ राजनैतिक नेताओं के कहने से हजारों एकड़ भूमि से चावलविहीन पैंडी की फसल काट ली गई ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न इस संदर्भ के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन में जातीय भेदभाव

*1024. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन द्वारा किये जा रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध विश्व मत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अफ्रीकी-एशियाई देशों की एक बैठक बुलाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). यूनाइटेड किंगडम में सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जातीय भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के जो विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर भारत सरकार को संतोष हुआ है। उस देश के जनक्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति और प्रमुख समाचार-पत्र स्वयं इस प्रश्न पर चिंतित हैं। भारत सरकार अफ्रो-एशियाई देशों की बैठक में इस मामले को उठाना आवश्यक नहीं समझती।

अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन में सोवियत प्रतिनिधि का भाषण

*1025. **श्री कामेश्वर सिंह** :
श्री श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेडियो पाकिस्तान से 18 फरवरी, 1968 को किये गये

इस आशय के प्रसारण की ओर आकर्षित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने वाले सोवियत प्रतिनिधि ने 'काश्मीर को मुक्ति' के लिए जोरदार मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में सोवियत सरकार से पत्र-व्यवहार किया है; **और**

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). पाकिस्तान रेडियो से इस तरह का कोई प्रसारण नहीं हुआ। सम्माननीय सदस्य के मन में शायद पाकिस्तानी प्रेस की वे खबरें हैं जिनमें कुछ वक्तव्यों के बारे में सोवियत संघ के प्रतिनिधि का नाम लिया गया है और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे उन्होंने 20 फरवरी को ढाका के एक संवाददाता सम्मेलन में दिए थे। सोवियत राजदूतावास से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी प्रेस की खबरें गलत हैं और सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने काश्मीर की मुक्ति के बारे में कोई दलील नहीं दी थी।

विद्रोही नागाओं द्वारा नागरिकों का अपहरण

*1026. **श्री रणजीत सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में शांतिपूर्ण नागरिकों के विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण के मामले काफी अधिक बढ़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1967 से आज तक नागालैंड में अपहरण के कितने मामले हुए हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 1 अक्तूबर, 1967 से 31 जनवरी, 1968 और जून 1967 से सितम्बर 1967 के बीच नागालैंड में नागा उपद्रवियों द्वारा अपहृत व्यक्तियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-728/68]**

रोडेशिया की सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्राणदण्ड

*1027. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोडेशिया की सरकार ने हाल में स्वतंत्रता संग्राम के तीन सेनानियों को प्राणदंड दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उठाने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। यह सूचना प्रधान मंत्री ने 6 मार्च, 1968 को सदन में एक वक्तव्य में दी थी।

(ख) इस समय सुरक्षा परिषद् में रोडेशिया में तीन स्वतंत्रता सेनानियों को प्राणदण्ड दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार हो रहा है। 19 मार्च, 1968 को भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने रोडेशिया की गैर-कानूनी जातिवादी सरकार के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग की थी।

भारतीय नौसेना का अभ्यास

*1028. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान द्वीप समूह की अपनी हाल की यात्रा में प्रधान मंत्री ने जब नौसेना का अभ्यास देखा था उससे उन्होंने भारतीय नौसेना की कार्य-क्षमता के बारे में क्या धारणा बनाई है;

(ख) इस अभ्यास में कितने जहाजों, विनाशक जहाजों और पनडुब्बियों आदि ने भाग लिया था;

(ग) क्या इस अभ्यास में हमारे किसी मित्र देश के नौसैनिक दस्ते ने भी भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों ने भाग लिया था तथा भाग लेने का उनका उद्देश्य क्या था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्रधान मंत्री अभ्यासों से प्रभावित हुई थीं, और उन्होंने अफसरों, नाविकों और बेड़े को समग्रत बहुत अच्छी स्थिति में पाया।

(ख) नौसेना के (1 क्रूजर, दो ध्वंसकों और दो फ्रिगेटों) पांच पोतों ने अभ्यासों में भाग लिया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल चलचित्र संस्था (चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी)

*1029. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल चल-चित्र संस्था के कानूनी सलाहकारों ने उस संस्था के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने का अब निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो फौजदारी मुकदमा दायर करने में कितने वर्ष और लगेंगे; और

(ग) फौजदारी मुकदमा दायर करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। सोसाइटी के कानूनी सलाहकार तथा केन्द्रीय विधि मंत्रालय की सलाहनुसार, सोसाइटी के सचिव ने पहले ही पुलिस आयुक्त, बम्बई को शिकायत कर दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Bunkers Built by Pakistan in Mangla Dam

*1030. **Shri Balraj Madhok :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has built bunkers in the Mangla Dam while constructing the same ; and

(b) if so, whether Government have sent any protest to Pakistan in this regard and the nature of the reply received ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government have no information on the subject.

(b) Does not arise.

भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा निर्धारण

*1031. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सर्वेक्षण अधिकारियों ने पूर्वी पाकिस्तान-भारत सीमा निर्धारण का काम एकपक्षीय तौर पर रोक दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों ने नादिया का सीमा निर्धारित करने वाले खम्भे उखाड़ दिए हैं ; और

(ग) क्या सीमांकन कार्य स्वयं जारी रखने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पूर्व पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा को अंकित करने का कार्य इकतरफा तरीके से बंद कर दिया।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार ये खम्भे पाकिस्तानी नागरिकों ने उखाड़े थे।

(ग) पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंकन करने का काम सम्मिलित रूप से की जाने वाली कार्यवाई है, इसलिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों के सहयोग के बिना इस काम को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के लिए योजना उपबन्ध में कमी

*1032. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश का योजना उपबन्ध गत दो वर्षों में बहुत कम हो गया है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र दुगुना हो गया है, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिये जो धन नियत किया गया है बहुत कम है; और

(ग) इतना कम धन नियत करने का क्या औचित्य है तथा क्या सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं का पुनः निर्धारण करने पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1967-68 के लिए स्वीकृत परिव्यय 15.72 करोड़ रुपये था, जो कि पिछले वर्ष के 9.0 करोड़ रुपये के परिव्यय से काफी ज्यादा है। यह मुख्यता पुराने पंजाब से हिमाचल को स्थानान्तरित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Statement by Rehabilitation Minister of Canada

*1033. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a recent statement made by the Rehabilitation Minister of Canada, that his Government was prepared to permit some Indians from Kenya to go to Canada ;

(b) whether the Government of India had any talks with the Government of Canada or any other foreign country in this regard ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). The Government of India's views on the problems arising out of the Commonwealth Immigration Act have been made known to all Governments of the Commonwealth. As the persons affected are holders of British passports, they are the responsibility of the Government of the United Kingdom. However, Government of India have noted with interest the reported statement made by the Rehabilitation Minister of Canada that certain number of Kenya Asians, who were educated and skilled, might be allowed entry into Canada provided they satisfy the immigration requirements of Canada.

प्रेस परिषद्

*1034. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार सम्पादक सम्मेलन सम्बन्धी स्थायी समिति ने

जिसका 9 और 10 मार्च, 1968 को चंडीगढ़ में अधिवेशन हुआ था, प्रेस परिषद् के कार्यकरण पर असामयिक विवाद के बारे में चिंता प्रगट की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रेस परिषद् अधिनियम पर विचार करने और उसमें आवश्यक संशोधन सुझाने के लिये गठित सलाहकार समिति निःसन्देह अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों तथा उन अन्य विचारों जो देश में प्रेस के स्वस्थ विकास में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए जाएंगे, पर समुचित ध्यान देगी ।

भारत-बर्मा सीमा आयोग

*1035. **श्री दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1967 के भारत-बर्मा सीमा करार में उपबन्ध के अनुसार संयुक्त सीमा आयोग अब स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). एक सम्मिलित सीमा आयोग स्थापित किया गया है । इस आयोग का काम दोनों देशों के बीच सीमांकन की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, सीमा के नक्शे तैयार करना और सीमासंधि का मसौदा तैयार करना है ।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियां

*1036. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं की गतिविधियां हाल में बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). चीन के साथ छिपे नागाओं का अधिकाधिक संपर्क होने से इस समस्या में एक और नया आयाम जुड़ गया है । छिपे नागाओं द्वारा 1 अगस्त, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक की गई हिंसात्मक दुर्घटनाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-729/68]

(ग) सरकार सीमा पर छिपे नागाओं के आवागमन को कारगर तरीके से रोकने के लिये तथा एंग्सोप के अन्य उल्लंघनों को रोकने तथा उनकी गैर-कानूनी कार्यवाइयों को रोकने के लिये समुचित कदम उठा रही है। इस दिशा में जो उपाय करने जा रहे हैं, उनका विवरण बताना सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

पैट्रोलियम डैवेलपमेंट (ओमान) लिमिटेड के भारतीय कर्मचारी

*1037. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैट्रोलियम डैवेलपमेंट (ओमान) लिमिटेड के भारतीय कर्मचारियों से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में उठाये गये मुख्य-मुख्य मामले क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मस्कत में हमारे कोंसल जनरल को सोस्मोग्राफ सर्विस लिमिटेड के इंटरमीडिएट स्टाफ की ओर से हाल ही में एक शिकायत मिली थी। ये लोग पेट्रोलियम डेवलपमेंट (ओमन) लिमिटेड के एक ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे हैं।

(ख) सेवा की शर्तों में सुधार-समयोपरि भत्ता, अवकाश-वेतन, सार्वजनिक छुट्टियां, आवास-सम्बन्धी एवं सामाजिक सुविधाएं।

Indian Embassy in Peking

*1038. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of restrictions imposed by the Chinese Government on the Indian Embassy in Peking ; and

(b) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) In theory, the Indian Embassy in Peking is subjected to the same restrictions as all other resident Missions in Peking. These relate to the movement of personnel, travel, exit and entry into China. However, in practice, it has been found that an obviously discriminatory attitude is taken towards the personnel of the Indian Embassy.

(b) The Government of India observe broad reciprocity in all important respects in accordance with our laws and regulations and international conventions.

आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' और 'टू डे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम

*1039. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दो कार्यक्रमों अर्थात् 'स्पाट लाइट' 'टू डे इन

पार्लियामेंट' की पाण्डुलिपि तैयार करने वाले पत्रकारों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है कि वह इन कार्यक्रमों को उद्देश्यात्मक बनायें ;

(ख) क्या इन पाण्डुलिपियों को तैयार करने के लिए आकाशवाणी द्वारा लिखित रूप में दिये गये मार्ग दर्शनों से वास्तव में इन लिपियों को लिखने में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी पत्रकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

सिनेमाघरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

*1040. **श्री पीलु मोडी :** **श्री लोबो प्रभु :** **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री गिरिराज शरण सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध काल में सिनेमाघरों के निर्माण पर लगाया गया प्रतिबन्ध किसी राज्य में अब भी लागू है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रव्य-दृश्य प्रौढ़ शिक्षा और मनोरंजन के साधन से वंचित रहना पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चलते-फिरते सिनेमाओं को लगातार चलाने की अनुमति देना बन्द करने का है क्योंकि अल्पकालिक लाइसेंस से अतिरिक्त भार पड़ता है और कर्मचारियों को घूस आदि के अवसर मिलते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्थायी भवन बनाने में धन विनियोजन करने के इच्छुक चलते-फिरते सिनेमाओं तथा अन्य लोगों को ऋण तथा राज सहायता देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

प्रधान मन्त्री को प्राप्त उपहारों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भवन में बिक्री

*1041. **श्री नारायण दांडेकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जो वस्तुएं

उन्हें उपहार में मिली थीं उनकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उद्यान में जनता में बिक्री की गई थी, (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 4 मार्च, 1968) ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये वस्तुयें उनकी निजी सम्पत्ति थीं अथवा सरकारी सम्पत्ति ;

(ग) यदि उन वस्तुओं को उनकी निजी सम्पत्ति समझा गया था तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) यदि ये वस्तुयें सरकारी सम्पत्ति थीं तो उनकी बिक्री का स्थान किसने चुना तथा उस भवन को क्यों चुना गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). ये चीजें अधिकतर मामूली कीमत की थीं जैसे कपड़े या जरी के हार, बांस की बनी हुई चीजें, कपड़े के थैले, टोकरियां, छोटी गुड़ियां इत्यादि, जो प्रधान मंत्री को मुलाकातियों से तथा चुनाव सम्बन्धी और दूसरे दौरों में निजी उपहार के रूप में मिली थीं। इनकी संख्या तीन-चार सौ थी । इनमें से करीब दो सौ पचास वस्तुयें 2520 रुपये 25 पैसे में एक फेट (मेले) में बेची गईं जिसका आयोजन महिलाओं की कई समाज कल्याणकारी और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं ने विशेष रूप से किया था । यह बिक्री प्रधान मंत्री के महिला तथा शिशु कोष की सहायता के लिए आयोजित की गई थी ।

आकाशवाणी में उच्चारण सैल

*1042. **श्री कमलनाथन् :** **श्री सुब्रावेलू :**
श्री मयाबन : **श्री नारायणन :**
श्री दीवीकन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में एक उच्चारण सेल विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सैल ने दक्षिण भारत के कुछ नेताओं तथा दक्षिण भारत से आये संसद् सदस्यों के नामों का ठीक उच्चारण का पता लगाने के लिये कभी कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ नामों का उच्चारण प्राय: गलत किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक प्राथमिक उच्चारण सैल काम कर रहा है । एक पूर्ण रूपेण सैल स्थापित करने के बारे में विचार हो रहा है ।

(ख) वर्तमान न्यूज रीडर्स सैल नामों के सही उच्चारण की आवश्यकता को जिनमें दक्षिण के व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं, देखता है ।

(ग) ऐसे नाम जो किसी खास भाषा या संस्कृति से सम्बन्धित नहीं हैं, हमेशा ही एक समस्या उपस्थित करते हैं क्योंकि वे बोली जाने वाली भाषा की स्वर सम्बन्धी प्रतिभा और स्वर शैली की लय से बाहर होते हैं। इस प्रकार सभी संस्कृतियों में दूसरी संस्कृति के नाम या शब्द को प्रयोग की जाने वाली भाषा की स्वर सम्बन्धी प्रतिभा के अनुसार ढालने या उसका गलत उच्चारण करने की प्रवृति रहती है जिसको दूर करना कठिन है। केवल अंग्रेजी की घोषणाओं में ही भारतीय नामों के उच्चारण की समस्या नहीं रहती अपितु एक क्षेत्र या भाषा के भारतीय नामों के दूसरी भारतीय भाषा की घोषणाओं में उच्चारण करने की समस्या भी बनी रहती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आकाशवाणी ने एक विशाल उच्चारण कोष बनाया है, फिर भी स्वर सम्बन्धी समस्यायें काफी हैं।

भारतीय चलचित्रों की तस्करी

*1043. **श्री जु० कि० मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत से बहुत से भारतीय चलचित्र विदेशों को चोरी छिपे ले जाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "दिल दिया दर्द लिया" नामक चलचित्र चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका में ले जाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस चलचित्र के वितरकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार के ध्यान में इस प्रकार की कुछ घटनायें आई हैं कि उन देशों के, जिनसे करार हुआ है, अतिरिक्त कुछ देशों में सम्भवतया विदेशों के खरीदारों की मिलीभगत से चोरी से ले जाई गई फिल्मों को दिखाया गया है।

(ख) सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी इस आशय की एक खबर को देखा है।

(ग) तथापि, विदेशों में फिल्मों के गैर-कानूनी ढंग से ले जाए जाने के अवसरों को समाप्त करने के लिए सरकार वर्तमान विधि को मजबूत करने की सम्भावना पर जांच विचार कर रही है।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन

*1044. **श्री वेदब्रत बरुआ :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन अब भी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी-फरवरी 1968 में वहां से कितने व्यक्ति भारत आये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा भगत) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार जनवरी और फरवरी 1968 के दौरान पूर्व पाकिस्तान से 1580 व्यक्ति भारत में चले आये थे।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बुरी दशा के बारे में पाकिस्तान की सरकार से बार-बार विरोध प्रकट किया है और 1950 के नेहरू लियाकत संधि के अंतर्गत उनके दायित्वों की उन्हें याद दिलाई है जिसके अनुसार उन्हें अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पूर्ण स्वतन्त्रता, समान अधिकारों की गारंटी लेनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, वहां अल्पसंख्यकों की दशा बराबर बुरी ही बनी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना और अवसर की बराबरी देना एक ऐसा निष्ठापूर्ण दायित्व है जो कि पाकिस्तान सरकार को अपने राष्ट्रिकों के प्रति निबाहना चाहिए।

रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*1045. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से शेख अब्दुल्ला 4 मार्च, 1968 को श्रीनगर पहुंचे हैं, रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार स्पष्टतः बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) यह जब भी मौका मिले भारत की निन्दा करने की पाकिस्तान की नीति के अनुरूप ही है। काश्मीर के बारे में और अन्य भारत-पाकिस्तान विवादास्पद प्रश्नों के बारे में भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है। पाकिस्तान के भौंड़े प्रचार का विश्वमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो कि मोटे तौर पर भारत-पाक विवादों के द्विपक्षीय निपटारे का समर्थन करता है।

केन्द्रीय सूचना सेवा के बारे में पद निर्माण समिति

*1046. **श्री म० अमरसे :**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री शिवप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा की पद निर्माण समिति का गठन लगभग दो वर्ष किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो समिति का कार्यक्षेत्र तथा कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ; और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतन और ग्रेडों को युक्तिसंगत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति दिसम्बर, 1966 में गठित की गई थी।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-730/68]

(ग) जी नहीं।

(घ) समिति द्वारा कुछ और समय लेने की सम्भावना है। देरी का एक कारण यह है कि प्रेस और प्रशासन के भी सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, जिसमें इस मंत्रालय के कुछ प्रचार विभागों की संगठन रचना भी शामिल होगी, की प्रतीक्षा की जा रही है।

आकाशवाणी का 'वीरता के गान' कार्यक्रम

*1047. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में भारत-पाक संघर्ष की समाप्ति के बाद आकाशवाणी का 'वीरता के गान' कार्यक्रम बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। परन्तु हो सकता है कि वे उतने न हों ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी से पहले ही प्रसारित किये जा रहे हैं।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग द्वारा प्रकाशित "इण्डिया" नामक पुस्तिका

6205. **श्री दीवीकन :**
श्री दंडपाणि :
श्री मयाबन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि पुस्तिका में प्रकाशित चित्रों का पूरा ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस पुस्तिका में प्रकाशित फोटो-चित्रों की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-731/68]**

अफ्रीकी देशों में नियुक्त भारतीय राजनयिक

6207. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पूर्वी अफ्रीकी तथा अन्य अफ्रीकी देशों में हमारे कौन-कौन ऐसे राजनयिक नियुक्त हैं जो स्वाहिली वांटू और अन्य स्थानीय भाषायें जानते हैं ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारत के राजनयिक उन देशों की भाषा जानते हैं और इन राजनयिकों के नाम क्या हैं जो विदेशी भाषायें जानते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारतीय विदेश सेवा, सूचना सेवा और भारतीय विदेश सेवा (ख) के राजनयिकों के बारे में आवश्यक जानकारी संलग्न ब्योरे में दे दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-732/68]**

असैनिक उपयोग के लिए बन्दूकें

6208. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में असैनिक उपयोग के लिए कितनी बन्दूकों का निर्माण किया गया ; और

(ख) भारत में 12 बोर के कारतूस बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). आंकड़े देना लोकहित में नहीं होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आकाशवाणी का कार्यक्रम

6209. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित

कार्यक्रम अपर्याप्त और प्रभावहीन है क्योंकि पुराने कार्यक्रमों को ही बार-बार प्रसारित किया जाता है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों का चयन करने की आधारभूत कसौटी क्या है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रोताओं के लिये कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रिय बनाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(घ) देहाती कार्यक्रमों के लिए कितना समय अलाट किया गया है और कार्यक्रमों का स्तर क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कृषि कार्य समयसारणी के आधार पर तैयार कर प्रसारित किये जाते हैं और वे पर्याप्त और प्रभावी हैं। ऐसे कार्यक्रमों में कुछ पुनरावृत्ति अनिवार्य है।

(ख) इन कार्यक्रमों की योजना हर तीसरे महीने राज्य सरकारों के कृषि विभागों के विशेषज्ञों और ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों से सलाह मशविरा कर बनाई जाती है।

(ग) सरकार ने विशेष सूचनाप्रद कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारण करने के लिये कुछ केन्द्रों पर फार्म और गृह यूनिटें स्थापित करने की नीति अपना ली है। ये कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुये हैं।

(घ) ग्रामीण कार्यक्रम सांयकाल को 6 बजे से 8 बजे तक के बीच प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं। इनका स्तर संतोषजनक है।

दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों का नियतन

6210. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों से प्रकाशित होती हैं जिनको दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन देता है ;

(ख) क्या विज्ञापन देते समय पत्रिका के परिचालन और उसमें प्रयोग किये जाने वाले कागज को ध्यान में रखा जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार को घोषणाएं जो प्रकाशकों द्वारा पेश की जाती हैं, अस्पष्ट होती हैं और उन्हें ऐसे प्रकाशक देते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते ; और

(घ) यदि हां, तो पत्रिका के परिपालन का पता लगाने के लिए दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय की आधारभूत कसौटी क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे समाचार-पत्रों की, जिन्हें विज्ञापन दिये जाते हैं, कोई स्थायी सूची नहीं रखता। केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन मांगने वाली विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का आवश्यक विवरण निदेशालय में दर्ज किया जाता है और विज्ञापन देने के लिये, प्रत्येक पत्र पर उपलब्ध धनराशि के अन्दर अन्दर, आवश्यकतानुसार अलग-अलग, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि उसकी खपत कितनी है, उसको किस प्रकार के व्यक्ति पढ़ते हैं, उसकी भाषा कौन सी है और किस क्षेत्र में विज्ञापन देना है, आदि।

(ख) विज्ञापन देते हुए खपत क्षेत्र और छपाई के स्तर का ध्यान रखा जाता है परन्तु सरकारी विज्ञापनों की उपयुक्तता के निश्चय के लिये इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि वह पत्र किस प्रकार का कागज इस्तेमाल कर रहा है।

(ग) 2000 से ऊपर की खपत का दावा करने वाले समाचार-पत्रों को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को अपना वार्षिक विवरण देते समय इसके समर्थन में चार्टर्ड अकाउण्ट का प्रमाण-पत्र देना होता है। भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में तीन सर्कुलेशन टीमें हैं जो जब भी सम्भव होता है, समाचार-पत्रों की खपत की जांच करती हैं।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 2000 और इससे ऊपर की खपत का दावा करने वाले समाचार-पत्रों से आडिट किए हुए आंकड़े मांगता है। वह समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार से भी प्रचार संख्या की जांच करता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नौसैनिक अड्डा

6211. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में नौसैनिक अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक नौसेना अड्डा स्थापित किया जा रहा है, और इस प्रायोजना पर काम प्रगतिशीलता से हो रहा है।

विज्ञापनों का प्रसारण

6212. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से विज्ञापनों का प्रसारण कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं जबकि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : निकट भविष्य में मद्रास से वाणिज्यिक प्रसारण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। देरी का कारण अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये अधिक अनुदान प्राप्त करने की हमारी उत्सुकता है।

अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान में भारतीय

6213. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान में इस समय कितने भारतीय रह रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों ने उन देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है, जहां पर वे रहते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यू० एस० ए०, यू० के०, कनाडा और जापान में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः लगभग 21,900 ; 200,000 ; 15,000 और 1,057 है।

(ख) उनमें से जापान में 80 व्यक्तियों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और 15 व्यक्तियों ने जापान की राष्ट्रिकता स्वीकार कर ली है। यू० एस० ए०, यू० के० और कनाडा के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसको यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

Naga Rebel Army

6215. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the strength of Naga rebel army, as estimated by Government ;

(b) whether it is a fact that the Chinese-trained Naga hostiles are reorganising their army on Chinese pattern ;

(c) the reasons for Government allowing the Naga hostiles to reorganise their army by taking advantage of the truce ; and

(d) whether it is a fact that Burmese Nagas have also aligned themselves with Naga hostiles and are helping them in crossing over to China and back ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) and (b). Information about the Underground strength and organisation is classified and it would not be in the public interest to disclose such information.

(c) Government of India have taken necessary measures to prevent unlawful activities by the Underground Nagas and violation of provisions of the Agreement on Suspension of Operations.

(d) According to the information available to the Government the Underground Nagas are reported to have received some assistance from Tangsa Nagas residing in Burma.

Clashes with Nagas

6216. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the numebr of Nagas killed and injured during the last five years as a result of clashes with the Border Security Force, Assam Rifles and the Security Forces;

(b) whether any foreign arms and ammunitions were recovered from the Nagas killed or arrested ; and

(c) if so, the details thereof and the latest information available with Government in regard to the source of supply of arms and ammunitions to Nagas ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). Most of the arms recovered from Underground Nagas killed or arrested either bear no markings or the markings are effectively erased.

एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्जीनियरों की कमी

6217. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया (पश्चिम एशिया), ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, लंका, मलएशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इन्डोनेशिया में अर्हता प्राप्त इंजीनियरों की कमी है ;

(ख) क्या इन देशों में भारतीय इंजीनियरों को रोजगार देने की सम्भावनाओं का पता लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अधिकांश विकासशील देशों में योग्य तकनीकी कर्मचारियों की कमी अनुभव की जा रही है ।

(ख) और (ग). विकासशील देशों को बता दिया गया है कि तकनीकी कर्मचारियों का, जिनमें इन्जीनियर भी शामिल हैं पता लगाने और भरती करने में, जैसी भी सहायता वे चाहेंगे भारत सरकार सहर्ष उन्हें देगी । सरकार ने सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन्जीनियर और दूसरे विशेषज्ञ विकासशील देशों को भेजे भी हैं ।

कीनिया में ब्रिटिश पासपोर्ट-प्राप्त व्यक्ति के लिये वीसा देना

6218. **श्री रविराय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने 6 मार्च, 1968 को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों 1950 में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार ब्रिटेन और ब्रिटिश

कालोनियों के पासपोर्ट प्राप्त व्यक्तियों को जो सामान्य रूप से कीनिया में रहते हैं भारत में प्रवेश के लिए अपने पासपोर्ट पर पृष्ठांकन कराना आवश्यक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ब्रिटेन और ब्रिटिश कालोनियों के पासपोर्ट प्राप्त कितने व्यक्तियों ने भारतीय अधिकारियों से अपने पासपोर्टों पर पृष्ठांकन कराया है और उनका नाम क्या है तथा भारत में आने का प्रयोजन क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) 7-3-68 और 18-3-68 के बीच इनके और उपनिवेशों के 267 पासपोर्टधारियों को नैरोबी-स्थित हमारे हाई कमीशन ने वीजा प्रदान किये थे । उनके नाम सहज सुलभ नहीं हैं ; लेकिन उनमें से अधिकांश अपने रिश्तेदारों आदि से मिलने तथा विभिन्न निजी कामकाजों को देखने भारत आए हुए हैं ।

Trade Relations with Taiwan

6221. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish trade relations with Taiwan; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). As trade between Taiwan and India already exists, the question of establishing trade relations does not arise.

संगणकों (कमप्यूटरों) का निर्माण

6222. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय खान ब्यूरो ने '1401' कमप्यूटर बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमप्यूटर समाचार-पत्र पढ़ सकता है और मनुष्य से बहुत जल्दी हिसाब-किताब कर सकता है;

(ग) इस कमप्यूटर का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) क्या ऐसे कमप्यूटरों का निर्यात करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). नई दिल्ली के सर्वश्री इण्टर नेशनल बिजेनेस मैशीन्ज वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन (न कि इण्टरनेशनल ब्यूरो आफ माईन्ज) को 1401 क्रम के 68 कमप्यूटरों के लिए एक लाईसेंस दिया गया है । इन 68 कमप्यूटरों के भारतीय तथा विदेशीय अंशों के क्रमशः 134 लाख रुपये और 122 लाख रुपये के होने की प्रत्याशा है । यह कमप्यूटर निर्यात नहीं किये जाएंगे, परन्तु आशा है

कि इस फर्म द्वारा भारत में निर्मित अन्य मशीनों के निर्यात से आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी ।

कमप्यूटर यन्त्रों में यादाश्त के बने बनाए भण्डार होते हैं, और वह मानव से अधिक शीघ्र गणित की गणनाओं समेत कई जटिल कार्य सम्पन्न कर सकते हैं ।

साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता

6223. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता का विस्तार करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसके विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) इस संस्था में इस समय क्या विशेष आणविक अनुसंधान किये जा रहे हैं और उनमें अब तक यदि कोई सफलता मिली है, तो क्या ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). क्योंकि जिस भवन में इस समय साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है वह इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए छोटा है, अतः साल्टलेक स्थित एक स्थल पर, जो पश्चिमी बंगाल सरकार से उपहार में मिला है, इस इंस्टीट्यूट का नया भवन बनाने की योजना है ।

(ग) साहा इन्स्टीट्यूट न्यूक्लीय भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा इसके क्रियाकलापों का विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग की 1967-68 की वार्षिक रिपोर्ट में, जो संसद् सदस्यों को वितरित की जा रही है, में दिया गया है ।

पूर्वी जर्मनी और पुर्तगाल को मान्यता देना

6224. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मनी और पुर्तगाल को राजनयिक मान्यता देने के बारे में अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तिब्बत में विद्रोह

6225. **श्री शिवचंद्र झा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में हाल में एक विद्रोह हुआ था जिसका उल्लेख 10 मार्च, 1968 को दलाई लामा ने अपने भारतीय निवास-स्थान से अपने भाषण में किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार ने तिब्बत में तथा चीन के अन्य भागों में भी हुए उपद्रवों के बारे में प्राप्त समाचारों को देख लिया है।

(ख) सांस्कृतिक क्रांति से तिब्बत में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों से तो भारत सरकार को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन तिब्बत के लोगों के मानव-अधिकारों का लगातार अतिक्रमण और उनकी बुनियादी स्वतंत्रता का दमन हमारी सहानुभूति का विषय है।

भारतीय नौसेना के जहाज

6226. **श्री शिवचंद्र झा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारतीय नौसेना के जहाज समुद्री गश्त पर सिंगापुर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन जहाजों के नाम तथा उनके वहां जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) जहाज भारतीय नौसेना के मैसूर, राजपूत, रंजीत, खुकरी, कुठार, कृपाण और दीपक जहाज थे। वह अपने साधारण प्रशिक्षण तथा सद्भावना भ्रमण अभियान पर थे।

राष्ट्रीय छात्रसेना दल निदेशालय, मध्य प्रदेश

6227. **श्री रवि राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय छात्रसेना दल निदेशालय, मध्य प्रदेश में 7 फरवरी, 1968 की रात्रि को अग्निकाण्ड के संबंध में जिसमें लेखा तथा सिब्बन्दी अनुभागों के सारे रिकार्ड नष्ट हो गये थे, निदेशालय का सुपरिन्टेंडेंट गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). 7/8 फरवरी 1968 को एन० सी० सी० निदेशालय, इन्दौर में आग लग गई थी। आधा भवन विनष्ट हो गया था, और हिसाब-किताब, प्रशिक्षण, समन्वय और योजना से संबंधित दस्तावेज जल गई थीं। पोलीस द्वारा आरंभिक जांच के फलस्वरूप एक हैडक्लर्क, एक एल० डी० सी० और एक अफसर को गिरफ्तार किया गया है। पोलीस द्वारा अधिक जांच प्रगतिशील है।

News about the marriage of Prime Minister's son

6228. **Shri Shri Chand Goel:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the news regarding the marriage of Prime Minister's son was broadcast from all India Radio by giving it priority over the news regarding the taking of oath by the new Chief Justice of the Supreme Court of India;

(b) the timings of the news bulletins in which the said news of marriage was broadcast; and

(c) whether it is also a fact that the Song and Drama Division presented some programme after or at the time of the said marriage ceremony?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). No, Sir. News item about the wedding of Shri Rajiv Gandhi with Miss Sonia Maino was broadcast in the evening news bulletins of 25 February except for Tibetan and NEFA news bulletins which was on 26th.

(c) No, Sir.

प्रतिरक्षा संस्थानों के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारी

6229. **श्री स० मो० बनर्जी** : **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अभी तक भेदभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन आयोग द्वारा छुट्टियों के बारे में सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). असाधारण, प्रसव तथा अध्ययन अवकाश के संबंध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं, और औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को समान स्तर पर लाया गया है। अर्जित अवकाश के दर और उसके इकट्ठा होने की सीमा के संबंध में उनकी सिफारिशें अभी कार्यान्वित नहीं की गईं। चूंकि इसमें व्यापक इशु अन्तर्ग्रस्त है, सरकार ने फैसला किया है कि इसे संयुक्त मन्त्रणा तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखा जाए। तदनुसार राष्ट्रीय परिषद का निर्णय, जो मामले पर विचार कर रही है, प्रतीक्षित है।

गन और शैल फैक्टरी, कोसीपुर

6230. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन और शेल फैक्टरी, कोसीपुर के 4 मार्च से 8 मार्च, 1968 तक बन्द रहने के बाद 9 मार्च से पुन: खोले जाने के बारे में इस कारखाने के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या थीं; और

(ख) क्या कर्मचारियों को तालाबन्दी की अवधि की मजूरी दे दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। गन तथा शैल फैक्टरी के मजदूर संघ ने डी० जी० ओ० एफ० से भेंट की थी, और उन्हें कार्मिकों के विरुद्ध मुअत्तली के आदेशों के वापस लिए जाने, कि जो दो कार्मिकों के विरुद्ध जारी किए गए थे, फैक्टरी के बन्द रहने की अवधि के लिए वेतन की सुरक्षा और उन पर अत्याचार न किए जाने के सुझाव दिए थे। डी० जी० ओ० एफ० फैक्टरी खोलने के लिए मान गए, और फैक्टरी साधारणतौर पर काम कर रही हैं। जांच के पश्चात् दोनों कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है।

(ख) फैक्टरी के बन्द रहने की अवधि के लिए कार्मिकों को अदायगी नहीं की गई सिवाए उस समय के कि जब से रविवार, 10 मार्च, 1968 से फैक्टरी को खासतौर पर खोला गया था।

कच्चाटीवू द्वीप

6231. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कच्चाटीवू द्वीप के बारे में साम्राज्ञी विक्टोरिया की एक उद्घोषण के अस्तित्व के संबंध में 9 मार्च, 1968 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' बंबई, दिल्ली संस्करण में छपे इस आशय के समाचारों को सरकार ने देखा है कि यह द्वीप श्रीलंका का नहीं अपितु रामानद के राजा का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह दस्तावेज सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट को देख लिया है। इस घोषणा का पता लगाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसको सदन की मेज पर रखने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब इस घोषणा की प्रति मिल जाए।

अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह पर पाकिस्तान का दावा

6232. **श्री मधु लिमये :**

श्री ओ० प्र० त्यागी :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पाकिस्तानी समाचार अभिकरणों द्वारा पाकिस्तान के समाचार-पत्रों में

प्रकाशित उन लेखों/समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिनमें अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह के कुछ भाग पर पाकिस्तान ने दावा किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस द्वीपसमूह का एक भाग बर्मा तथा इन्डोनेशिया को देने की पेशकश करके पाकिस्तान ने उन्हें इस मामले में घसीटने का प्रयत्न किया है; और

(ग) क्या सरकार इस सभा को आश्वासन देगी कि वह इस संबंध में किसी विवाद को नहीं मानेगी और किसी भी आक्रामक हमलों से इन द्वीपसमूह की रक्षा करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इन द्वीपों के किसी हिस्से पर पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कोई दावा नहीं किया है और न सरकार को इस बारे में ही कोई जानकारी है कि पाकिस्तान बर्मा और इंडोनेशिया को इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है।

(ग) जी हां।

कच्चाटीवू द्वीप

6233. **श्री मधु लिमये :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार कच्चाटीवू द्वीप पर श्रीलंका का स्वामित्व मान चुकी है;

(ख) क्या इस द्वीप पर रामानद जागीर के कब्जे के बारे में प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने वर्तमान रामानद जमींदार से बातचीत की है;

(ग) क्या इस संबंध में मद्रास सरकार से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो श्रीलंका के साथ इस विवाद को निपटाने के लिये कौनसी व्यवस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) जैसा कि प्रधान मंत्री ने 4 मार्च के अपने वक्तव्य में बतलाया है, इस प्रश्न पर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

फिल्मों का प्रभाव

6234. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय फिल्में, विशेष रूप से बम्बई में बनने वाली हमारे देश के नवयुवकों के लिए नैतिक समस्यायें उत्पन्न कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्मों के सैंसर के सिद्धान्त और नीति तथा सिनेमा पोस्टरों के प्रदर्शन और प्रचार पर नियंत्रण के बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये सुविख्यात शिक्षाशास्त्रियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की एक समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने फिल्म सेंसर के सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त की है जो कार्य करना शीघ्र ही आरंभ कर देगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पाकिस्तानी तकनीशनों को बुलाना

6235. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना स्थल दिखाने के लिए सरकार ने पाकिस्तानी तकनीशनों को बुलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब उनके यहां आने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने फरक्का बांध परियोजना के स्थल को देखने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने उनको सूचित किया था कि इस प्रकार के दौरे के ब्यौरों के बारे में दोनों देशों के जल संसाधन विशेषज्ञों की आगामी बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है जो अप्रैल, 1968 के अन्त में होगी।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें

6236. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की वे मांगें क्या हैं जिनके लिए वे अब भी आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ख) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). पिछले साल के शुरू में ए-आई-आर स्टाफ आर्टिस्ट एसोशियेशन की मार्फत प्राप्त आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मुख्य मांगें ठेके की वर्तमान पद्धति को पूरे समय के ठेके में बदलना, अंशदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त ग्रेच्यूटी भी देना, स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाना और उन्हें स्थायी करना एवं उन्हें पेंशन के पात्र बनाना, उनके फीस स्केलों में संशोधन करना और उन्हें परिवार पेंशन योजना के पात्र बनाना है। जहां तक अंशदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त ग्रेच्यूटी देने का सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार हो रहा है। स्टाफ आर्टिस्ट नियमित सरकारी कर्मचारी न होने के कारण इस समय परिवार पेंशन के पात्र नहीं हैं। फीस स्केलों के संशोधन, स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने आदि के प्रश्न पर एक विभागीय समिति द्वारा जांच की गई थी। उस समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है।

चटगांव में राकेट केन्द्र

6237. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा चटगांव में एक राकेट तथा अन्तरिक्ष केन्द्र बनाये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या उस केन्द्र की स्थापना का कोई सैनिक महत्व है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इससे किसी प्रकार का कोई सैनिक महत्व संलग्न नहीं, सिवाए इस हद तक कि संशोधित संचार सुविधाएं रक्षा प्रयत्नों में सहाय होती है।

Protest Against Kutch Award

6238. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received communications from States having common border with Kutch, protesting against the Kutch Award;

(b) if so, the names of those States; and

(c) the reaction of Government in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Dalai Lama's Talks on Tibet with Foreign Countries

6239. **Shri Shashi Bhushan Bajpai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have any information about the talks being held by Dalai Lama with foreign countries in regard to the problems of Tibet and the names of the countries with which such talks are being held; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). His Holiness the Dalai Lama does not hold talks with any foreign countries on political questions. Government are aware of the efforts made by the representatives of His Holiness in obtaining support of member States of the United Nations on the human rights aspects of the Tibetan Question with which the Government of India have every sympathy.

Reception in Honour of Sheikh Abdullah by Foreign Embassies

6240. **Shri Balraj Madhok**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ambassador of Kuwait in New Delhi had arranged a reception in honour of Sheikh Abdullah;

(b) whether it is also a fact that the Ambassadors of all the Arab Countries in India participated in the said function; and

(c) if so, the reaction of the Government to the holding of such receptions by foreign Embassies in the background of the anti-Indian activities of Sheikh Abdullah?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Irdira Gandhi): (a) and (b). Yes, Sir. According to our information the Ambassador of Kuwait gave a lunch in honour of Sheikh Abdullah which was attended among others by the diplomats of Saudi Arabia, Jordan, Syria, Morocco, U. A. R., Iraq, Sudan, Iran, Afghanistan and the Representative of the Arab League.

(c) There are no restrictions on foreign Embassies holding receptions and inviting Indian or foreign citizens. They are expected to exercise the necessary judgment and discretion in the matter.

Pakistan Activities on Haji Pir Area

6241. **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri Chengalraya Naidu:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistan army has increased its activities in Haji Pir Pass for some time past;

(b) if so, whether it is also a fact that Pakistani helicopters have also been seen flying in the said area; and

(c) if so, the steps taken by Government to check the said activities and possible designs of Pakistan in view of the importance of Haji Pir Pass for the security of Kashmir?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). Government keep a close watch on Pakistani military activity across the Cease Fire Line in J and K, including movement of troops, flights by helicopters etc. There have been no significant activities in the Haji Pir area which may be a cause for concern. All steps necessary for ensuring the security of the country are duly taken as part of operational plans.

Department for Research in Aircraft

6242. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Department for doing Researeh in respect of aircraft in view of the rapidly changing techniques, designs and new inventions in this field on the pattern of research work being done in other countries; and

(b) if so, the expenditure being incurred on this department and the nature of progress made by it so far?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes, Sir. It will not be in public interest to give the details.

Chinese and Tibetan Knowing Defence Personnel

6243. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of **Defence** personnel who have acquired the knowledge of Chinese and Tibetan languages so far from the School of Foreign Languages;

(b) whether it is a fact that the number of Chinese and Tibetan knowing Indian troops on our borders is negligible as compared to the Chinese troops having knowledge of Indian Languages as exhibited by the Chinese troops there; and

(c) if so, the efforts being made in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) The number of the Defence personnel who have so far qualified at the various examinations in these languages is given below:

	Preliminary Standard	Advanced Standard	Interpretership Standard
Chinese	154	7	32
Tibetan	9	5	26

(b) It is not possible to make an estimate in this regard.

(c) Does not arise.

Recruitment of Engineering Students in Army

6244. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recruitment of engineering students in the Army is much below the target;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The recruitment of Engineering Graduates in the Technical Corps of the Army has not been adequate.

(b) The response from suitable candidates has not been large enough either because of unwillingness to have a permanent career in the Army or on account of better prospects on the civil side.

(c) Proposals for increasing the quota of Permanent Commissions and introducing a new measure of granting of Short Service Commissions (Technical) for which a higher annual quota will be fixed are under consideration of Government. It is hoped that these proposals will be successful in the present circumstances.

Aircraft Accident Near Patiala

6245. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4729 on the 18th December, 1967 and state :

(a) the amount of compensation paid by the Insurance Company as a result of the damage to the Aircraft and the amount demanded by the owners of the Aircraft ; and

(b) the estimated cost of the Aircraft ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) (a) and (b). The information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरणों का निर्माण

6246. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने टेलिविजन ट्रांसमिशन उपकरणों तथा टेलीविजन रिसीवरों के लिये कल-पुर्जों का निर्माण करने की क्षमता का विकास किया है ;

(ख) क्या देश में टेलीविजन विस्तार योजना के लिए अपेक्षित टेलीविजन उपकरणों का निर्माण करने का काम "भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड" को सौंपा गया है ; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स ने निर्यात के लिए उत्पादन की कोई योजना बनाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). टेलिविजन प्रसारण के लिए साज सामान के निर्माण की स्थापना के लिए भारत इलैक्ट्रा-निक्स लिमिटेड ने कुछ आरंभिक जांच कार्य किया है, परन्तु अभी तक उन्हें इस साज सामान का उत्पादन सौंपा नहीं गया है, न ही उन्होंने इसके लिए किसी क्षमता का विकास ही किया है। तदपि वह टेलीविजन रिसीवरों के लिए आवश्यक टेलीविजन चित्र ट्यूबों और कुछ विशिष्ट वैद्यूती वैल्वों के निर्माण के लिए क्षमता की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड अपनी वर्तमान उत्पादन रेखा की मदों की कुछ राशियों को निर्यात के लिए विमुक्त करने का विचार रखे है, अगर उनके लिए विदेशीय मार्केट मिल जाए। यह बात टी० वी० संघटकों पर लागू नहीं है, कि जिनका उत्पादन अभी स्थापित किया जाना है।

सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति

6247. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति की अब तक कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस समस्या पर विचार किया गया और क्या क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) क्या इस समिति की सिफारिशें मानना सरकार के लिए अनिवार्य है अथवा नहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति की पहली बैठक 23 जनवरी, 1968 को हुई थी।

(ख) बैठक में हुई बातचीत के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(1) आकाशवाणी के उन केन्द्रों से फिर से धनोपलब्धि के अनुसार, हिन्दी पाठों का चरणों में प्रसारण आरम्भ कर दिया जाये जो संकटकालीन अवस्था की घोषणा से पूर्व इन पाठों का प्रसारण करते थे।

(2) पाठों की विषय सामग्री और तकनीक में सुधार करने के लिए पिछले पाठों की स्क्रिप्टें समिति के उन संसद सदस्यों को, जो उस भाषा को जानते हों, जिसमें वे पाठ प्रसारण किये गये थे, दी जाए।

(3) अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले हिन्दी पाठों की तरह हिन्दी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों से अन्य भारतीय भाषाओं के पाठों के प्रसारण किए जाने की सम्भावना पर विचार किया जाए।

(4) विदेश में स्थित लोगों के लिए हिन्दी पाठों के सिलसिले में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और आकाशवाणी के कार्यक्रम और योजनाओं में तालमेल हो और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा तैयार सामग्री का लाभ उठाया जाए।

(5) पत्र सूचना कार्यालय के वे अधिकारी जो हिन्दी जानते हैं प्रचार सामग्री मूल रूप से हिन्दी में तैयार करना आरम्भ कर दें और कार्यालय में इस काम के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।

(6) पत्र सूचना कार्यालय के उन अधिकारियों जिन्होंने हिन्दी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7) देवनागरी टेलीप्रिंटरों के बनाने वाली फैक्टरी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि कम से कम समय में देवनागरी टेलीप्रिंटर अधिक संख्या में उपलब्ध

हो सके और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह पता करे कि टेलीप्रिंटरों को इस्तेमाल करने वालों की निश्चित मांग कितनी है ।

(8) अखिल-भारतीय वार्तायें केवल अंग्रेजी में ही नहीं, अपितु हिन्दी में भी प्रसारित की जानी चाहिए और आकाशवाणी से हिन्दी और अंग्रेजी वार्ताओं के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए ।

(ग) समिति का काम सलाह देना है । सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु सरकार इन सिफारिशों को उचित आदर देती है ।

Self-Sufficiency in the Manufacture of Warships

6248. **Shri Raghuvir Singh Shashtri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the time by which India is likely to achieve self-sufficiency in the manufacture of warships?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : Minor warships such as Seaward Defence Boats and Inshore Minesweepers are already being constructed in the country. Construction of frigates has been commenced with effect from 1966 and the first Leander Class Frigate is expected to be commissioned by October, 1971. Efforts are also being made to indigenise warship equipment and substantial progress in this direction is expected to be achieved in the next few years. It is, however, not possible at present to say when it would be possible to achieve complete self-sufficiency in the manufacture of warships.

Island named 'Koko' in Bay of Bengal

6249. **Shri Mahant Digvijai Nath :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a small Island named 'Koko' situated in the Bay of Bengal was hitherto a part of India ;

(b) whether any Lighthouse is also located there ;

(c) whether this Island alongwith the Lighthouse has been handed over to the Government of Burma ; and

(d) if so, since when and the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Koko Islands are a group of three islands, the Great Koko Island, Little Koko Island and Table Island. These Islands belong to Burma.

(b) The lighthouse is situated on Table Island which is the northern most of the Islands.

(c) and (d) . The Government of India were maintaining and administering a lighthouse on Table Island under an agreement with the Government of Burma. The Government of Burma expressed a desire in June, 1952 to take over the administration of the Lighthouse and it was handed over to them on 30 November, 1954.

Scheme for Fourth Plan by Madhya Pradesh

6250. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted their schemes for being incorporated in the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) the estimated outlay on these schemes ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No. Sir ; schemes for the Fourth Five Year Plan (1969-74) have not yet been called for from the State Governments.

(b) and (c). Do not arise.

Jet Planes from U. S. A.

6251. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. S. A. has refused to supply jet planes asked for from the year 1960 to 1967 by the Government of India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). No progress could be made with regard to our proposal made in 1964 to the U. S. Government for supply of jet fighter aircraft. In view of the present U. S. Policy of not supplying lethal equipment to India and Pakistan the question of procuring any combat aircraft from that country does not arise.

केरल में भारत इलेक्ट्रानिक्स का तीसरा कारखाना

6252. **श्री नायनार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से उस राज्य में भारत इलैक्ट्रानिक्स का तीसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) माइ-क्रोवेव और रडार साजसामान के निर्माण के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित फैक्टरी के स्थान के लिए केरल तथा अन्य राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

चौथी योजना में औद्योगिक विकास के लिए केरल को धनराशि का नियतन

6253. **श्री नायनार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा उर्वरक उद्योग के लिए केरल राज्य को कितनी धन-राशि का नियतन किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : केरल में 1967-68 को समाप्त होने वाली विभिन्न योजना अवधियों के दौरान, उर्वरक उद्योग में 24.7 करोड़ रुपए के विनियोजन सहित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर 68.3 करोड़ रुपए का विनियोजन होने की सम्भावना है। केरल में केन्द्रीय परियोजनाओं के भावी विनियोजन के बारे में चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है।

विदेशों में भारतीय विद्वानों की मांग

6254. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में भारत के ऐसे विद्वानों की बड़ी मांग है जो हिन्दू धर्म की सभी शाखाओं की ठीक-ठीक व्याख्या उनके समक्ष कर सकें ;

(ख) क्या हमारे विदेशी दूतावासों में ऐसा कोई डिवीजन अथवा विभाग होता है, जो भारतीय धर्म तथा संस्कृति में निपुणता रखता हो और जो इस प्रकार की मांग को पूरी कर सकता हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक विदेशस्थ दूतावास में ऐसे एक अथवा दो व्यक्तियों को भेजने तथा उनसे सम्बद्ध करने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सरकार को इस सम्बन्ध में विदेशों से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) कुछ मिशनों में तो सांस्कृतिक सहचारी हैं और कुछ में प्रेस या सूचना सहचारी हैं जिनका कार्य अपने नियुक्ति क्षेत्रों में भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार करना है। इस कार्य में उनकी सहायता करने के लिए हमारे मिशनों के पास सांस्कृतिक साहित्य तथा डाक्यूमेंटरी एवं अन्य प्रकार की फिल्में होती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारी

6255. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग ने 1967-68 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :	**दिल्ली में**	**अन्य स्थानों पर**
अप्रैल, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक की अवधि के दौरान गीत और नाटक प्रभाग द्वारा अपनी मंडलियों के माध्यम से तथा गैर-सरकारी मंडलियों एवं कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की संख्या	413	5231
अप्रैल, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक कार्यक्रमों पर हुआ खर्च	लगभग	10,47,000/- रुपए।

आकाशवाणी द्वारा वैदेशिक सेवाओं के लिए प्रसारण

6256. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कौन-कौन से तथा कितने आकाशवाणी के केन्द्र हैं जहां से विभिन्न देशों को, देशवार समाचारों तथा दृष्टिकोणों का प्रसारण होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दी हुई है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-733/68]

Literary Broadcasts

6257. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of local literateurs invited to participate in literary broadcasts (Stories, Poetry and Criticism) from A. I. R. Station at Raipur (Madhya Pradesh) during 1967; and

(b) the details of new schemes drawn up for broadcast by the said A. I. R. station highlighting cultural, economic and academic progress of Chhattisgarh ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). A. I. R. Raipur is an auxiliary centre attached to A. I. R. Bhopal and relays the literary programmes broadcast from there. However, A. I. R. Bhopal includes the cultural, economic and academic progress of Chattisgarh in its programmes. 106 literateurs from Chattisgarhi region, were invited by Bhopal station for participation in its programmes. Besides, the Farm and Home programmes broadcast by A. I. R. Raipur on its own; also feature a small amount of Chattisgarh music daily for about 5 minutes. The draft 4th five year plan provides for the conversion of Raipur Station into a full-fledged station, subject to availability of resources.

Scholarships to Children of Jawans

6258. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the details of the scholarships granted to the children of jawans who were killed during the Indo-China hostilities in 1962 ; and

(b) the amount of each scholarship being given at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Attention in this connection is invited to the statement attached to the answer given to Unstarred Question No. 2102 on the 28th February, 1968.

Rail Travel Warrants to Army Personnel

6259. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rail travel warrants are issued to soldiers only up to their native places when they proceed on leave and not for visiting the places where their parents or guardians might be in service outside their native places ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) According to the rules, soldiers proceeding on annual leave are granted once annually free conveyance to and from their home-town as intimated by the individual and recorded in the service record or to any other leave station of their choice. In the latter case, the free conveyance is limited to the fare between the place of duty and home town.

(b) Does not arise.

Pension for Soldiers

6260. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a soldier who retires after completing 15 years of service is granted pension at the rate of Rs. 25 per month and a soldier who is listed by Government as a reservist after 7 or 11 years' service is granted monthly pension of Rs. 10 or Rs. 20 even though he is not kept as reserve at his own will ; and

(b) if so, the reasons for granting pension at two different rates ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Soldiers are generally enrolled for periods of combined colour and reserve engagements. A person who is transferred to the pension establishment after completion of the prescribed period of his colour and reserve service is at present eligible for a reservist pension which ranges from Rs. 10/- per month to Rs. 12/- per month (plus an **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month) according to the terms of engagement. It has been decided that the reservists who are sent to pension establishment on or after 1st April, 1968 will be eligible for a pension at a uniform rate of Rs. 20/- per month (including **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month).

An individual who on completion of his colour period of engagement is not transferred to the reserve for administrative reasons and is allowed to continue serving with the colours, is granted a minimum pension of Rs. 25-/ per month (including **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month) on completion of 15 years qualifying colour service. An individual is transferred to the reserve in accordance with his terms of engagement which are in the nature of a contract made by him at the time of his enrolment. It cannot, therefore, be said that his transfer to the reserve on completion of colour service is against his will.

(b) The reason for granting pension at two different rates to an individual who continues with the colours for minimum period of 15 years and to one who is transferred to the reserve after 7 to 12 years colour service and is discharged therefrom, is that the former is wholly employed on combatant duties in the Army for 15 years, whereas the latter is transferred to reserve after a shorter period of colour service (7 to 12 years) and is free to adopt any vocation or to seek re-employment in a civilian capacity during the period of reserve except that he is only required to report for periodical training for short periods.

Reservist Soldiers

6261. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the soldiers who are sent back by Government as reservists remain unemployed due to lack of employment opportunity ; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). A statement giving the position is attached.

Statement

Some percentage out of the released/discharged reservists who want re-employment do remain unemployed. The reasons being:

(a) Lack of education qualifications.

(b) Unwillingness to take up employment in places other than their native place; and

(c) the limited number of employment opportunities available in the country.

The following measures have, however, been taken by Government to enable the reservists, who are treated as Ex-servicemen for all intents and purposes, to secure civil employment:

Employment

1. They can register with an Employment Exchange of their choice, six months before their release from the Armed Forces;
2. Theyget priority III from the Employment Exchanges for their names being sponsored for Government jobs, which in fact is the highest priority at present, there being practically no candidates in priorities I & II.
3. They get age relaxations as per article 51 of the Civil Service Regulations, according to which they can be re-employed till they do not cross the age for superannuation of the post, for which considered.
4. Exemption from educational qualifications for Class IV posts.
5. Preference for jobs in Defence Installations and in security posts for which they have special background.
6. Reservation of vacancies in permanent Class III and Class I posts to the tune of 10% and 20% respectively.

Training

7. Vocational training at the Industrial Training Institutes for which 5% seats have been reserved at all the ITIs in the country, with stipends.
8. Preference for teachers training.
9. Tractor and Agricultural Farm Machinery Operation Training.

The proposal to extend the present orders for reservation of vacancies in permanent Class III and Class IV posts for ex-servicemen to the extent of 10% and 20% respectively, to temporary vacancies of long or indefinite duration is under consideration of the Government.

Development of Backward Areas in Maharashtra

6262. **Shri Deorao Patil:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the Maharashtra Government had prepared any Special Scheme in 1967-68 for the development of such areas of Yeotmal, Sholapur, Satara and other districts of that State as have been declared backward;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Government had allocated any funds for the development of the backward areas;

(d) if so, the amount spent so far out of the same ; and

(e) whether it is proposed to allocate more funds for this purpose in 1968-69 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The information is awaited from the State Government in respect of six most backward districts indicated in the statement placed on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 3698 on December 11, 1967.

(c) The provision for the development of backward areas is included in the State's Annual Plan.

(d) Does not arise.

(e) The State Government has been requested to provide specific outlays for this purpose within the State's Annual Plan ceiling.

Publication of Certain Periodicals

6263. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state whether any weekly/daily journal or magazine captioned as 'Rehbar', 'Mashal', 'Nai Zindagi', 'Navehayat', and 'Inquilab' is published from any part of the country?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : Details are as follows :—

S. No.	Name of Paper	Language	Place of publication	State	Periodicity
1.	Rehbar	Urdu	Gurdaspur	Punjab	Weekly
2.	Rehbar	Urdu	Srinagar	J and K	Weekly
3.	Mashal	Hindi	Jaipur	Rajasthan	Daily
4.	Mashal	Gujarati	Bombay	Maharashtra	Monthly
5.	Nai Zindagi	Urdu	Delhi	Delhi	Monthly
6.	Nai Zindagi	Urdu	Jammu	J and K	Weekly
7.	Inquilab	Urdu	Bombay	Maharashtra	Daily
8.	Inquilab	Urdu	Jammu	J and K	Weekly
9.	Inquilab (billingual)	Hindi and Urdu	Saharanpur	U. P.	Weekly

The title "Navehayat" does not figure in the records of the Press Registrar.

100 पैटन टैंक को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास

6264. श्री मधु लिमये : श्री स० कुण्डू :
श्री म० ला० सोंधी : श्री रामचरण :
श्री लोबो प्रभु : डा० मैत्रेयी बसु :
श्री श्रीधरण : श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री रा० बरुआ : श्री स्वैल :
श्री हेम बरुआ : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दामानी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 100 एम० 47 पैटन टैंक तथा उसके पुर्जे प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा

किए जा रहे प्रयासों के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या वाशिंगटन, रोम तथा इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतों ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

(ग) पाकिस्तानी हाथों में इन हथियारों को पड़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार संबंधित मिशनों के साथ संपर्क स्थापित किए हुए है और इस संबंध में जरूरी कार्रवाई कर रही है।

हैवी हाइड्रोजन का पृथक्करण

6265. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अणु-शक्ति आयोग ने हैवी हाइड्रोजन के पृथक्करण और ट्राइटियम के निर्माण के लिए कोई परियोजना शुरू की हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोजन के इतने शक्तिशाली आइसोटोप्स का पृथक्करण अथवा उनकी तैयारी किन उद्देश्यों हेतु की जाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भारी पानी का उपयोग थर्मल रिऐक्टरों में न्यूट्रानों के मन्दक के रूप में किया जाता है। ट्राइटियम का उपयोग जल-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों में अनुसारक के रूप में तथा जीव-रासायन सम्बन्धी खोज कार्यों में आवश्यक नामपत्रित यौगिकों के लिए किया जाता है।

Broadcast Programme in Hindi, English and Tamil

6266. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time devoted to Hindi and English programmes out of 24 hours broadcast from Delhi 'A' and Delhi 'B' Stations of All India Radio ;

(b) the approximate number of listeners of Hindi and English programmes, respectively ;

(c) the time devoted to Tamil and English programmes separately broadcast from the Madras Radio Station out of 24 hours ;

(d) whether Government propose to increase the time devoted to Tamil and Hindi programmes by reducing the time devoted to English programme from Madras Station ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

वैजयन्तीमाला के विवाह के समाचार का प्रसारण

6267. **श्री जुगुल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने अपने प्रसारणों में फिल्म अभिनेत्री वैजयन्तीमाला के विवाह का कोई उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रसारण कितनी बार किया गया था और इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 11 मार्च के प्रातः के समाचार बुलेटिन में। समाचार सामान्य श्रोताओं की रुचि का था ।

'एशियन ड्रामा' नामक शोध-ग्रंथ

6268. **श्री दुराय्यरासु :** **श्री कमलनाथन् :** **श्री मयावन :** **श्री दीवीकन :** **श्री सुब्रावेलू :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन के अर्थशास्त्री, श्री मिरदाल द्वारा लिखे गये 'एशियन ड्रामा एन इंक्वारी इन्टू पावर्टी आफ नेशंज' नामक शोध-ग्रन्थ का अध्ययन किया है ; और

(ख) उस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). पुस्तक का अध्ययन करने के बाद सरकार अपना विचार बनायेगी ।

भारतीय फिल्मों का सेंसर

6269. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेंसर अधिकारियों ने भारत में कितनी हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन के लिये अनुमति नहीं दी और उन फिल्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि में फिल्म सेंसर बोर्ड ने कितनी फिल्मों का पुनः सेंसर किया और उन फिल्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ फिल्मों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1967 में केवल एक फिल्म 'आएगा आने वाला' (हिन्दी) को प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया। 1965-66 में हिन्दी की किसी अन्य फिल्म को प्रमाण-पत्र देने से इन्कार नहीं किया गया।

(ख) पिछले तीन सालों में हिन्दी की कोई भी फिल्म फिर से सेंसर नहीं की गई।

(ग) जी, हां, कुछ प्रमाणित हिन्दी फिल्मों के बारे में कुछ शिकायतें थीं, परन्तु वे अधिकांशतया सामान्य प्रकार की थीं।

(घ) प्रकिया यह है कि जब भी कोई शिकायत विशिष्ट प्रकार की प्रतीत होती है तो जिस फिल्म के बारे में शिकायत की गई है, उसके बारे में कार्यवाहियों के रिकार्ड की यह जानने के लिए जांच की जाती है कि सेंसर सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निदेशों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जहां आवश्यक होता है केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की राय मांगी जाती है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पुनः प्रमाणित करने की व्यवस्था है, परन्तु 1965 से 1967 तक की अवधि में हिन्दी की कोई भी फिल्म पुनः प्रमाणित नहीं की गई।

ट्रांजिस्टरों और डायडों की कीमतें

6270. **श्री नारायणन** :

श्री दंडपाणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांजिस्टर के उपकरणों के विभिन्न निर्माताओं ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रांजिस्टरों और डायडों के मूल्य कम कर दिये जाने के परिणामस्वरूप अपने आश्वासन के अनुसार अपने उत्पादों की कीमत कम कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). ट्रांजिस्टर रेडियो की कीमतों में पहले से ही मन्दे की ओर झुकाव है।

'नाइन आवर्स टू राम' फिल्म

6271. **श्री दण्डपाणि** :

श्री नारायणन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'नाइन आवर्स टू राम' नामक फिल्म से प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

6272. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम ने 1967-68 के अन्त तक चलचित्र निर्माताओं को कुल कितने राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) उन फिल्म निर्माताओं के नाम व पते क्या हैं जिन्हें उपरोक्त अवधि में ऋण दिये गये हैं और फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऋणों की कितनी राशि वसूल की जानी बाकी है और फरवरी, 1968 तक वस्तुतः ऋणों की कितनी राशि वापस लौटा दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1,35,58,842/- रुपये।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-734/68]

(ग) 29 फरवरी, 1968 तक ऋणों की वापसी लौटाए जाने वाली राशि (ब्याज को छोड़कर)	1,05,68,154/-रुपये
29 फरवरी, 1968 तक ऋणों की वस्तुतः वापस लौटाई गई राशि	64,02,000/-रुपये

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को उड्डयन उत्पाद बनाने के लिये लाइसेंस

6273. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को विभिन्न प्रकार के उड्डयन उत्पाद बनाने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा किन-किन उत्पादों के बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). विमानों के लिए औजारों और सहायक कल-पुर्जों के निर्माण के लिये एच० ए० एल० द्वारा एक सहायक डिवीजन स्थापित करने का विचार है। निम्न चीजों के निर्माण के लिए कम्पनी द्वारा लाइसेंस करारनामें तय किए गए हैं :

(1) पहिए तथा ब्रेकें।

(2) अण्डरकैरेज और संबंधित हाईड्रालिक्स।

(3) औजार और सहायक कल-पुर्जे ।

(ग) आशा है पांच वर्षों की अवधि में लगभग 126.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते

6274. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उनसे प्रभावित व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें सेना मुख्यालय के दिनांक 19 अगस्त, 1954 के पत्र संख्या 63565/ए० जी०/एण्ड आर०जी०-41 डी और प्रतिरक्षा लेखा लेखापरीक्षा महानियंत्रक के निर्णय के अन्तर्गत 1955 के असैनिक कर्मचारी नेमी आदेश संख्या 96 में परिशिष्ट 'ए' और 'जी' में प्रकाशित हुए अनुदेश संख्या 2229/ ए टी पी दिनांक 23 जुलाई, 1955 के अनुसार उपबन्धित वेतन और भत्तों के लाभों से वंचित रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : सदस्य महोदय द्वारा उल्लिखित आदेशों के अन्तर्गत देय, किसी पहले अवसर पर अन्तिम बार प्राप्त किए गए वेतन का लाभ, उसी स्थान पर पुनर्नियुक्ति पर या ऐसे स्थान पर नियुक्ति पर कि जिसका वेतन-मान उस स्थान के वेतनमान के समतुल्य हो कि जिससे, त्यागपत्र, हटाए जाने या डिसमिस किए जाने के अतिरिक्त कारणों के लिये वह डिस्चार्ज हुए, सभी गैर-औद्योगिक स्थायी कर्मचारियों पर उनकी पुनर्नियुक्ति पर लागू होते हैं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है, कि किसी अधिकारी व्यक्ति ने ऐसी प्रार्थना की हो, और उसे, जैसे कहा गया है इस लाभ से वंचित किया गया हो ।

सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग

6275. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 30 दिन के सेवाकाल के अन्तराय की 1960 के असैनिक कर्मचारी नेमी आदेश संख्या 93 में प्रकाशित हुए 24 फरवरी, 1960 के प्रतिरक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 12 (9) 58प्र 1945डी (सिव 2) के अन्तर्गत सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग ने माफ करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या ये आदेश सैनिक सेवा विनियमों के किसी अन्य आदेश अथवा किसी धारा का उल्लंघन करते हैं ; और

(ग) इसको रद्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) नीचे जो कुछ भाग (ग) में कहा गया है, उसे देखते हुए अन्य आदेशों का उल्लंघन या सिविल सर्विस रेगुलेशनों की धाराओं का 1960 के आदेशों द्वारा उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1960 के आदेशों का, उनके पश्चात् दिसम्बर, 1967 में जारी किए आदेशों द्वारा अधिलंघन हो चुका है।

राज्य योजनाओं का बनाया जाना

6276. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य योजनाओं के तैयार किये जाने के बारे में राज्य सरकारों को हाल में कुछ निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). यह एक सामान्य प्रथा है कि राज्य योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया में, योजना आयोग राज्य सरकारों को समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करता है, उनके साथ विचार-विमर्श की व्यवस्था करता है और उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि 1950-51 से आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में जो प्रगति हुई हो वे उसका अनुमान लगायें और अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी के लिए राज्य और जिलास्तर पर आधारभूत आंकड़े इकट्ठे करें।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

6277. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में दोस्ती, संगम, गाइड, तीसरी कसम, यादें, काजल, मेरे महबूब, मुगले आजम, आई मिलन की बेला और वक्त फिल्मों का निर्यात विदेशों को किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के निर्माताओं के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) इन फिल्मों से उक्त अवधि में विदेशों में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और ये फिल्में किन-किन देशों में प्रदर्शित की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा में विभिन्न ग्रेडों की स्थायी संख्या

6278. **श्री अजमल खाँ :** **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री सी० मुत्तुस्वामी : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री गार्डिलिगन गौड :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा में 1 मार्च, 1960 और 1 मार्च, 1968 को विभिन्न ग्रेडों की स्थायी स्वीकृत संख्या उनके वेतनमान समेत कितनी-कितनी थी ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्रेड में कितने अधिकारियों को स्थायी घोषित किया गया है ; और

(ग) स्थायी पदों में और वास्तव में स्थायी बनाये गये अधिकारियों की संख्या में बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-735/68]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कर्मचारी संघ

6279. **श्री शिवप्पा :** **श्री गार्डिलिगन गौड :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री अजमल खां :**
श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 1960 से अब तक कितने कर्मचारी संघों को मान्यता दी गई है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) 1960 से अब तक प्रतिवर्ष इन कर्मचारी संघों के सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितने संकल्प/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और उनका स्वरूप क्या था और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राकेट, प्रक्षेपणास्त्र तथा राडार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

6280. **श्री दामानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेट प्रक्षेपणास्त्र तथा राडार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में समन्वित अनुसंधान तथा विकास के लिए एक पृथक निकाय स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) देश में समग्रतः प्राप्य संसाधनों को सामने रखते हुए और रक्षा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय आधार पर वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए, सरकार द्वारा अगस्त, 1966 में राकेट्री, मीजाईलों और रडार टेकनालोजी के लिए तदर्थ कमेटियां बनाई गई थीं।

राकेट्री और मीजाईलों से संबंधित कमेटी ने इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ सांईसिज, बंगलौर में राकेट्री और मीजाईलों में मास्टर आफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की स्थापना की सिफारिश की थी। प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

रडार टेकनालोजी से संबधित कमेटी ने शुरू-शुरू में एक या दो इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालोजी में, राडार में पाठ्यक्रमों की पुरस्थापना की सिफारिश की थी ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पद

6281. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री शिवप्पा :
श्री अजमल खां :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री द० रा० परमार :
श्री म० अमरसे :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 में उनके मंत्रालय के विभिन्न माध्यम विभागों में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण सेवा के कितने विभिन्न ग्रेड थे तथा उनकी श्रेणियां क्या थीं ;

(ख) विभिन्न माध्यम विभागों में प्रत्येक श्रेणी के कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या इन्हें युक्तिसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर निर्णय करने और क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-736/68]

(ग) जी हां ।

(घ) युक्तिसंगत बनाने का प्रश्न एक विभागीय समिति के विचाराधीन है जो समूचे मामले की छानबीन कर रही है।

भारत में आने वाले तिब्बती लोग

6282. **श्री ब० कृ० दासचौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में इस समय विद्यमान गम्भीर स्थिति के कारण अनेक तिब्बती लोग भारत में आश्रय मांग रहे हैं और बहुत से लोग भारत नेपाल सीमा से भारत में प्रविष्ट हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन तिब्बती शरणार्थियों के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) (1) 1967 में 945 तिब्बती शरणार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में से भारत में प्रवेश किया; जबकि 1966 में 240 तिब्बतियों ने भारत में प्रवेश किया था। चीनियों द्वारा धार्मिक उत्पीडन को उन्होंने भारत में अपने प्रवेश का प्रमुख कारण बतलाया। इस वर्ष केवल एक तिब्बती के भारत में प्रवेश की खबर मिली है।

(2) ऐसी खबरें मिली हैं कि 68 और 43 तिब्बतियों के दो दलों ने जनवरी-फरवरी, 1968 में नेपाल से चोरी-छिपे प्रवेश किया। रिपोर्ट मिली है कि इन दलों के कुछ सदस्य भारतीय प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कुछ वर्षों तक नेपाल में ठहरे थे।

(ख) (1) तिब्बती आवासियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिये कोशिशें की जाती हैं। तथापि, मानवता के आधार पर उनको प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। भारत में प्रवेश करते समय यह पता लगाने के लिए आवासियों की छानबीन की जाती है कि उनमें कोई चीनी एजेंट तो नहीं है। जिन शरणार्थियों की असलियत स्पष्ट नहीं हो पाती उनको निवारक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत रोक लिया जाता है। जिन आवासियों को वास्तविक शरणार्थी पाया जाता है उनके भारत के विभिन्न भागों में पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं। लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1348 के उत्तर में क्रमशः 24 जुलाई, 1967 को और 18 दिसम्बर, 1967 को और दिनांक 21 फरवरी, 1968 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 1479 के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी।

(2) हम नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने के पक्ष नहीं हैं क्योंकि जो शरणार्थी पहले से ही यहां पर हैं उनके लिए ही पर्याप्त भूमि नहीं हैं। अपनी नीति का पालन करते हुए राज्य प्राधिकरणों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि पता लगने पर उनको नेपाल को वापिस उद्वासित कर दिया जाए।

भारत में प्रदर्शित विदेशी फिल्में

6283. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में सिनेमा गृहों में 1967 में कितनी और कौन-सी विदेशी फिल्में दिखाई गईं;

(ख) भारत में विदेशी फिल्मों के आयातकों के नाम क्या हैं;

(ग) कितने मामलों में, सेंसर प्राधिकार ने इन फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और इन फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(घ) सेंसर प्राधिकार ने किन-किन देशों की कितनी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भारत में कम्प्यूटर '1401' का निर्माण

6284. **श्री नम्बियार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में '1401' कम्प्यूटर बनाने आरंभ कर दिये हैं ;

(ख) क्या यह निर्माण-कार्य विदेशी सहयोग से किया जा रहा है यदि हां, तो विदेशी सहयोगी का नाम क्या है तथा सहयोग संबंधी करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) कितने प्रतिशत विदेशी पुर्जे और कितने प्रतिशत भारतीय पुर्जे उपयोग में लाये जा रहे हैं; और

(घ) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). नई दिल्ली के सर्वश्री इण्टरनेशनल विजिनेस मैशीन व्लर्ड टेड् कारपोरेशन को 1401 किस्म के 68 कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है। वह इस्तेमालशुदा मशीनें लाएंगे और देशीय तथा आयात संघटकों का प्रयोग करके उनका भारत में नवीकरण और आधुनिकीकरण करेंगे। यह 1968-70 तीन वर्षों की अवधि में होगा। आशा है इन 68 कम्प्यूटरों के भारतीय और विदेशी संघटक क्रमशः 134 लाख रुपये के और 122 लाख रुपये के होंगे। इसके लिए आवश्यक सर्माया यू० एस० ए० में उनकी मूल कम्पनी लगाएगी, और इस अर्जन उन द्वारा भारत में निर्मित मशीनों के निर्यात से होगा। फर्म की मलकीयत पूर्णतः विदेशीय है।

भारत की विवादग्रस्त सीमायें

6285. डा० **सुशीला नायर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत की कितनी सीमाओं के बारे में पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद हैं;

(ख) क्या सीमा के कोई अन्य क्षेत्र भी हैं जिनका अभी सीमांकन होना बाकी है ; और

(ग) सीमांकन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

पाकिस्तान :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमांतों पर अब तक निम्नलिखित वाद-विवाद पैदा हुए हैं :

आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमांत	7 मील (लगभग)
त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमांत	48 मील (लगभग)

(ख) जम्मू और काश्मीर के अलावा जिन अन्य सीमा रेखाओं का अंकन नहीं हुआ है वे निम्नलिखित हैं :

(1) गुजरात-पश्चिम पाकिस्तान सीमारेखा (लगभग 290 मील)

(2) पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमारेखा (लगभग 98 मील की तरल सीमारेखा को छोड़कर, लगभग 95 मील)

(3) आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमारेखा (लगभग 336 मील)

(ग) चूंकि भारत-पाकिस्तान सीमारेखाओं का अंकन पाकिस्तान प्राधिकारियों के सहयोग से होना है, इसलिए इस बात की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इन सीमारेखाओं का यथा-शीघ्र अंकन करने में उनका सहयोग प्राप्त किया जाय ।

चीन :

जहां तक भारत-चीन सीमांतों का प्रश्न है, उसका उत्तर निम्नलिखित है :

(क) भारत-चीन सीमांत के पश्चिमी क्षेत्र में चीन की सरकार भारतीय प्रदेश के लगभग 14,500 वर्ग मील पर दावा करती है। भारत-चीन सीमांत के मध्य क्षेत्र में चीन की सरकार का दावा भारतीय प्रदेश के लगभग 1,000 वर्ग मील पर है। भारत-चीन सीमांत के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सरकार नेफा के उस समस्त प्रदेश को चीनी प्रदेश कहने का दावा करती है जो हिमालय की तराई तक भारत का है ।

(ख) और (ग). चूंकि भारत-चीन सीमांत सुविदित है और उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता और चूंकि इससे संबंधित प्रश्नों को केवल इसीलिए उठाया गया है कि चीन भारतीय प्रदेश पर दावा करता है और चीनी सेना ने लद्दाख में 14,500 वर्ग मील भारतीय प्रदेश पर

जबरन कब्जा किया हुआ है, इसलिए भारत चीन सीमांत को अंकित करने का तब तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब तक चीन लद्दाख से वापस न हट जाए और जब तक मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश के अन्य भागों पर चीन अपने दावों को समाप्त न कर दे।

आकाशवाणी का 'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम

6286. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी द्वारा अपने कार्मक्रम 'टुडे इन पार्लियामेंट' में पक्ष-पातपूर्ण और गलत सारांश प्रसारित किये जाने के बारे में संसद् सदस्यों तथा अन्य लोगों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के लेखकों की नामिका में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ग) कार्यक्रम के गुण-प्रकार में सुधार करने तथा इसे अधिक निष्पक्ष बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) उन पत्रकारों को, जो दोनों सदनों की कार्यवाहियों में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और जो कमेंट्री लिखने के लिये समय निकाल सकते हैं, आमन्त्रित किया जाता है। स्क्रिप्ट लेखकों की कोई तालिका नहीं है परन्तु जब भी आवश्यक हो, पत्रकारों को ले लिया जाता है।

(ग) कमेन्ट्री तैयार करने का काम सीनियर पत्रकारों को प्रति सप्ताह बारी-बारी दिया जाता है ताकि कमेन्ट्रियों में कोई निश्चित विचार या झुकाव प्रतिबिम्बित न हो। इससे कमेन्ट्री में एक ताजगी रहती है और इसमें विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं जो एक ही कमेन्ट्री करने वाले के द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते। 'टूडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट से बढ़ाकर दस मिनट कर दी गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का लगातार पुनर्विलोकन होता रहता है और इसके स्तर में सुधार करने के लिये जो भी कदम आवश्यक समझे जाते हैं, उठाए जाते हैं। कमेन्ट्री को पक्षपात रहित और जितना भी सम्भव हो उदार बनाने के लिये, इसमें और पत्रकारों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय वायु सेना के लिये राजस्थान विमान बेड़ा

6287. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री को वचन दिया था कि राजस्थान के लोग भारतीय वायु सेना को नैट विमानों का एक बेड़ा भेंट करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजस्थान से अब तक कितना धन दान आदि प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या अब तक प्राप्त राशि को नैट विमानों के खरीदने के लिये अलग रखा गया है अथवा उसे अन्य प्रयोजनों के लिये काम में लाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस संबंध में मुख्य मंत्री राजस्थान के कार्यालय द्वारा निम्न सूचना प्रस्तुत की गई :

'मुख्य मंत्री राजस्थान ने 25 अक्तूबर, 1965 को एक सार्वजनिक सभा में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की उपस्थिति में घोषणा की थी कि नैट विमानों के एक स्क्वाड्रन के लिए वित्त जुटाने के लिए रक्षा निधि में पर्याप्त दान इकट्ठा किया जायगा। राष्ट्रीय रक्षा निधि और मुख्य मंत्री के रक्षा सेवाओं के कल्याण निधि के लिये राजस्थान के लोगों से अंशदान इकट्ठे किये गए हैं, और इन दोनों निधियों की 1 सितम्बर, 1965 से 28 फरवरी, 1968 तक इकट्ठी की गई कुल राशि लगभग 9615164 रुपये होती है। नैट विमानों की उपलब्धि के लिए कोई अलग निधि शुरू करने का कोई अभिप्राय न था। मुख्य मंत्री का आश्वासन सांकेतिक था, ऐसा इशारा करते हुए कि नैट स्क्वाड्रन रक्षा निधि के लिए राजस्थान में इकट्ठी की गई कुल राशि से खरीदा जा सकेगा।

उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों के के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना

6288. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग को तथा सहकारी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये आकाशवाणी ने क्या कार्यक्रम तैयार किये हैं; तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई कल्याण योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सूचित करने की दृष्टि से इसके क्या दीर्घकालीन लाभ हैं; और

(ख) गांवों में तथा शहरों में अपनी विभिन्न प्रचार योजनाओं की सफलता का पता लगाने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या मापदंड अपनाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 16 सघन फार्म और गृह यूनिटें स्थापित की गई हैं। सहकारी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा स्थानीय कार्यक्रमों में सहकारी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा बनाई गई कल्याण योजना भी सभी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों में शामिल की जाती है।

(ख) ग्रामीण व शहरी कार्यक्रमों की उपयोगिता का पता लगाने के लिये कई अध्ययन किए गये हैं, और ये कार्यक्रम समाज के लिए उपयोगी पाए गए हैं।

मिलिट्री इन्जीनियरिंग सेवा के सिविलियन अधीनस्थ कर्मचारी

6289. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय नीति संबंधी यह निर्णय किया है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के ऐसे सिविलियन अधीनस्थ कर्मचारियों का तबादला जिनकी 53 वर्ष की आयु हो चुकी हो, उनके मुख्यालय से बाहर नहीं किया जायेगा जब तक कि वे स्वयं ऐसा न चाहें;

(ख) क्या यह भी सच है कि कमांडर वर्क्स इंजीनियर, पालम में काम करने वाले मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के कुछ ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी आयु 54 वर्ष की हो चुकी है, तबादले के आदेश दे दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली से बाहर उनका तबादला करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त नीति संबंधी निर्णय के अनुसरण में इन कर्मचारियों ने कोई अपील की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई नीति निर्णय नहीं लिया गया है। तदपि, सैनिक मुख्यालयों के इंजीनियर इन चीफ एम० ई० एस० में असैनिक अधीनस्थ सेविवर्ग के तबादलों के संबंध में कुछ ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं कि जिनमें और बातों सहित ऐसा निर्धारण किया गया है, कि 53 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में तबदील नहीं किए जाएंगे, अगर वह स्वयं ऐसे तबादले के लिये अपने आपको प्रस्तुत न करें। इसलिए 53 वर्षों से ऊपर आयु के व्यक्ति एक ही क्षेत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान को तबदील किए जा सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) दो में से, कि जिन्हें दिल्ली के बाहर तबदील किया था, एक क्लर्क ने अपने आपको तबादले के लिए प्रस्तुत किया था। दूसरे को एक क्लर्क के बदले में दिल्ली के बाहर तबदील किया गया था, जिसे करुणामूलक कारणोंवश दिल्ली में तबदील किया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) अपने आपको तबदीली के लिये प्रस्तुत करने वाले क्लर्क ने अपनी प्रार्थना बाद में वापस ले ली थी। इसे स्वीकार नहीं किया गया, और उसे बाहर तबदील कर दिया गया। दूसरे

क्लर्क को राजस्थान में एक स्थान पर तबदील किया गया था, जो उस समय दिल्ली क्षेत्र का अंश था। इस प्रकार उसकी तबदीली क्षेत्र के अन्दर ही अन्दर थी, और तबादला निरसित करने की उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई थी।

पिछड़े क्षेत्र

6290. **श्री उमानाथ :** क्या **प्रधान मंत्री** पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में 29 सितम्बर, 1964 को हुई आधे-घंटे की चर्चा के समय दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के बाद क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) सामान्य योजना नियतनों के अतिरिक्त मद्रास और अन्य राज्यों में निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा विशेष धनराशि के नियतन के बारे में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि अब तक कोई विशेष नियतन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में 29 सितम्बर, 1964 को सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दिनांक 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) से (घ). राज्य सीमाओं के अन्तर्गत उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास का प्रावधान राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग होगा। इस सम्बन्ध में 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2713 और 21 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1401 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Development of Rural and Urban Areas

6291. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the expenditure with details thereof incurred on the development of urban and rural areas during the last three Five Year Plans respectively ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : It is difficult to quantity the expenditure incurred on the development of urban and rural areas separately. It is not possible to indicate the break-up of such outlays as between the urban and rural areas.

Haj Pilgrims

6292. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the followers of Islam have to obtain the permission of Government for going on Haj pilgrimage; and

(b) if so, the number of applications received and sanctioned by Government in 1967-68?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). No specific permission for going on Haj pilgrimage is required. But, taking into consideration the Country's difficult foreign exchange situation, Government fix a ceiling on the number of persons who may be issued foreign exchange for proceeding on Haj pilgrimage during the Haj Season.

The total number of applications received and the total number of persons who proceeded on Haj 1967-68, were as under:

Number of applications received ..	30,859
Number of persons including infants who proceeded on Haj pilgrimage. ..	15,171.

पूर्वी पाकिस्तान में चीन की सांस्कृतिक मण्डली द्वारा प्रदर्शित नाटक

6293. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की एक सांस्कृतिक मण्डली ने पूर्वी पाकिस्तान के विभिन्न भागों में पिछले फरवरी मास में 'लाल प्रथा' नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी ;

(ख) क्या यह नाटिका भारत विरोधी थी;

(ग) क्या इस नृत्य नाटिका के प्रदर्शन के दौरान इसके नेता श्री मी० की० सू ने अपने परिचयात्मक भाषणों में भारत के विरुद्ध जानबूझ कर घृणा का प्रचार किया; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथाकथित चीन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर ऐसी भारत-विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक चीनी सांस्कृतिक मंडली 'प्राची लाल है' ने गत वर्ष फरवरी में पूर्व पाकिस्तान का दौरा किया और कई अभिनय किए ।

(ख) इसके प्रमुख कार्यक्रमों का विषय था 1965 के संघर्ष की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान चीन मैत्री । इस नाट्यक्रम में, लेखक के शब्दों में भारत की प्रतिक्रियावादी सेना के विरुद्ध चीनी और पाकिस्तानी सैनिकों को प्रयाण करते हुये दिखलाया गया ।

(ग) उद्घाटन वाले दिन, इस मंडली के नेता हसू पिंग ने यह घोषणा की कि भारत के विस्तारवादी मंसूवे के खिलाफ लड़ने में पाकिस्तान चीन पर भरोसा कर सकता है । उसने यह भी कहा कि चीन के सत्तर करोड़ लोग आत्मनिर्णय के लिए काश्मीरियों के संघर्ष का समर्थन करते हैं ।

(घ) भारत सरकार पाकिस्तान और चीन के बीच सांठ-गांठ के बारे में पूरी तरह से सतर्क है । इस नीति के आशयों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

देश में अपूर्ण परियोजनायें

6294. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक राज्यवार कितनी और किन-किन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है, जिनको मूल कार्यक्रम के अनुसार पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाना चाहिये था;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). अपेक्षित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी, इसमें कुछ समय लगेगा ।

अमरीका में भारतीय राष्ट्रजन

6295. **श्री महंत दिग्विजय नाथ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने अमरीका में रह रहे भारतीय राष्ट्रजनों को अमरीकी नागरिकता प्रदान करने का पुराना कोटा कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार को भारतीय राष्ट्रजनों को अमरीकी नागरिकता प्रदान करने संबंधी नियमों तथा विनियमों में कुछ ढील करने के लिये कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं । यू० एस० ए० की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई, 1968 से सभी देशों के आप्रवासियों के लिये कोटा-प्रणाली को समाप्त कर देगी । भविष्य में व्यक्तिगत मामलों पर निर्णय इस आधार पर लिया जायगा कि परिवारों का पुनर्मिलन कराने और व्यावसायिक निपुणता वाले आप्रवासियों को प्रवेश देने को प्राथमिकता दी जाए ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

मारिशस में दंगे

6296. **श्री महंत दिग्विजय नाथ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्टलुई, मारिशस में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन दंगों में कितने भारतीय राष्ट्रजन मारे गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, हाल में कुछ गड़बड़ी हुई थी लेकिन स्थिति अब शांत बताई जाती है।

(ख) इसमें भारतीय राष्ट्रिक नहीं फंसे थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सर जफरुल्ला खां की भारत गतिविधियां

6297. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री वामानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के सर जफरुल्ला खां जो विश्व न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं पिछले कुछ समय से भारत-विरोधी राजनैतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर जफरुल्ला खां की गतिविधियां विश्व न्यायालय की संविधि के प्रतिकूल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) खबर मिली है कि सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने हाल ही में भारत की आलोचना करते हुए कुछ भाषण किये थे।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अन्तर्गत, जजों के लिये यह निषिद्ध है कि वे राजनैतिक कार्रवाइयों में उलझें।

(ग) 19 मार्च, 1968 को सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-737/68]

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग

6298. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय से कुछ भारतीय वृत्त चित्र गुम पाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुम हुए कुछ वृत्तचित्र कोलंबो में पटरियों पर बिकते हुए पाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो श्रीलंका में उच्चायोग के कार्यालय से कितने वृतचित्र गुम पाये गये हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, बताया जाता है कि आठ फिल्में चोरी चली गई हैं।

(ख) जी हां, एक फेरी वाले (हाकर) के पास दो फिल्में मिली थीं जो उससे ले ली गई हैं।

(ग) 6 डाकुमैंटरी फिल्में अब भी लापता हैं।

(घ) हमारे हाई कमीशन ने इस बारे में स्थानीय अधिकारियों के पास रिपोर्ट की है और वे बाकी छः फिल्मों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसरायल और संयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं के बीच गोलाबारी

6299. **श्री मुहम्मद इमाम : श्री शिवप्पा : श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री गार्डिलिंगन गौड :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1968 को इसरायल और संयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं के बीच स्वेज नहर पर भारी गोलाबारी हुई थी ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया में इन घटनाओं को गम्भीर समझा है ; और

(ग) क्या इन नवीनतम घटनाओं के बारे में नई दिल्ली में पश्चिम एशियाई देशों के राजनयिक मिशनों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नई दिल्ली स्थित अरब मिशन प्रमुख पश्चिम एशिया की घटनाओं के बारे में विदेश मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुये हैं।

रूसी युद्धपोतों का भारतीय पत्तनों में आना

6301. **श्री शिवप्पा : श्री अजमल खां : श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री गार्डिलिगन गौड : श्री सु० कु० तापड़िया : श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों से लैस रूसी युद्धपोतों की भारतीय पत्तनों में आने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में 22 मार्च, 1968 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यू० एस० एस० आर० नौसेना के तीन जहाज सदभावना भ्रमण पर भारत आए हैं। जहां तक ज्ञात है, कोई भी जहाज नाभिकीय साधनों से सज्जित नहीं है।

(ख) और (ग). जी हां। ऐसी प्रथा है कि मित्र देशों के जहाज सदभावना भ्रमण करते हैं, और इसलिए उस भ्रमण के सम्बन्ध में कोई असाधारण बात नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जोरहाट के नगर आयुक्त श्री शाह सैयद हुसैन का पूर्वी पाकिस्तान को भाग निकलना

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"जोरहाट (आसाम) के नगर आयुक्त श्री शाह सैयद हुसैन, जोरहाट षडयंत्र के मामले में शामिल थे, के पूर्वी पाकिस्तान को भाग निकलने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 19 मार्च, 1968 को मैंने सभा में आसाम के शिवसागर जिले में तितबार डाकखाने के अन्तर्गत पानीनोरिया गांव में एक प्लास्टिक बम आदि पकड़े जाने तथा इस सम्बन्ध में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में एक वक्तव्य दिया था। प्रश्नों के उत्तरों में मैंने बताया था कि कुछ लोग जिनकी पुलिस को तलाश थी फरार हो गये थे। जोरहाट नगरपालिका के आयुक्त श्री शाह सैयद हुसैन भी फरार व्यक्तियों में से एक हैं। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार ने समाचार-पत्रों में यह समाचार पढ़ा है कि वह पूर्वी पाकिस्तान को भाग गए हैं। सरकार को इस मामले में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इस मामले से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस यथासम्भव प्रयास कर रही है।

श्री रा० बरुआ : यह एक गम्भीर मामला है। आसाम में एक स्वतन्त्र सरकार की मांग की गई थी और इस मांग के पीछे शाह सैयद हुसैन का हाथ बताया जाता है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह बात सामने आई है कि एक वर्ष पहले इन लोगों की छिपे रूप में गतिविधियां चल रही थीं। शाह सैयद हुसैन जैसे सुविख्यात व्यक्ति जोरहाट से कैसे निकल सके ? सरकार इस मामले में क्या कर रही है ? क्या सरकार का जांच विभाग वास्तविक मामले का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने में सहायता कर सकता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसे एक गम्भीर मामला मानता हूं। आसाम सरकार इस मामले में सक्रियता से जांच कर रही है और हमें समय-समय पर इस बारे में सूचना मिलती रहती है। माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जांच के कार्य का उत्तरदायित्व एक एजेन्सी पर होता है। अन्य एजेन्सियां उसकी सहायता कर सकती हैं। हम सभी प्रकार सहायता देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : शाह सैयद हुसैन के पाकिस्तान को भाग निकलने के अतिरिक्त यह समाचार मिला है कि छिपे नागाओं के तथाकथित सेनाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री पेकिंग में हैं जिससे आसाम सरकार के अधिकारियों में असंतोष है। ये तत्व तथा शक्तियां आसाम को भारत से अलग करने के लिए कार्य कर रही हैं। ये शक्तियां तथा तत्व कम होने के बजाय दिन-प्रति-दिन सुदृढ़ होते जा रहे हैं। ये सभी बातें एक साथ ली जानी चाहिये। क्या यह सच नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी राजनीतिक दल का सदस्य है ? क्या यह सच नहीं है कि वह व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय से आसाम को पृथक करने के आन्दोलन से सम्बन्धित है। सरकार इस मामले में क्या कर रही है जब कि इस प्रकार के तत्व सक्रिय हैं, वे जब चाहें भारत छोड़ दें और जब चाहें भारत वापिस आ जायें ? सरकार को इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम इस मामले में ठोस कार्यवाही कर रहे हैं। आसाम में पुलिस द्वारा स्वयं पहल करने के परिणामस्वरूप सफलता मिली है। इस प्रश्न पर चर्चा के समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। पुलिस द्वारा पहल करने से इस षडयंत्र का पता लगा और वे व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं यह सूचना दी थी कि नागा लोगों का न केवल चीन से सम्बन्ध है अपितु उनमें कुछ चीन में हैं और हथियार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल प्रधान मंत्री ने भी बताया था कि यह बात उनके साथ हुए हमारे समझौते के प्रतिकूल है। सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री नाथपाई : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह व्यक्ति इस आन्दोलन से वर्ष 1967 के आरम्भ से ही सम्बन्धित नहीं है और क्या वह किसी राजनैतिक दल विशेष का सदस्य नहीं है ? क्या गुप्तचर विभाग को इसकी जानकारी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने स्वयं बताया था कि वे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्य थे। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने वक्तव्य दिया है कि उसने इन सदस्यों को अपने दल से निष्कासित कर दिया है। हमें इस बात का सन्देह था कि वर्ष 1967 से ये लोग इन तत्वों से सम्बन्धित थे। हम उन पर नजर रख रहे थे और उसी के परिणामस्वरूप इन बातों का पता चला।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : यद्यपि सरकार यह जानती है कि षडयन्त्र में उसका हाथ है, किन्तु एक मंत्री महोदय के सम्बन्धी होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है और

उसे पूर्वी पाकिस्तान जाने दिया गया। क्या हमारे गृह-कार्य मंत्री इतने असहाय हैं कि राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसे पूर्वी पाकिस्तान जाने दिया गया ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उत्तेजक वक्तव्य दे रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वह मंत्री महोदय के सम्बन्धी हैं। माननीय सदस्य का इस प्रकार बात कहना उचित नहीं है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : May I know whether Government have ascertained from Pakistan Government whether he is in Pakistan ? Keeping in view the fact that East Pakistan is helping Nagas and Mizos in Assam for revolt, will the Government of India take countersteps in this regard ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। इस प्रकार पाकिस्तान सरकार के बारे में जानकारी न मांगिये। क्या हम उनसे हां या न कहलाने की आशा रखते हैं ?

Shri George Fernandes : Why not.

श्री म० ला० सोंधी : ताशकन्द समझौते के अनुसार।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, जब तक हमें अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है कि वह भारत से पाकिस्तान चले गये तब तक इस बारे में कैसे सोच सकते हैं।

Shri George Fernandes : The second part of my question is whether Government will help the anti-Pakistan elements in East Pakistan for revolt against the East Pakistan Government ?

राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST CHAIRMAN OF S. T. C.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) Mr. Speaker, I beg to move for the leave of the House to raise a question of privilege under Rule 222 against the Chairman of the State Trading Corporation, Shri B. P. Patel. On many occasions Shri Babu Rao Patel has exposed the scandals relating to the State Trading Corporation in the House as well as outside.

When Shri B. P. Patel came to know that the said M. P. was making disclosures about the State Trading Corporation in the House, he (Shri B. P. Patel) tried to contact Shri Babu Rao Patel. On 29th January, 1968, Shri B. P. Patel was able to meet Shri Babu Rao Patel and made a request to him to stop exposing the State Trading Corporation. Shri B. P. Patel went a step further. When Shri Babu Rao Patel made it clear so Shri B. P. Patel that as a Member of Parliament it was his duty to expose the scandals involving the wastage of Public money, Shri B. P. Patel approached Rajmata Scindia with whose help Shri Babu Rao Patel had been elected to Lok-Sabha. He (Shri B. P. Patel) requested the Rajmata to use her influence to dissuade Shri Babu Rao Patel from exposing the affairs of the State Trading Corporation in the House. The Rajmata called Shri Babu Rao Patel and told him about Shri B. P. Patel's talks with her.

On 21st February, 1968 Shri Babu Rao Patel sent a registered letter to Shri B. P. Patel in which he made clear that it was on his (Shri B. P. Patel) part to have approached the Rajmata to influence him (Shri Babu Rao Patel).

Members of Parliament should have a freedom from 'molestation' so that they may express their views and expose scandals in the House. Since Shri B. P. Patel has tried to influence Shri Babu Rao Patel, there is a **prima facie** case of breach of privilege and the matter should, therefore, be referred to the Privileges Committee.

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : राज्य व्यापार निगम ने गन्धक की सप्लाई के लिये मेसर्स ओवल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, न्यूयार्क के साथ एक करार किया था और यह प्रश्न इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है। मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति से इस मामले की जांच कराई जा सकती है। आपके निर्णय के अनुसार 25 जुलाई को यह मामला जांच के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने करार के सभी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जांच की है।

मेरा निवेदन यह है कि अधिकारी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वह इस सभा के किसी सदस्य के पास जाये और उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करे क्योंकि यह मामला पहले ही सभा के समक्ष था। यह मामला अब सरकार और समिति के बीच है। जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है उसने यह दावा नहीं किया कि अधिकारी ने उन पर किसी तरह का प्रभाव डालने का प्रयास किया। अधिकारी सदस्य के पास अवश्य गया परन्तु उसने सदस्य को किसी तरह की धमकी नहीं दी तथा उसने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जिससे इस सभा में काम करने के लिये सदस्य की स्वतंत्रता में कोई बाधा पड़े। अधिकारी ने सदस्य को केवल यही कहा कि आपके लेखे में कुछ त्रुटियां हैं।

जहां तक राजमाता से अधिकारी के मिलने का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं कि अधिकारी राजमाता से अवश्य मिला परन्तु उस भेंट में उस अधिकारी ने राजमाता को वही चीज कही जो उसने सदस्य को कही थी। सदस्य पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव डलवाने का प्रश्न ही नहीं था। जो बात उसने राजमाता से की उसने उसका उल्लेख कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइये। इस मामले पर आगे चर्चा का प्रश्न केवल तभी उठेगा यदि इस प्रस्ताव को अनुमति मिल जाये जिसके लिये 25 सदस्यों का समर्थन मिलना अनिवार्य है। इसलिये मेरी उन सदस्य से, जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, प्रार्थना है कि वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें। मैं समझता हूं कि चूंकि पच्चीस से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये इसे अनुमति दी जाती है।

Shri A. B. Vajpayee : I beg to move :

"That this House resolves that the question of breach of privilege raised by Shri Kanwar Lal Gupta against the Chairman, State Trading Corporation, be referred to the Committee of Privileges for investigation, with instructions to report by the first day of the next Session of the House."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन के विरुद्ध श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार भंग का प्रश्न जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सभा के अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नारियल के रेशे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण), अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नारियल के रेशे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1003 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-726/68]

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 की एक प्रति।

(2) विनियोग लेखे (सिविल), 1966-67 की एक प्रति।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-727/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

इक्तालिसवां प्रतिवेदन

श्री कण्डप्पन (मैटूर) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय मत्स्य कार्मिक संस्था, एरणाकुलम—के बारे में प्राक्कलन समिति का 41वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री नाथपाई के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति के लिए, सर्वश्री राम निवास मिर्धा, जे० शिवषण्मुगम पिल्ले और त्रिलोकी सिंह के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों में, राज्य सभा के तीन सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री नाथपाई के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति के लिए, सर्वश्री राम निवास मिर्धा, जे० शिवषण्मुगम पिल्ले और त्रिलोकी सिंह के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों में, राज्य सभा के तीन सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

शिक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती तारा सप्रे अपना भाषण जारी करेंगी । वह पहले आठ मिनट ले चुकी हैं ।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय......

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं कल अनुपस्थित था इसलिए मुझे अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 189 उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें ।"
[देश में अध्यापकों की दशा सुधारने में असफलता । (189)]

अध्यक्ष महोदय : अब यह कटौती प्रस्ताव भी सभा के सामने है ।

श्रीमती तारा सप्रे : मेरे राज्य में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । बहुत सी पाठ्य-पुस्तकें स्कूल खुलने के समय मुश्किल से मिलती हैं । उन पाठ्य पुस्तकों में घटिया किस्म का कागज लगाया जाता है तथा उनकी छपाई भी अच्छी नहीं होती है । हमें यह देखना चाहिए कि पाठ्य-पुस्तकों का आकार अच्छा हो, छपाई सुन्दर हो और जिल्दें बड़ी आकर्षक हों । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक राज्य में एक स्वायत्तशासी निकाय बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से काम करे ।

हमें विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकें आधुनिक भारतीय भाषाओं में तैयार करने का प्रयास करना चाहिए । आधुनिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों का अच्छी तरह अनुवाद हो सके इसके लिए केन्द्र को काफी सहायता दी जानी चाहिए ।

अब मैं परीक्षाओं में सुधार करने के बारे में कुछ कहूंगी । हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है । आजकल विषय को याद करने और एक वर्ष के बाद परीक्षा में उसे व्यक्त करने पर जोर दिया जाता है । मैं समझती हूं कि छात्रों की योग्यता को आंकने का यह गलत तरीका है । इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं अपने जिला स्कूलों की कठिनाइयों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी । रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि यूनेस्को द्वारा शिक्षा के विस्तार के लिए हर साल काफी सहायता दी जाती है परन्तु राज्य स्तर के राष्ट्रीय आयोग उसे जिला स्कूलों तक नहीं पहुंचाते हैं । यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना अथवा उपहार योजना का नाम जिलों में कभी नहीं सुना गया है । अतः मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि यूनेस्को द्वारा दी जाने वाली सहायता जिला परिषदों के माध्यम से जिला स्कूलों को भी मिलनी चाहिए ।

मैं एक दो शब्द राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में भी कहना चाहूंगी । इस योजना को अवश्य ही ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । उसे आरम्भ करने से दो-तीन वर्ष पहले हमें कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के माध्यम का महत्व लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

अंग्रेजों के समय में शिक्षा प्रणाली इस देश के लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी। वह तो प्रशासन के लिए कुछ क्लर्क तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अतः यह आशा की जाती थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन किये जायेंगे। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज हमारे देश को आजाद हुए कोई 20 वर्ष हो चुके हैं परन्तु हमारी शिक्षा की प्रणाली वही रही है। श्री त्रिगुण सेन द्वारा शिक्षा के कार्य-भार को सम्हाल लिए जाने से लोगों के दिल में यह जो आशा बंध गई थी कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा उस पर सारा पानी फिर गया। एक वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि उन्होंने भी पुरानी व्यवस्था का अनुकरण करना आरम्भ कर दिया है।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमें शिक्षा की प्रणाली समस्याओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। केवल तब ही इसका सरलीकरण और वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण किया जा सकेगा।

कुछ समय पहले दिल्ली के अध्यापकों ने हड़ताल की थी और उन्होंने वेतन बढ़ाए जाने तथा अन्य सुविधायें दी जाने की मांग की थी। उस समय उनको यह बताया गया था कि सरकार के पास धन नहीं है। परन्तु प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि हमारे देश में कुछ शिक्षा संस्थाओं पर कैसे धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिमला में उन्नत अध्ययन संस्था, दिल्ली में नेहरू संग्रहालय तथा जामियां मिलियां आदि संस्थाओं पर काफी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। परन्तु शिक्षा मंत्रालय की इस फिजूलखर्ची को रोकने से बहुत बचत की जा सकती है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को रोकने से भी बहुत बचत की जा सकती है।

शिक्षा के दो पहलू हैं—शिक्षा का ढांचा और शिक्षा का विषय। जहां तक शिक्षा के ढांचे का सम्बन्ध है शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा है। परन्तु हमने दो विश्वविद्यालय आयोग और एक उच्चतर माध्यमिक आयोग तो नियुक्त कर दिये हैं और देश में प्राथमिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने का कोई प्रयास नहीं किया है। कोई समन्वय नहीं किया गया है तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की देश में बहुत अवहेलना की जाती है।

मेरा पहला निवेदन यह है कि शिक्षा मंत्रालय को प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। उस प्रयोजन की पूर्ति के लिये एक प्राथमिक शिक्षा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जिसमें कुलपतियों के अलावा प्राथमिक अध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा ग्रामवासी भी होने चाहिए ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार कर सकें और यह सुझाव दे सकें कि हम समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा की कैसे समन्वित प्रणाली बना सकते हैं।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए एक ही तरीका अपनाया जाना चाहिए। उन्हें समान सुविधायें भी प्रदान की जानी चाहिए। यदि प्राथमिक शिक्षा अच्छी न हो तो छात्रों की बुनियाद कमजोर रह जाती है तथा बाद में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जब

तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं किया जाता तब तक देश में शिक्षा के ढांचे का धरातल रेतीला रहेगा। जो अधिक समय तक चल नहीं सकेगा। इसलिये मंत्रालय को सबसे पहले देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर तथा उसमें सुधार करने पर अपना ध्यान देना चाहिए। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तो मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना चाहिए। राज्य इस उद्देश्य की पूर्ति इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं।

प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् मैं माध्यमिक शिक्षा पर आता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक स्तर पर कुछ काम किया गया है परन्तु अभी भी बहुत काम करना शेष है। हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी समिति की आवश्यकता है जो समूचे देश में माध्यमिक शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था कर सके। हमें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को सभी व्यावसायिक कालेजों और लोक सेवाओं के लिये प्रवेश परीक्षा बना देना चाहिए। केवल यही मार्ग है जिससे हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कुछ महत्वपूर्ण बना सकते हैं।

उच्चतर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये अच्छे अध्यापकों का होना आवश्यक है। शिक्षा का स्तर शिक्षा संस्थाओं की इमारतों व शिक्षकों के वेतन से नहीं बल्कि उनके गुणों से ही आंका जाता है जिस बात की यहां पर परवाह नहीं की जाती है। हमारा देश एक गरीब देश है। हम बड़ी इमारतों के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि बहुत सी शिक्षा संस्थायें विदेशी प्रतिष्ठानों से अनुदान लेने का प्रयत्न करती हैं ताकि वे इमारतों, अध्यापकों की नियुक्ति, उनके वेतन बढ़ाने आदि पर अधिक धन व्यय कर सकें। खर्च बढ़ाने के लिये 'प्रिसेप्टोरियल' प्रणाली जैसी बेकार चीजों को जारी किया जाता है। इस प्रणाली को कुछ विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है जिसके फलस्वरूप 50 प्रतिशत कर्मचारी बढ़ाये गये हैं। मेरे विचार से इस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार बचाये गये धन से अधिक स्कूल व कालेज खोले जाने चाहिए। इसके अलावा हमें सायंकाल और प्रातःकाल की कक्षाएं और पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिए ताकि कार्यालयों और उद्योगों आदि में काम करने वाले लोग अपनी शिक्षा बढ़ा सकें।

जब अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे तो वे लोगों को क्लर्क बनाना चाहते थे। अत: शिक्षा में केवल नैतिकता ही नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय गुण भी नहीं थे। अब हम स्वतन्त्र हो गये हैं परन्तु अब भी हमारी शिक्षा में नैतिकता एवं राष्ट्रीयता की कमी है। इसका फल यह हुआ है कि हमारे नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम उत्पन्न होने की बजाय उसका उल्टा असर हुआ है।

कुछ विश्वविद्यालय तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। मैं यहां पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का विशेषकर उल्लेख करना चाहता हूं। अंग्रेजों ने इस विश्वविद्यालय को अलगाव की भावना पैदा करने के उद्देश्य से खोला था तथा वे इसमें सफल रहे। अब यह विश्वविद्यालय राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया है। कुछ समय पहले इस विश्वविद्यालय

के स्वरूप को बदलने का प्रस्ताव किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मेरी और सारे देश की यही मांग है कि इसके स्वरूप को बदल दिया जाना चाहिए।

पहले तो केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही था परन्तु अब उसकी एक शाखा अर्थात् जामिया मिलिया भारत की राजधानी में भी है। यह संस्था भारत सरकार के धन से चल रही है और उसमें 85 प्रतिशत छात्र हिन्दू हैं। वहां पर साप्ताहिक छुट्टी रविवार की बजाय शुक्रवार को हुआ करती थी जिसका छात्र विरोध किया करते थे परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय के डाक्टर प्रसाद को इस कालेज के काम-काज की जांच करने के लिए हाल ही में नियुक्त किया गया था और उन्होंने कहा है कि इस कालेज का 90 प्रतिशत स्टाफ अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आया हुआ है और इस कालेज को अलीगढ़ की एक शाखा ही बनाया जा रहा है। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस संस्था की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। मेरे विचार से सबसे अच्छी बात यही होगी कि इस संस्था को नेहरू विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए जिसकी हाल में स्थापना होने वाली है।

शिक्षा मंत्रालय को प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना चाहिए तथा विभिन्न राज्यों में हो रहे शिक्षा सम्बन्धी काम में समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस काम के लिए उसे सभी प्रदेशों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में फिल्हाल शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी होना चाहिए और फिर वहां पर शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी में ही होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को अच्छी पुस्तकें और अच्छे ढंग के साहित्य की व्यवस्था करनी चाहिए। इस काम के लिए एक करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं परन्तु अब तक कुछ काम नहीं किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि इस काम के लिए विद्वानों के संघ बनाए जाने चाहिए जो पुस्तकें लिखे और अनुवाद कार्य करें। उन्हें पैसे भी काम के अनुसार दिए जाने चाहिए। हमें ये पुस्तकें जल्दी से जल्दी तैयार करवा लेनी चाहिए ताकि हम प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दे सकें।

श्री बैरो (नाम निर्देशित – आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र श्री बलराज मधोक से सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर पांच मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैंरो अब अपना भाषण जारी करेंगे।

श्री बैंरो : संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सब बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी परन्तु हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि विभिन्न कक्षाओं में भर्ती बढ़ गई है। पहली से पांचवीं कक्षा में ढाई गुणा और छठीं से आठवीं कक्षा में भर्ती तिगुणी हो गई है। परन्तु मैं प्राथमिक शिक्षा की सारी तस्वीर का सर्वेक्षण करना चाहता हूं।

कक्षा में नाम दर्ज करा लेने का मतलब कक्षा में उपस्थिति नहीं है। जब हम यह कहते हैं कि पांच करोड़ बालक स्कूलों में हैं या स्कूल जाने वाले 75 प्रतिशत बालक स्कूल में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे 60 प्रतिशत बालक जो पहली कक्षा में दाखिल हुए वे अभी भी कक्षा तीन तक नहीं पहुंच पाये हैं।

अब मैं स्कूलों की इमारतों के बारे में कुछ कहूंगा। हमारे 50 प्रतिशत प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की अपनी इमारतें नहीं हैं और वे पूर्णतया अनुपयुक्त स्थानों में काम कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य में किये गए मूल्यांकन से पता चलता है कि 60 प्रतिशत प्राइमरी, मिडिल और सेकेन्डरी स्कूलों के पास उपकरण नहीं थे तथा तकनीकी संस्थाओं में भी 53 प्रतिशत उपकरणों की कमी थी। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। गणित और विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों की 40 प्रतिशत कमी है तथा तकनीकी संस्थाओं में 35 प्रतिशत कमी है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में भी लगभग 50 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण नहीं होते हैं। हमारे स्कूलों की शिक्षा की यह हालत है।

मेरे माननीय मित्र श्री मधोक ने नई संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख किया था परन्तु मैं ऐसी नई संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख कर रहा हूं जो एक-सा काम करती हैं। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि योजना के नाम पर एक जैसा काम करने वाली अधिकाधिक संस्थाएं खोली जा रही हैं।

मैं समझता हूं कि डा० सेन को प्राइमरी शिक्षा के विस्तार पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्हें अध्यापकों की दशा सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए। वह इस उद्देश्य की पूर्ति प्राइमरी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बोर्ड बनाकर कर सकते हैं परन्तु वह ऐसा स्थानीय अधिकारियों की सलाह से कर सकते हैं। यदि वह ऐसा कर लेते हैं तो उनका नाम इतिहास में ऐसे प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में लिखा जाएगा जिसने देश की शिक्षा के लिए अपना सच्चा अंशदान दिया है।

अब मैं त्रि-भाषा सूत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब डा० सेन शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने त्रि-भाषा सूत्र का विरोध किया था। इस सूत्र को लागू करना सम्भव नहीं है और शिक्षा की दृष्टि से भी दोषपूर्ण है। शिक्षा मंत्री को अपने सहयोगियों को समझाना चाहिए कि यह

सूत्र दोषपूर्ण है । इसे लागू करने के लिए केन्द्र के पास संवैधानिक शक्ति नहीं है । हमें द्विभाषावाद अपनाना चाहिए और देश में एकता कायम करनी चाहिए ।

मुझे एक और बात कहनी है और वह है खेलकूद के बारे में । खेलकूद के बारे में शिक्षा मंत्री को प्रत्येक खेलकूद संस्था को यह बता देना चाहिए कि यदि दक्षिण अफ्रीका हमारा मुकाबला करेगा तो हम अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे । उन्हें इस बात को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता देना चाहिए । हमारे देश की प्रत्येक खेलकूद संस्था में मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि वह जान सके कि उनकी नीतियां क्या हैं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, In the beginning I would like to say something about the suggestions given by the Kothari Commission regarding the teachers. By the figures given by this Commission it becomes quite clear that the teachers who are called nation builders are not getting sufficient pay. It is a matter of great regret that in spite of the recommendations made by Kothari Commission for upward revision of pay scales of teachers their pay scales have not been revised so far. In my State of Bihar about one and a half lakh teachers had agitated for the revision of their pay scales and were forced to go on strike. In this connection they had met their Chief Minister also. But it is regretted that nothing is being done in that regard. I think that perhaps the State Governments do not have the necessary finances with them. Hence I feel that the Central Government should give assistance to States for that purpose. There is no doubt that some States have done something in this regard but Bihar has done nothing so far.

At page 199 of the Report of Kothari Commission stress has been laid on the importance of teaching of mathematics. There is a great importance of mathematics in the development of physical sciences. They have said that it is desirable that the course in arithmetic and algebra should be integrated and emphasis placed on the laws and principles of mathematical thinking. I find that there has been some progress in this regard in the schools of Delhi but nothing has been done in the rest of the country.

The second thing that I would like to say is this that more universities should be opened in the country. The need of one university in Bihar is greatly felt.

It is a matter of great regret that sufficient attention has not been paid to the propagation and expansion of Hindi in our country. My submission is that for this purpose one university should be set up at Hyderabad.

Now I would like to say something about the Central Hindi Directorate. It is a matter of great regret that in this Directorate and in some other Directorates too there are grave irregularities in their working. The treatment meted out to the Hindi scholars there is also a matter of great regret. Their only fault is that they know Hindi. Had they been scholars of other languages perhaps they might not have been treated the same way.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I find it difficult to support the demands of the Ministry of Education which have been put before the House. The reason for that is that this Ministry has done nothing to change the system of education which was designed by the Britishers to produce clerks. It was hoped that after independence the system of education would be changed but our hopes have been belied. The education of children should be given top priority.

Sir, it has been laid down in the directive principles of our Constitution that free and compulsory education would be given within a period of ten years to all children till they complete the age of fourteen years. But we find that this has not been done even though twenty years have passed. This work should not be left to the States and the Central Government itself should take up that responsibility. I know it is not a concurrent subject but still it is Government's responsibility to implement what has been laid down in the Constitution.

We cry hoarse for secularism but our system of education is not well adjusted. The result is that communal atmosphere has been prevalent throughout the country.

When Dr. Sen took over the charge of this Ministry we hoped that something concrete would be done in this field. But we find that now it has been said that the Universities are autonomous bodies and therefore no restrictions can be imposed on them. We find that in Maharashtra 1,55,000 students have appeared for S.L.S. examinations. Out of them 1,05,000 have not offered English because English is optional there. Now all such students would not be able to get admission to any college as the University has made a rule that those students who have not offered English would not be admitted to colleges. This is not a good thing and it should be put an end to.

Some time back there was some trouble in the Medical College of Nagpur. The students had some grievances. They wanted that those grievances should be removed. But the University paid no heed in their grievances. Instead of attending to their grievances the authorities concerned called in the police. The police beat the students mercilessly. Some of them received grievous injuries and the legs and arms of some student were fractured. This was very unfair on their part. Such a thing should stop there as it may create the spirit of indiscipline among the students.

The Government should feel its responsibility to propagate for Hindi. Hindi should not be imposed on those who do not want it but those who come forward to learn Hindi facilities should be provided to them and encouragement given. Sometime back I had gone to Assam and the students of Nefa studying in Gauhati met me and they expressed me their desire to study Hindi and they wanted that it should be made compulsory in Nefa. Government should consider their demand.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : I feel happy that the Hon. Members have confined their speeches only to education. Last time the Hon. Members had spoken at length on language. From the speeches of the Hon. Members I find that contradictory views have been expressed regarding the policy of Government towards Hindi and other Indian languages. On the one hand it has been said that more money has been spent on the development of Hindi and on the other hand the Members had complained that Government has not fulfilled its obligation under Article 351 of the Constitution. In this connection I would like to say that we have been continuously taking steps to develop Hindi and other Indian languages. During the Second Five Year Plan we have spent rupees 24 lakhs and 61 thousand on Hindi and rupees 13 lakhs and 89 thousand on Indian laguages. Similarly during the Third Five Year Plan we have spent rupees 468 lakhs and 39 thousand on Hindi and 36 lakhs and 12 thousand on Indian languages. The Fourth Five Year Plan is not yet ready but during the last two years we have spent about rupees 14 lakhs. Thus it is clear that we have been spending more and more money on the development of Indian language. Apart

from it we had set up a committee on Indian languages in 1966. A meeting of this committee was held recently. In this meeting the committee decided that a sub-committee should be set up to review the progress of the existing schemes for the development of Indian languages and also to chalk out new programme for that purpose.

The Hon. Members know that this House has already taken a decision that Indian languages should be the medium of education right upto the University level. The Central Government would give to the State Government about one crore of rupees for purposes of good literature so that the Indian languages may be adopted as the medium of instruction. I hope that it will not take long to fulfil that objection.

One Hon. Member had said that the three language formula would not do and instead we should adopt two language formula. The people who want to abandon the link language do no service to the country. If we want to keep our country united, if we want that our country should be strong, if we want our country to be emotionally integrated then we must adopt the three language formula. Every Indian should learn at least two Indian languages. There is no country in that world where people learn less than three languages.

This three languages formula was made by the Central Advisory Board of Education in 1956. This was accepted by the Chief Ministers of the country after slight amendment. After that it was implemented in the country. We should try to implement this formula is the places where it has not been implemented so far. The country's interest will suffer if an Indian language is taken out of this formula. All the provinces have accepted it with their own sweet will and now they should try to implement it. We cannot fight with the enemies of the country unless there is unity in the country.

श्री कण्डप्पन (मैतूर) : वास्तविकता को छुपाने के लिये मंत्रालय ने बड़ी-बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

[**श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Balraj Madhok in the Chair]

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रालय ने संतोषजनक कार्य *नहीं किया* है। सरकार ने बच्चों को उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की है। जबकि यह देश के लिये परम आवश्यक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। दुख की बात यह है कि केन्द्र के सब मंत्रालय, चाहे उन्हें कोई कार्य करने का भार सौंपा गया हो, हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ज्ञान वृद्धि या अनुदेशों के मुकाबले हिन्दी के प्रोत्साहन को अधिक महत्व दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा वह देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए कर रहा है। उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार की यह नीति है कि देश की सब भाषाएं अपने-अपने प्रदेशों में विश्वविद्यालय या कालिजों में शिक्षा का माध्यम बनी रहें। लेकिन इसके लिये क्या किया जा रहा है ? अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में उनकी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये सरकार ने कोई सहायता नहीं की है।

भारत में हिन्दी को प्रोत्साहन देने वाले ये पांच राज्य हैं—राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य-प्रदेश और हरियाना। हमें प्रत्येक भाषा में विश्व कोष की आवश्यकता है। केन्द्र स्तर की

एक संस्था को विश्वकोष बनाने का काम सौंपा गया है। लेकिन दूसरी भाषाओं के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है? सरकार को देश की प्रत्येक भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिये। मद्रास में विश्वविद्यालयों में तामिल शिक्षा का माध्यम है और हिन्दी क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। अतः अंग्रेजी ही दोनों की सम्पर्क भाषा का स्थान ले सकती है। मेरे विचार से यह स्थान हिन्दी नहीं ले सकती। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने के लिये एक भाषा की आवश्यकता है और वह स्थान अंग्रेजी को प्राप्त है।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि हम विज्ञान के सब विषयों पर एक शब्द-कोष बना सकते हैं। ऐसा कहना बहुत कठिन है। यदि हम अभी से ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जायेगी। राज्यों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कार्य केन्द्र सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिये। इस समय राज्यों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कार्य उचित प्रकार चलाया जा रहा है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में पाठ्यचर्या का कुछ स्तर होना चाहिये। केन्द्र सरकार ने विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम तैयार किया है और वह उन्हें राज्य सरकारों को भेज रही है। विज्ञान के विषयों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई अवश्य है।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार को पुस्तकों का स्तर निर्धारित करना चाहिये। यह बहुत आवश्यक मामले हैं जिनकी उपेक्षा करने से हमारे देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय न तो राज्यों को कुछ प्रोत्साहन देता है और न ही उच्चतर शिक्षा के बारे में स्वयं ही कुछ कार्य करता है।

Shri Nardeo Snatak (Hathras): More than fifty percent people of this country understand Hindi. It is sad that people from Tamilnad talk like this. It is regretted that even today we are not able to remove the defects found in our education system.

Very little improvement has been made in the education department. Although we have made progress in the field of education, the old system of education which was prevalent before independence is continuing even now. In the present changed circumstances it is necessary that the system should be reoriented. There is no place for religious feelings in our education. Military training and agricultural education should also be given an important place. This will help in solving the indiscipline problem amongst the students.

Our present education is based on old system. The prescribed books should be prepared from the very beginning so that the children of our country may learn something about culture and civilization. Sanskrit is the mother of all languages. But attention is not being paid for its development. More study should be paid towards the study of Sanskrit. 'Gurukuls' should be given more grants.

श्री जनार्दनन (त्रिचूर) : इस समय हमारा देश आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। देश में विद्यार्थियों द्वारा गड़बड़ किये जाने की घटनाएं वृद्धि पर हैं। शिक्षित वर्ग में बेकारी बढ़

रही है। यद्यपि सत्तारूढ़ दल यह अनुभव करता है कि देश में एक जोरदार कार्य-क्रम की आवश्यकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह शर्म की बात है कि स्वाधीनता के बीस वर्ष बाद भी हम अपने बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। प्राथमिक शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाना उचित नहीं है। अनिवार्य शिक्षा की समस्या हमारे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से सम्बद्ध है। जब तक सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, सब महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अधूरे रह जायेंगे।

हमारी शिक्षा को एक निश्चित दिशा नहीं दी गई है। प्राइमरी कक्षा की पुस्तकों में कभी-कभी तथ्य की विपरीत बातें होती हैं। पुस्तकों में अश्लील चित्र प्रकाशित किये गये हैं और वे बच्चों के पाठ्य-क्रम में शामिल की गई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जब तक हम डा० कोठारी की सिफारिशों पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा का भविष्य अन्धकारमय रहेगा। सरकार को पाठ्य-पुस्तकों में सुधार करना चाहिये देश में अध्यापकों की दशा बहुत खराब है। वे अच्छे वेतनमानों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। दिल्ली में हुए शिक्षकों के अन्दोलन में 77 शिक्षकों को मुअतिल किया गया और 346 शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया। शिक्षकों ने कुछ मांगे रखी हैं जिन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिये। उनकी एक मांग यह भी है कि शिक्षा के विषय को एक अधिकारी के अधीन कर देना चाहिये। सरकार को इसे शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए।

सरकार को देश में समान वेतनमान और समान सेवा शर्तें देने के सम्बन्ध में शीघ्र विचार करना चाहिये।

शिक्षित लोगों, विशेषकर इंजीनियरों में बेरोजगारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। केरल जैसे राज्यों में तो यह समस्या और भी जटिल है। देश में बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या बढ़ रही है। हम केवल औद्योगीकरण द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या हल कर सकते हैं।

श्री विमल कांति घोष (सेरामपुर) : आज देश को उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। अतः हमारी शिक्षा उत्पादन प्रधान होनी चाहिये। दूसरे शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति को केवल उपयोगी नागरिक बनाना नहीं है बल्कि इसे जीविका कमाने के योग्य भी बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता भी होना चाहिये।

यद्यपि शिक्षा राज्य का विषय है तथापि केन्द्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह समस्त देश के लिये एक राष्ट्रीय नीति एवं शिक्षा कार्यक्रम बनाये तथा उन्हें क्रियान्वित करे। संविधान के निदेशक तत्वों में यह व्यवस्था की गई है कि सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

दी जायेगी किन्तु उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। सरकार को उसे क्रियान्वित करना चाहिये।

आज अपनाई जाने वाली शिक्षा पद्धति देश के लिये उपयोगी नहीं है। जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किये जायेंगे तब तक शिक्षा में प्रगति नहीं होगी।

प्राइमरी स्तर से लेकर अन्तिम स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होना चाहिये। सब गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिये। प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिये।

देश में और अधिक पौलीटैक्नीक, तकनीकी स्कूल और मेडीकल कालिज खोले जाने चाहिये ताकि हम अधिक से अधिक तकनीशनों को प्रशिक्षण दे सकें और उन्हें आसानी से नौकरी दिला सकें।

स्कूल की फीस और पुस्तकों की कीमत इतनी अधिक है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिये अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना बड़ा कठिन हो गया है। अतः सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह निर्धन बच्चों को बिना मूल्य पुस्तकें सप्लाई करें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को और अधिक सुविधाएं और छात्रवृतियां दी जानी चाहिये। ग्राम क्षेत्रों में स्थिति कालिजों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाना चाहिये और वहां पर कृषि कालिज और विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिये।

संस्कृत भाषा का विकास करने के लिये और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। सब विद्यार्थियों के लिये संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिये।

यदि छात्रों की समस्याओं की ओर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाये तो छात्रों में कोई अशान्ति नहीं होगी। अधिकांश मामलों में उच्चस्तर पर किये जाने वाले कुप्रबन्ध के कारण ही विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पैदा होती है। छात्रों के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना चाहिये। अधिकांश राज्यों में सेवा की शर्तें बहुत असंतोषजनक हैं। बढ़ती हुई कीमतों और रहन-सहन की लागत के अनुसार अध्यापकों के वेतनमान में परिवर्तन किया जाना चाहिये। अध्यापकों का न्यूनतम वेतन नियत किया जाना चाहिये। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का न्यूनतम मूल वेतन 150 रुपये होना चाहिये। देश में चल रहे मूल्यांक के अनुसार उनका मंहगाई भत्ता नियत किया जाना चाहिये। सभी वर्ग के शिक्षकों को मुफ्त आवास दिया जाना चाहिये और उनकी सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिये।

सब कालिज शिक्षकों के समान वेतनमान होने चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की देखभाल कर रहा है। सरकार को इस प्रकार के दो आयोग और खोलने चाहिए। एक माध्यमिक शिक्षा के लिए और दूसरा प्राइमरी शिक्षा के लिये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : समाज के किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता ।

[**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं**
Shrimati Lakshmikanthamma in the Chair]

हमें वर्तमान शिक्षा पद्धति का आरम्भ से अध्ययन करना होगा । क्या वह समाजवाद लाने के लिये चालू की गई थी ? समय-समय पर सुधारकों ने शिक्षा पद्धति में सुधार किये हैं । गांधीजी द्वारा चलाये गये अभियान से न केवल शिक्षा माध्यम और रीति विधान में ही परिवर्तन हुआ है बल्कि यह सारी पद्धति रीति विधान पर आधारित है क्योंकि वह ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्त हो ।

विश्व में प्रत्येक सुधारक की यह इच्छा रही है कि शिक्षा-पद्धति में सुधार किया जाये । अतः समाज की प्रगति के लिये शिक्षा में सुधार किया जाना आवश्यक है । यह सच है कि हमारी सरकार जो बीस वर्ष से सत्तारूढ़ रही है देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है । क्या उसने इस दिशा में कोई कार्य किया है ? यदि हमारी शिक्षा केवल उच्च श्रेणी के लोगों के लिए है तो समाजवाद नहीं आ सकेगा । स्वतन्त्रता के बाद हमारी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा बन गई । सब प्राइमरी स्कूल नई तालीम स्कूल हो गये और सब विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गये । यह हमने एक बड़ी भूल की है ।

कोठारी आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । क्या कोठारी आयोग को इस बात की जानकारी है कि कैसे समाज का निर्माण किया जाना है ? जब तक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम की पुस्तकों में सुधार नहीं हो सकेगा । उदाहरण के तौर पर हमारे इंजीनियरों को काम न मिलने का यह कारण नहीं है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है बल्कि इसलिये कि वे आत्म-निर्भर नहीं हैं । ये सब पुरानी शिक्षा प्रणाली के कारण है । अतः जब तक हमारा कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं होगा तब तक हमारी *शिक्षा* को उचित दिशा नहीं मिल सकेगी और तब तक हम अपनी उपयुक्त शिक्षा प्रणाली नहीं अपना सकेंगे । हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य न होने के कारण ही विद्यार्थियों में अशान्ति फैली है, शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं क्योंकि हमारे राष्ट्र का ही कोई लक्ष्य नहीं है ।

विश्वविद्यालयों को स्वायत्त बनाने के लिये कहा जाता है । यदि इस समय हमारी शिक्षा में स्वायत्तता हुई तो हमारे शिक्षकगण बड़ी अशान्ति उत्पन्न करेंगे । शिक्षकों के हस्तक्षेप को तब ही रोका जा सकता है जब कि शिक्षकों की स्थिति पर नियंत्रण हो और वे ईमानदारी से व्यवहार करें ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : शिक्षा का प्रसार सब दिशाओं में हो रहा है । शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाना चाहिए । शिक्षा मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह भारत में शिक्षा के नक्शे में परिवर्तन नहीं कर सकते । यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाना आवश्यक है ।

यदि ऐसा होता है तो अध्यापकों को कुछ राहत मिलेगी। हमारे यहां प्राइमरी, सेकेन्डरी और विश्वविद्यालय तथा अन्य पद्धतियां विद्यमान हैं। अध्यापकों को इस प्रणाली का प्रमुख होना चाहिए। प्राइमरी अध्यापक शिक्षा के स्तंभ हैं। हमारा सुधार का कार्यक्रम प्राइमरी शिक्षा से आरम्भ होना चाहिये। जब तक हम प्राइमरी अध्यापकों को और अधिक अधिकार नहीं देंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। शिक्षा के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है। केवल मद्रास, केरल और कुछ अन्य राज्य शिक्षा के प्रति उदारता का रुख अपना रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का दस प्रतिशत और प्रत्येक राज्य के बजट का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिये।

देश के प्रत्येक कस्बे में आदर्श केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल खोले जाने चाहिये। भारत के प्रत्येक जिला-शहर में एक श्रेणी रहित और जाति रहित प्राइमरी स्कूल खोला जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश की शिक्षा स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा।

केवल त्रिभाषा सूत्र ही देश में वास्तविक एकता स्थापित कर सकता है।

हम भारत की शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रान्ति लाना चाहते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

हरिजनों से संबंधित घटनाओं के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. INCIDENTS RELATING TO HARIJANS

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : महबूबनगर जिले के हरिजनों के बारे में घटी कथित घटनाओं के सम्बन्ध में हमें आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है। कन्नड़ दैनिक प्रजा सभा में आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में महिलाओं को नग्नावस्था में बाजार में घुमाये जाने की कथित घटनाओं के बारे में समाचार छपा था। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने महबूबनगर जिले में काफी जांच-पड़ताल की और उन्हें पता चला है कि ऐसी कोई घटना उस जिले के किसी गांव में नहीं हुई। राज्य सरकार ने 31 मार्च, 1968 को अखबारों में एक वक्तव्य जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि 29 मार्च, 1968 को कानपुर जिले के घाटमपुर थाने में श्री देवीदीन ने यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके गांव के लाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने सात वर्ष के अपने भतीजे तथा तीन वर्ष की लड़की को कुएं में फेंक दिया और स्वयं लापता हो गया। दोनों बच्चों को जब कुएं से निकाला गया तो मृत पाया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया और स्टेशन अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। एक आरोप पत्र अदालत में भेजा जा रहा है।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

शिक्षा मंत्रालय—जारी

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्राइमरी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। देश में सामाजिक और आर्थिक विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक प्राइमरी शिक्षा को मजबूत नहीं बनाया जाता, हमारा लोकतंत्र और हमारी उच्चतर शिक्षा इसी पर आधारित है। जैसा कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है, प्राइमरी शिक्षा की देखभाल के लिये शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

गांधीजी के अंहिसा और शान्ति के दर्शन का प्रचार करने के लिए हमें गांधी भारती का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलकर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये।

जाधवपुर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के बहुत से महापुरुषों का इस विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रहा है। इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिये।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री आर० सी० मजूमदार का और बनारस के प्रसिद्ध विद्वान पं० गोपीनाथ कविराज का नाम राष्ट्रीय प्रोफेसरों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

छात्रों में फैली वर्तमान दोषपूर्ण व्यवहार के लिये उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। उनमें विद्रोह की भावना होनी ही चाहिए। यह समाज का सशक्त वर्ग है। शासन में अनुशासनहीनता राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी नहीं है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली तो लाटरी की भांति है। अत: इसे समाप्त किया जाना चाहिये। हमें ट्यूटोरियल प्रणाली अपनानी चाहिये। 'ट्यूटोरियल' प्रकार की परीक्षाओं के लिये 50 प्रतिशत अंक आवंटित कर दिये जाने चाहिए। अनुशासन के सुधार के लिए छात्रों की पाठ्यचर्या में खेल-कूद, पुस्तकालयों आदि को भी पर्याप्त स्थान दिया जाना आवश्यक है।

जाधवपुर विश्वविद्यालय की भांति हमें कोर्ट आफ आनर और अध्यापकों की कोर्ट आफ जस्टिस की योजना आरम्भ करनी चाहिये। विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की जिम्मेदारी छात्रों को ही दी जानी चाहिये। यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की कोई घटना घटती है तो इसका निर्णय पहले छात्रों की कोर्ट आफ आनर ही करेगी। यदि वह ऐसा नहीं कर सकें तो फिर यह मामला अध्यापकों की कोर्ट आफ जस्टिस को सौंपा जाना चाहिये। यदि अध्यापक भी निर्णय नहीं कर सकें तो छात्रों और अध्यापकों को साथ बैठकर निर्णय करना चाहिए।

मलाया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस खेमर, दक्षिण वियतनाम आदि पर एक समय भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारों का प्रभाव था। इनमें से कुछ देशों के साथ भारत के

राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन फिर भी भारत के उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। उन सम्बन्धों में हम और अधिक सुधार करने में असफल रहे हैं। मंत्रालय को भारत के लिए एक दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक संस्था का गठन करना चाहिये ताकि इन देशो में हमारे विद्वान जा सकें और वहां के विद्वान हमारे देशों में आ सकें।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : The education is an important and basic problem of the country the present structure of education which is built in this country by the Britishers is meant for achieving their own purpose and it does not serve our purpose. The prevailing atmosphere of indiscipline all over the country is the result of the defective system of education which is not in keeping with our cultural heritage.

The teachers are given their due place in the society and as a result thereof standard of education is falling. Sanskrit being the source language should have been given its due place in the system of education. Our nation can progress only if we revert back to the old system of education.

The source of culture is Sanskrit. We should, therefore give proper place to Sanskrit. Though I am in favour of three language formula, but once again Sanskrit would be thrown in the background. I therefore suggest that Sanskrit should be included in the three language formula.

It is observed that only negligible assistance is being given for the development of Sanskrit. The financial assistance is limited to Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth and Central Sanskrit Vidyalaya, Tirupati. No attention is being paid towards the Gurukuls and other small institutions which are working for the propagation of Sanskrit. In order to protect culture we have to protect Sanskrit. If we want to remove indiscipline, we should revert back to the old system of education.

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : I have observed that not a single Hon'ble Member has expressed his opinion about the girls education which is most essential. Of course there is larger allocation for girls education this year but no amount has been allocated for the special scheme for girls education. All of us know that first teacher is mother, but there is no arrangement for their education. I, therefore, suggest that special attention should be paid towards this aspect of education.

In the three language formula there should be three languages **viz.** Hindi, English and a southern language. As a result thereof the teachers from south will come to north **and vice versa.** It will bring an end to the language dispute. (**Interruptions**).

Even after 20 years of independence, there is only 12% increase in literacy among the women. With this speed we may look 200 years for cent percent literacy among the women. The Chairman, National Council for Women Education had made important recommendations but they have not so far been implemented. Similarly some other committees have also made certain recommendations but they have been shelved.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

I, therefore suggest that the recommendations of Kothari Commission should be implemented.

I may point out that women can learn languages sooner than men and therefore in my opinion the work of teaching languages should be entrusted to trained ladies. In order to remove indiscipline, there should be women teachers at the primary stage.

I want to suggest that half of the budget provision for education should be allocated for girl's education.

Only an amount of Rs. 1·50 lakh has been allocated for propagation and development of Sanskrit which is quite insufficient. More funds should be allotted for this purpose

---

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : हरिजनों से सम्बन्धित देश के कुछ भागों में हुई घटनाओं के बारे में कल 6-30 से 8-30 बजे चर्चा की जानी है। यदि सभा इस बात से सहमत हो तो मेरा सुझाव यह है कि यह चर्चा 5 बजे से 7 बजे तक हो।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये हमने पहले 6-30 से 8-30 बजे का समय निश्चित किया था। सैंट्रल हाल में शाम के 7-15 बजे नौवहन दिवस के सम्बन्ध में एक बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे। इसलिये अब मंत्री महोदय का सुझाव यह है कि उपरोक्त चर्चा 5 से 7 बजे तक होनी चाहिए।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : शिक्षा प्रणाली को फिर से नया रूप देने के सम्बन्ध में दो मुख्य सुझाव दिए गए हैं। पहले तो देश में शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और दूसरे शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्यों की पहली बात से मैं सहमत हूं। मैं स्वयं शिक्षा की इस स्थिति के बारे में असंतुष्ट हूं। देश के उत्तर और उत्तर-पूर्व में यह स्थिति और भी खराब है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के पुनर्गठन के साहसिक, विचारात्मक और सुनियोजित कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता था कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को इस वर्ष से क्रियान्वित किया जाये। परन्तु मुझे खेद है कि देश की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम उसे अब तक क्रियान्वित नहीं कर सके। कुछ राज्यों में तो राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर रही है और लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्र की भी वित्तीय दशा ठीक नहीं है जिसके कारण शिक्षा के लिये आवश्यक व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इस स्थिति के बावजूद शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और मुझे विश्वास है कि चौथी योजना में शैक्षणिक पुनर्गठन का हम काफी बड़ा कार्यक्रम आरम्भ कर सकेंगे। इन कार्यक्रमों में अधिक उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों का होगा, अतः इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कितना उत्साह प्रदर्शित करती हैं। कुछ राज्यों ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों को पहले से ही क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारें शैक्षणिक पुनर्गठन के व्यापक कार्यक्रमों को भी आरम्भ कर रही हैं।

प्राथमिक शिक्षा की धीमी प्रगति के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने असन्तोष व्यक्त किया है। मैं भी उनकी भावनाओं से सहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि हम प्राथमिक शिक्षा को वह प्राथमिकता नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी और अब हमें वह प्राथमिकता देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में चौथी योजना के लिये मैंने राज्य सरकारों को तीन सुझाव दिये हैं। पहला सुझाव यह है कि हमें प्राथमिक शिक्षा को तुरन्त निःशुल्क बना देना चाहिए। आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में ऐसा कर दिया गया है। आशा है कि चौथी योजना में ये राज्य भी इस कार्यक्रम को लागू कर देंगे। मैंने राज्य सरकारों से प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग तथा निर्धन बच्चों, विशेषकर लड़कियों को दाखिल करने का अनुरोध किया है। मुझे आशा है कि सभी राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगी।

जहां तक उच्चतर शिक्षा का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने पहले ही विश्वविद्यालय और कालेज के प्राध्यापकों के संशोधित वेतन-मानों की स्वीकृति दे दी है। लगभग सभी राज्यों ने इन प्रस्तावों को लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही सारे देश में इन वेतनमानों को लागू किया जा सकेगा।

स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने के बारे में मैं अधिक चिन्तित हूं। इस सम्बन्ध में जहां तक दीर्घकालीन नीति का सम्बन्ध है, हमें प्राथमिक, माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए और इन सभी के वेतनमानों में वृद्धि की जानी चाहिए। यदि धन की कमी है तो हमें स्कूलों के अध्यापकों के और विशेषकर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने चाहिए। जहां तक इस समस्या के अल्प-अवधि समाधान का प्रश्न है, शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने के लिये कार्यवाही की गयी है। सभा इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि इस सम्बन्ध में सद्भावना की कमी नहीं है, परन्तु समस्या केवल साधन जुटाने की है। सौभाग्य से अब वित्त आयोग की भी स्थापना हो गयी है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उसके सहयोग से हम यथासम्भव अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

मूलतः एन० सी० सी० का प्रशिक्षण ऐच्छिक था। परन्तु वर्ष 1963 में इसे लड़कों के लिये अनिवार्य तथा लड़कियों के लिये ऐच्छिक बना दिया गया था। इसके परिणाम कुछ मिले-

जुले रहे और एन० सी० सी० को फिर से ऐच्छिक बनाने के लिये मांग की जाने लगी है। सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया है कि एन० सी० सी० को ऐच्छिक बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा तथा खेल-कूद आदि जैसे कोई वैकल्पिक योजना लागू करने पर भी विचार किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम नया है परन्तु यह बहुत प्रभावशाली है। हमारा विचार है कि आगामी वर्ष से इस कार्यक्रम को कार्यरूप दिया जाये।

पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका व्यापक रूप में विकास किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में से पहला कार्यक्रम भावनात्मक एकता बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें तैयार करना है। दूसरा कार्यक्रम स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का है। तीसरा कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने का है।

चौथा कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा के लिये पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में आयातित पुस्तकों पर निर्भरता कम करने का है। दुर्भाग्य से पुस्तकों के विकास कार्यक्रम की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। इस कार्यक्रम से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

फिर विज्ञान की शिक्षा है। हम बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक शिक्षा को भी क्रियान्वित करना चाहते हैं। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये विश्वविद्यालयों की सहायता ली जायेगी। विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सुधार किया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय तथा उसके विभिन्न कार्यालयों एवं संगठनों के कार्य के बारे में असंतोष व्यक्त किया गया है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इन सभी आरोपों की छानबीन की जायेगी और आगामी वर्ष इस प्रकार के आरोप लगाने का अवसर उन्हें नहीं दिया जायेगा। इसके साथ ही इन कार्यालयों की एकदम निन्दा करना भी अनुचित है क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया है और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वास्तव में उनके कार्य के सही मूल्यांकन की आवश्यकता है जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ायी जा सके।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : कटौती प्रस्ताव संख्या 189 पर अलग से मतदान करवाया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 189 को छोड़कर शेष सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

All the cut motions, except cut motion No. 189, were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 189 सभा के मतदान के लिये रखा गया

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ—पक्ष में 48 और विपक्ष में 108

The Lok Sabha divided : Ayes 48 Noes 108

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was Negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
7	शिक्षा मंत्रालय	81,34,000
8	शिक्षा	47,58,43,000
9	पुरातत्व	1,14,48,000
10	भारतीय सर्वेक्षण	4,48,73,000
11	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को अनुदान	15,92,09,000
12	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,95,69,000
105	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	55,26,000

———

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

Ministry of External Affairs

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
13	वैदेशिक कार्य	14,94,31,000
14	विदेश कार्यालय का अन्य राजस्व व्यय ...	16,71,13,000

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मुख्य बात कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सप्ताहों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास असफल रहना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार के सम्मेलन का यहां पर होना बिल्कुल अनावश्यक था। दूसरी सबसे बड़ी असफलता श्री भगत के केनिया के दौरे की है। यह स्पष्ट है कि श्री भगत के जाने से पहले वहां पर उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं किया गया था। हमने अनावश्यक ही अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है।

हमारे देश के सामने एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि पर हस्ताक्षर किये जायें या नहीं। इस सम्बन्ध में हमारी कोई सुदृढ़ नीति नहीं है।

एक ओर तो यह कहा जाता है कि हमें परमाणु शस्त्र बनाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना हमारे देश के लिये वांछनीय नहीं होगा, परन्तु दूसरी ओर उपरोक्त सन्धि पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई महसूस की जा रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी ओर के भी नहीं रहेंगे। इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने का एक कारण यह बताया गया है कि इससे अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण विकास में बाधा पड़ेगी। मेरे विचार में इस शिकायत का यह समुचित आधार नहीं है। अनुच्छेद 4 और 5 में इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए अणुशक्ति का विकास किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में दूसरा प्रबल तर्क यह दिया गया है कि परमाणु शक्ति रहित देशों के लिए यह सन्धि ठीक नहीं है क्योंकि इसमें परमाणु शक्ति वाले देशों को तो हर प्रकार से छूट दी गई है परन्तु परमाणु शक्ति रहित राष्ट्रों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। यह तर्क उचित है। इस सम्बन्ध में मैं अमरीका के दृष्टिकोण की भी निन्दा करता हूं। अनुच्छेद 6 की भूमिका में कहा गया है कि परमाणु शस्त्रों वाले देश भी अन्तर्राष्ट्रीय अनुशासन का पालन करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

इस सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का तीसरा तर्क यह दिया गया है कि चीन की धमकियों का सामना करने के लिए शायद हमें परमाणु शस्त्र बनाने पड़ें। परन्तु अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि कोई भी देश किसी कारण विशेष से अपना निश्चय बदल सकता है, इसके लिए सम्बन्धित देश को केवल 90 दिन का 'नोटिस' देना होगा। अतः यह सुदृढ़ तर्क नहीं है।

यदि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो सर्वप्रथम हमारा देश शेष संसार से अलग थलग पड़ जायेगा। फिर हम संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का सद्भाव भी खो बैठेंगे। फिर परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए हमें इन राष्ट्रों से सहायता नहीं मिलेगी। सम्भव है कि इस सम्बन्ध में हमें जो सहायता कनाडा से मिल रही है, वह भी बन्द हो जाये।

इस सन्धि पर हस्ताक्षर न करने से हम परमाणु गारंटी से भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। हम यह स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा परिषद कोई अपने आप गारंटी नहीं दे सकती। वहां भी राजनीति का काफी प्रभाव है। यह सन्देहजनक गारंटी है। परन्तु इसके लिए हमारा देश ही उत्तरदायी है। वर्ष 1964 में हमने अमरीका द्वारा गारंटी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। गत वर्ष अमरीका और रूस हमें समानान्तर गारंटी देने के लिए तैयार थे। परन्तु हम अपनी ढुलमुल नीति के कारण कोई निर्णय नहीं कर सके। अतः अब हमें इस गारंटी को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे यह अधिक संतोषजनक नहीं है। हमें ऐसा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए जिससे न तो हम परमाणु बम बनाएं और न ही इस सन्धि पर हस्ताक्षर करें।

यह कहना अनुचित है कि हमारे देश की जनता इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने के विरुद्ध है। इस मामले में केवल कुछ बुद्धिजीवियों की ही रुचि है।

मेरे विचार में चीन से हमें जो खतरा है वह सैनिक खतरा न होकर राजनीतिक खतरा है। परन्तु हम राजनीतिक क्षेत्र में उपेक्षा कर रहे हैं जिसका स्पष्ट प्रमाण हमें पश्चिम बंगाल में मिल चुका है। चीन की नीति यह है कि हम शस्त्रास्त्रों की दौड़ में लगे रहें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाए।

अभी सन्धि पर हस्ताक्ष र करने का शायद 6 महीने का समय है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस सन्धि का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जो इस संधि के सभी गुण-दोषों से जनता को अवगत करवाए। इसके बाद यह निश्चय किया जाए कि इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाएं या नहीं।

हाल ही में राष्ट्रपति जानसन ने यह घोषणा की थी कि उत्तर वियतनाम की 90 प्रतिशत जनसंख्या पर बमबारी बन्द करवा दी गई है परन्तु इसे अमरीका की पराजय नहीं समझना चाहिए। इस घोषणा से दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। परन्तु पिछले दो दिनों से प्रधान मंत्री ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिसमें उत्तर वियतनाम से यह कहा गया हो कि वे भी युद्ध की विभीषका को कम करने की घोषणा करें। यदि प्रधान मंत्री द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जाता तो उससे यह सिद्ध होता है कि उनका रवैया पक्षपात-पूर्ण है।

हमारा विचार यह है कि राष्ट्रपति जानसन के वक्तव्य के संदर्भ में हमें अपने देश की सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। वियतनाम युद्ध के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया की स्वतंत्रता कायम रह सकी है। एशिया के देशों को इस युद्ध से साम्यवादी चीन के आक्रमण के विरुद्ध अपने आप को मजबूत बनाने का अवसर मिला है। अब यदि बातचीत आरम्भ होती है तो वियतनाम की वही स्थिति होगी जो लाओस की है। ऐसी अवस्था में दक्षिण-पूर्व एशिया में हमारा काम और भी कठिन हो गया है। अब तक उत्तर वियतनाम में काफी बड़ी संख्या में चीनी सेनायें तैनात थीं और अब वे हिमालय की ओर आ सकती हैं और बर्मा की सीमाओं तथा हमारी अन्य सीमाओं पर दबाव डाल सकती हैं। हमारी सीमाओं के अतिक्रमण का खतरा अब और भी बढ़ गया है। इसके साथ-साथ ब्रिटेन हिन्द महासागर, सिंगापुर और फारस की खाड़ी से अपनी नौसेना को हटा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका भी अलग थलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के देशों को इस रिक्त स्थान को भरना चाहिए। दुर्भाग्य से हम इस सम्बन्ध में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं।

जब 8 अगस्त, 1967 को दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रों का एक संघ बनाया गया था, हमें उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिये था परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। अब श्रीलंका, बर्मा और कम्बोडिया आदि तटस्थ देश भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम कितनी देर तक अपने आपको ब्राह्मण और दूसरों को गैर-ब्राह्मण समझते रहेंगे? यह पता नहीं चलता कि हमारी सरकार यह क्यों नहीं कहती कि वह हिन्द महासागर की सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये तैयार है?

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : यह बार-बार आरोप लगाया जाता है कि भारत सरकार केनिया में रहने वाले एशिया के लोगों की, जो ब्रिटेन जाना चाहते थे, रक्षा करने के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है। इस सम्बन्ध में पहले भी दो बार सभा में चर्चा हो चुकी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इस बात का सबको पता है कि जब केनिया सरकार ने आप्रवास कानून और व्यापार लाइसेंस कानून पास किया तो भारत सरकार केनिया में रहने वाले भारत मूल के लोगों को यह सलाह दी थी कि वे केनिया की नागरिकता स्वीकार कर लें और अपने हितों को उस देश के निवासियों के हितों के साथ आत्मसात कर लें। परन्तु विभिन्न कारणों से एशिया मूल के लोगों ने ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण करनी चाही। लगभग 10,000 लोगों ने केनिया की नागरिकता स्वीकार की थी। यह कहा गया है कि जो लोग ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण करना चाहते थे, उनकी स्थिति एक सामान्य भारतीय से बहुत अच्छी थी। परन्तु उन्हें यह पता न था कि ब्रिटेन के आप्रवास विधेयक पास हो जाने से स्थिति बदल जायेगी। वास्तव में केनिया में रहने वाले एशिया मूल के लोगों को ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण करने का मूलभूत अधिकार है परन्तु ब्रिटेन सरकार ने आप्रवास विधेयक पास करके उन्हें इस अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही की है। यह भी कहा गया है कि यदि ब्रिटेन ने इन लोगों को ब्रिटेन जाने से जिस देश के वे नागरिक हैं, रोकना चाहे तो भारत सरकार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल पारपत्रधारी व्यक्तियों के भारत में आने सम्बन्धी वर्तमान विनियमों में संशोधन करने के लिये बाध्य हो जायेगी। फिर ब्रिटिश संसद् में उपरोक्त विधेयक पास हो जाने पर मंत्री महोदय ने इस सभा में बताया था कि ब्रिटेन में जाने वाले इन लोगों की संख्या 1500 प्रतिवर्ष तक सीमित न रखकर उसे 15000 प्रतिवर्ष कर देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	42	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारत की विदेश नीति पर रूस का प्रभाव होने के कारण भारत का सम्मान न रहना।	100 रुपये
13	43	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	44	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	तिब्बत के बारे में गलत नीति ।	100 रुपये
13	45	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	फारमोसा की राष्ट्रवादी चीनी सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
13	62	श्री ही० ना० मुकर्जी	लंदन स्थित हमारे उच्चायुक्त के कार्य का निन्दनीय रिकार्ड ।	100 रुपये
13	63	श्री ही० ना० मुकर्जी	पांडिचेरी के निकट "औरो-वील" नामक अन्तर्राष्ट्रीय नगर स्थापित करने की रहस्यपूर्ण योजना और इस संबंध में सरकार का कार्य ।	100 रुपये
13	64	श्री ही० ना० मुकर्जी	समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार के सम्भावित परिणाम कि अमरीका के राष्ट्रपति किसी राजदूत को उसके द्वारा प्रमाण-पत्र पेश किये जाने के लिए उसे सामान्य रीति से नहीं मिलते किन्तु उसे अन्य राजदूतों के साथ इकट्ठे उनसे मिलने के लिये आने को कहा जाता है ।	100 रुपये
13	65	श्री ही० ना० मुकर्जी	भारत में सी० आई० ए० के घृणित कार्य के निन्दित मामले को अमरीका सरकार के साथ उठाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	66	श्री ही० ना० मुकर्जी	कीनिया में एशियाईयों की समस्या को सम्मानपूर्ण ढंग से हल करने में असफलता।	100 रुपये
13	67	श्री ही० ना० मुकर्जी	वियतनाम में अमरीका के बर्बरतापूर्ण आक्रमण के बड़े पैमाने पर होने वाले राजनीतिक तथा नैतिक परिणामों के बारे में कोई जवाबी कार्यवाही करने में निरन्तर असफलता।	100 रुपये
13	68	श्री ही० ना० मुकर्जी	रंगभेद की नवीनतम भयंकर नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में अफ्रीकी-एशियाई राज्यों के साथ सहयोग की दिशायें।	100 रुपये
13	69	श्री ही० ना० मुकर्जी	ब्रिटिश राष्ट्रमंडल न छोड़ना।	100 रुपये
13	70	श्री ही० ना० मुकर्जी	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सम्पूर्ण राजनयिक मान्यता देने का प्रश्न।	100 रुपये
13	71	श्री ही० ना० मुकर्जी	मंगोलिया लोक गणराज्य में पूरा दूतावास स्थापित करने का प्रश्न।	100 रुपये
13	72	श्री ही० ना० मुकर्जी	हमारे सभी पड़ोसी राज्यों के संबंध में मित्रतापूर्ण नीति अपनाने में पहल करने और ऐसी नीति बनाये रखने की आवश्यकता।	100 रुपये
13	73	श्री ही० ना० मुकर्जी	पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए विवेकपूर्ण और साहसपूर्ण	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			पहल पुनः करने की आवश्यकता ।	
13	74	श्री ही० ना० मुकर्जी	हमारे राजनयिक कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न और उनके काम में उचित निर्देशन सुनिश्चित करना ।	100 रुपये
13	75	श्री ही० ना० मुकर्जी	चीन लोक गणराज्य के साथ हमारे वर्तमान अवांछनीय संबंधों का अन्त करने के मार्गोपाय ।	100 रुपये
13	76	श्री ही० ना० मुकर्जी	संयुक्त राष्ट्र तथा इसके अंगों में हमारे कार्य में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	77	श्री ही० ना० मुकर्जी	विदेशों में हमारे दूतावासों का आमतौर पर असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये
13	78	श्री रंगा	चीन के साम्यवादी विस्तारवाद से दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की रक्षा हेतु प्रादेशिक रक्षा प्रबन्ध करने में सक्रिय रूप से भाग लेने में सरकार की असफलता जो कि उसे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों, जापान तथा आस्ट्रेलिया से मिल कर करने चाहिए और जिनकी आवश्यकता का महत्व हाल की घटनाओं को देखते हुए अधिक बढ़ गया है ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय

*समाजवादी देशों के साथ व्यापार के विस्तार के बारे में
RE : EXPANSION OF TRADE WITH SOCIALIST COUNTRIES

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Our Prime Minister had visited East European countries last October and she had discussed trade matters with those Governments. I want to know the follow up action taken by our Government in so far as these trade matters are concerned.

It is understood that Russia is likely to purchase social equipment from our country. As there is difference between the specification of the equipment used in Russia and India, I would like to know whether the equipment proposed to be exported to Russia, would be manufactured according to their specification or our specification ? Many a time the goods exported to one country are sold to another country by the former even before its arrival in that country.

We agree that our trade with socialist countries has been increased but steps taken by our Government to export non-traditional items are negligible. We have been exporting raw material so far. We have received the reports of switch trade in our cotton textile practised by some of our East European countries. It is reported that Indian grey cloth purchased by Eastern Europe finds its way to Netherland at cheaper price.

[**श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Bal Raj Madhok in the Chair]

We are definitely of the view that our trade with East-European countries should increase but we should not adopt the appeasement policy for this purpose. I want to know the steps taken to curb this practice of "switch trade".

Similarly some time before Russia had purchased leather from India at a price higher than the market price in our country. As a result thereof local tanneries of Madras were closed down because they could not get leather. But next year Russia reduced its imports considerably and our traditional exports had also not purchased it. In order to remove such difficulties we should enter into long term agreement for the export of raw material.

Shri Shinkre (Panjim) : There are political motives behind the trade *relations* of socialist countries. They do not want our welfare. They purchase our goods so that western countries may not take their place. Therefore we should explore other markets where we could export our goods regularly. There are Latin American countries where we can find market for our goods. Government should take necessary steps for this purpose.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन यूरोपियन साझा बाजार में सम्मिलित होने जा रहा है तथा इसके बाद ब्रिटेन से हमारा व्यापार घट जायेगा, क्या सरकार समाजवादी देशों से व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : रूस पर हमारी निर्भरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रूस ने अब पेशकश की है कि वह भारत का 100 करोड़ रुपये की कीमत का इंजीनियरी

*आधे घण्टे की चर्चा
Half-an-hour discussion

का सामान तथा रेल के डिब्बे खरीदेगा। परन्तु रूस को दिया जाने वाला इंजीनियरी का सामान तथा रेल के डिब्बे आदि सामान्य से कम कीमत पर बेचे जायेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इस बात का ध्यान रखे कि देश को विक्री समझौते के फलस्वरूप हानि न हो। दूसरी बात यह है कि इन समाजवादी देशों से हम जो माल मंगाते हैं उसका हमें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक मूल्य देना पड़ता है। इस प्रकार हमें दोनों ओर से हानि होती है—निर्यात में भी और आयात में भी। इसी सम्बन्ध में एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इन समाजवादी देशों द्वारा हमारे देश का माल पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार को हानि पहुंचती है। अतः मंत्री महोदय को व्यापार समझौते की शर्तों को तय करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Till now our trade relations have been limited to the Middle East countries, Arabian countries and Mediterranian countries and European countries. May I know whether Government of India have formulated any policy to expand its trade with socialist countries and particularly with the countries like Israel and Denmark.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Our trade figures show that most our goods are sent to U. K. and U. S. A. Is it a fact that Indian goods are not supplied to socialist countries inspite of their demand for them ? We should try to expand our trade with socialist countries in order to support socialistic ideology. Secondly, I came to know in foreign countries that goods exported by us do not conform to the quality of their specimen. It has created a bad feeling and opinion in other countries. Has this feeling affected our foreign trade ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : भारत ने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किये हुए हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण समझौते 8 पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये हुए हैं। गत दशाब्दि में हमारा व्यापार बहुत अधिक बढ़ा है। 1956-57 से 1965-66 के समय में हमारा निर्यात 604 करोड़ रुपये से बढ़कर 810 करोड़ रुपये हो गया है। पूर्व यूरोपीय देशों को हमारा निर्यात $7\frac{1}{2}$ गुणा बढ़ा है। इस व्यवस्था के अधीन आयात निर्यात करने से भारत को अधिक संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सहायता मिली है। इस द्विपक्षीय व्यापार से भारत के विकास कार्यक्रम को अत्यधिक लाभ हुआ है और यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रहा है। इस व्यवस्था का एक लाभ यह है कि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये जिस माल का हम आयात करते हैं, उसके मूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में न करके हम उतने ही मूल्य का सामान उसके बदले निर्यात कर देते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है। हम केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जो हमारे लिये अत्यावश्यक होती हैं और जो हमें प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती हैं और जिसकी किस्म भी अच्छी होती है। पूर्व यूरोपीय देशों से हमें माल प्रतियोगी दरों पर मिलता है। माल खरीदते समय हम उसकी किस्म पर भी पूर्ण ध्यान रखते हैं। दूसरा लाभ यह है कि हम उन देशों से प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी एवं पूंजीगत सामान दीर्घावधि आधार पर लेते हैं और इस प्रकार के ऋणों का भुगतान वस्तुओं के निर्यात द्वारा किया जाता है, नकद विदेशी मुद्रा देकर नहीं। अब हम पूर्व

यूरोपीय देशों को न केवल परम्परागत माल भेजते हैं बल्कि जूते, मशीनी औजार, रेफ्रीजेरेटर, फलों का रस, थर्मस फ्लास्क, चीर फाड़ में काम आने वाले दस्ताने तथा अन्य इंजीनियरी का सामान भी निर्यात करते हैं। इन देशों के माध्यम से हमारे माल की मांग अन्य विकसित देशों में भी बढ़ती जा रही है।

यह आलोचना निराधार है कि हम अनावश्यक सामान का आयात करते हैं, या आयातित सामान का सामान्य से अधिक मूल्य देते हैं। जो माल खरीदा जाता है, उसके मूल्य का भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से एक पैसा भी अधिक नहीं किया जाता। 'स्विच ट्रेड' की बात भी कही गई है। सदस्य महोदय ने कहा है कि पूर्व यूरोपीय देश हमारे माल को 15 प्रतिशत कम मूल्य लेकर अन्य यूरोपीय देशों को भेज देते हैं। यदि भारत को उसके माल का पूरा मूल्य मिल जाता है तो भारत को इससे क्या हानि होती है।

Shri Kameshwar Singh : We lose foreign exchange in this switch trade. Those countries which further export our goods, make foreign exchange out of our goods.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We looked into such complaints and they were found baseless. It is wrong to say that there is switch trade. Moreover, it has been unanimously adopted in UNCTAD-II that there would be no switch trade between the developing countries or developing and the developed countries.

It is a matter of pleasure that we are now selling our railway wagons and other goods to Russia. Some trade agreements have been entered into with some Latin American countries like Chile and Brazil. Any country enters into a trade agreement if the terms of agreement suits it. Ideological considerations do not come in the way. There is nothing wrong if the wagons to be supplied to U. S. S. R. have been made in accordance with the specifications given by the buyer i. e. Russia. After all we have to satisfy the buyer. As regards the Prime Minister's tour to Poland, Rumania and Bulgaria, I would like to say that we have taken as usual the follow-up action after that tour and some trade agreement have been/are being signed with them.

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1968/15 चैत्र, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, April 4, 1968/ Chaitra 15, 1890(Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—20-9-68—600.